

## पेंशन/सेवानैवृत्तिक लाभ

## विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	09 नवम्बर, 2000 या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देनेवाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकार करने के सम्बन्ध में	सं० 0045 / सं०वि०उ० / कैम्प / 2000, देहरादून, दिनांक-29 दिसम्बर, 2000	233-234
2	09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के अवशेष भुगतान की प्रक्रिया	सं० 0037 / 26 सं०वि० / कैम्प / 2001, देहरादून, दिनांक-05 फरवरी, 2001	235-238
3	बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों के पेंशन संबंधी भुगतान	सं० 1543 / वि०सं०अनु० / 2001, देहरादून, दिनांक-14 मार्च, 2001	239-240
4	बेसिक शिक्षा परिषद्, अशासकीय विद्यालयों तथा विश्व विद्यालयों में पेंशन स्वीकृति का कार्य	सं० 1629 / वि०सं०वि० / 2001, देहरादून, दिनांक-19 मार्च, 2001	241-242
5	सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में	सं० 184 / वि०अनु०-4 / 2001, देहरादून, दिनांक-28 दिसम्बर, 2001	243-244
6	पेंशनरों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भुगतान	सं० 165 / वि०अनु०-4 / 2002, देहरादून, दिनांक-10 जनवरी, 2002	245-246
7	पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित देयकों के सम्बन्ध में	सं० 04 / वि०अनु०-1 / 2001-2002, देहरादून, दिनांक 03 अप्रैल, 2002	247-250
8	पेंशन भुगतानों का अन्तर्राज्यीय समायोजन	सं० 11 / वि०अनु०-3 / 2002, देहरादून, दिनांक-05 अप्रैल, 2002	251-252
9	अधिवर्षता की आयु 60 वर्ष किया जाना	सं० 806 / का-2-2002, देहरादून, दिनांक-15 जून, 2002	253-254
10	वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 उत्तरांचल (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002)	सं० 431 / वि०अनु०-3 / 2002, देहरादून, दिनांक-11 जुलाई, 2002	255-256
11	उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में	सं० 1005 / वि०अनु०-4 / 2003, देहरादून, दिनांक-12 सितम्बर, 2003	257-260
12	अन्तर्राज्यीय समायोजन के सम्बन्ध में	सं० 2359 / वि०अनु०-1 / 2003, देहरादून, दिनांक-21 अक्टूबर, 2003	261-262

13	अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर कर्मचारियों / अधिकारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों के विषय में स्पष्टीकरण	सं0 1143 / वि0अनु0-3 / 2003, देहरादून, दिनांक-20 जनवरी, 2004	263-264
14	राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र भरने की सुविधा के सम्बन्ध में	सं0 1088 / XXVII(3)पें / 2004, देहरादून, दिनांक-26 अगस्त, 2004	265-268
15	पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित देयकों के संबंध में	सं0 1010 / वि0अनु0-1 / 2004, देहरादून, दिनांक-29 नवम्बर, 2004	269-270
16	पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान	सं0 1484 / XXVII(3)म0रा0 / 2004, लखनऊ, दिनांक-15 दिसम्बर, 2004	271-272
17	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पेन्शन के एक भाग के राशिकरण के प्रतिशत में संशोधन	सं0 91 / XXVII(3)पे0रा0 / 2005, देहरादून, दिनांक-24 फरवरी, 2005	273-274
18	राज्य के विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता	सं0 220 / XXVII(3)अ0आ0 / 2005, देहरादून, दिनांक-18 जून, 2005	275-276
19	राज्य के विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता	सं0 248 / XXVII(3)अ0आ0 / 2005, देहरादून, दिनांक 25 जून, 2005	277-278
20	भारत सरकार के फाइनेन्स एक्ट-2005 की धारा 93 से 112 के अधीन बैंकिंग कैश ट्रान्ज़ैक्शन टैक्स (वी0सी0टी0टी0) काटने के सम्बन्ध में राज्य के संवितरण अधिकारियों के कर्तव्य	सं0 321 / XXVII(4) / 2005, देहरादून, दिनांक-17 अगस्त, 2005	279-280
21	राज्य के कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता विषयक शासनादेश, दिनांक 18-6-2005 के प्रस्तर 1 व 3 में संशोधन	सं0 1190 / XXVII(3)अ0आ0 / 2005, देहरादून, दिनांक-16 अगस्त, 2005	281-282
22	दिनांक 09-11-2000 के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा सेवा पर सेवानैवृत्तिक लाभ, पेंशन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में	सं0 362 / XXVII(4) / 2005, देहरादून, दिनांक-19 सितम्बर, 2005	283-284
23	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता की व्यवस्था से सम्बन्धित स्पष्टीकरण	सं0 17 / XXVII(7)अ0आ0 / 2005, देहरादून, दिनांक-25 सितम्बर, 2005	285-286

24	राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र भरने की सुविधा के सम्बन्ध में	सं० 07 / XXVII(7) / 2005, देहरादून, दिनांक-18 अक्टूबर, 2005	287-288
25	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता की व्यवस्था से सम्बन्धित स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश का संशोधन	सं० 28 / XXVII(7)अ०आ० / 2005, देहरादून, दिनांक-31 अक्टूबर, 2005	289-290
26	09 नवम्बर, 2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के सम्बन्ध में पेंशन निर्धारण की गणना	सं० 189 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक-06 मार्च, 2006	291-292
27	दिनांक 09 नवम्बर, 2009 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण	सं० 58 / XXVII(7)पे / 2006, देहरादून, दिनांक-18 मई, 2006	293-296
28	निर्धारित पेंशन प्रपत्रों के साथ प्रपत्र-1, भाग-4(अ) का जोड़ा जाना तथा पेंशन हेतु मरे जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ संशोधित प्रपत्र -1 का संलग्न किया जाना	सं० 185 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक-01 सितम्बर, 2006	297-302
29	अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन हेतु विकल्प परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में	सं० 237 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक-08 दिसम्बर, 2006	303-306
30	उत्तराखण्ड के कोषागारों के माध्यम से पेंशनर को भुगतान की जाने वाली पेंशन विषयक बैंक खातों को पारिवारिक पेंशनर / नामित व्यक्ति को नाम संयुक्त खाता खोलने के सम्बन्ध में	सं० 66 / XXVII(7) / 2007, देहरादून, दिनांक-20 नवम्बर, 2007	307-310
31	वर्ष 1986 के पूर्व तथा बाद के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना	सं० 152 / XXVII(7) / 2008, देहरादून, दिनांक-25 अप्रैल, 2008	311-312
32	छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, 1 उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन	सं० 419 / XXVII(7) / 2008, देहरादून, दिनांक-27 अक्टूबर, 2008	313-318
33	छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भाँति 1-1-06 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना	सं० 421 / XXVII(7)पेंशन / 2008, देहरादून, दिनांक-27 अक्टूबर, 2008	319-370

34	9 नवम्बर, 2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स को दिनांक 1-1-2006 से संशोधित पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में	सं० 07 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक-07 जनवरी, 2009	371-372
35	छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की माँति 1-1-2006 के पूर्व के राज्य सरकार एवं 9 नवम्बर, 2000 के पूर्व के उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को संशोधित पेंशन के अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में	सं० 16 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक-19 जनवरी, 2009	373-374
36	वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन तथा पेंशन एवं ग्रेच्युटी के एरियर की धनराशि का भुगतान लेखानुदान के बजट से तथा वर्ष 2009-10 में भुगतान हेतु आदेशित 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान मूल बजट से किया जाना	सं० 416 / XXVII(1) / 2009, देहरादून, दिनांक-18 जून, 2009	375-376
37	दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के पेंशनर्स का दिनांक 1-1-2006 के बाद पुनर्नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण	सं० 218 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक-12 अगस्त, 2009	377-378
38	वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन तथा पेंशन एवं ग्रेच्युटी के एरियर की धनराशि का भुगतान लेखानुदान के बजट से तथा वर्ष, 2009-10 में भुगतान हेतु आदेशित 30 प्रतिशत, धनराशि का भुगतान मूल बजट से किया जाना	सं० 616 / XXVII(1) / 2009, देहरादून, दिनांक-24 सितम्बर, 2009	379-380
39	राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में	सं० 310 / XXVII(7) 0000 / 2009, देहरादून, दिनांक-15 अक्टूबर, 2009	381-382
40	छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान / पेंशन के एरियर की धनराशि का जी०पी०एफ० में डाला जाना	सं० 716 / XXVII(1) / 2009, देहरादून, दिनांक-29 अक्टूबर, 2009	383-384
41	ऐसा सरकारी सेवक जिसकी जन्म तिथि किसी मास के प्रथम दिवस को है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	सं० 507 / XXVII(7) / 2010, देहरादून, दिनांक-03 मार्च, 2010	385-386

प्रेषक,

इन्दु कुमार पान्डे,  
सचिव वित्त,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल ।

वित्त [सामान्य] अनुभाग

देहरादून: दिनांक २९ दिसम्बर, २०००

विषय : ९ नवम्बर २००० या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ९ नवम्बर, २००० के पूर्व जिनके नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक सीमा के अधीन स्थित थे या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पर्वतीय उप संवर्ग {हरिद्वार को वर्तमान में शामिल करते हुये} के लिए नियुक्त हो अथवा ९ नवम्बर, २००० या तदुपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य आवंटित/विकल्प स्वीकृत किया गया हो, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के ९ नवम्बर, २००० या उसके बाद सेवानिवृत्त होने पर जब तक अन्यथा आदेश न हों, सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय :-

{क} वर्ग "घ" के कर्मचारियों के प्रकरण में पूर्व की भांति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृतियां निर्धारित प्रक्रिया के अधीन जारी किया जाय ।

{ख} वर्ग "ग" एवं "ख" के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण में पूर्व निर्धारित नियम/प्रक्रिया के अधीन पेंशन, ग्रेज्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति मंडलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकृत किया जाये ।

{ग} वर्ग "क" के अधिकारियों हेतु पेंशन, ग्रेज्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवार्यें उत्तरांचल - देहरादून होंगे । निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवार्यें के कार्यालय में कम्प्यूटर आदि के स्थापना तक अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन - गढ़वाल मंडल के कम्प्यूटर से स्वीकृतियां जारी की जायेंगी । अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल मंडल तत्काल प्रभाव से स्टाफ एवं कम्प्यूटर सम्बन्धी सभी उपकरण सहित निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवार्यें उत्तरांचल देहरादून से सम्बद्ध किया जाता है जहां से वह उत्तरांचल के वर्ग "क" तथा गढ़वाल मंडल के वर्ग "ख" एवं "ग" के पेंशन आदि सम्बन्धी प्राधिकार पत्र जारी करेंगे ।

{घ} विशेष परिस्थिति में सेवानिवृत्त की तिथि पर सेवानैवृत्तिक लाभ न स्वीकृत करने की स्थिति में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन अनन्तिम पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाये ।

{च} सेवानिवृत्त होने पर देय अवकाश नकदीकरण सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाये ।

§उ§ 90 प्रतिमात भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासबुक के आधार पर किया जाय। भविष्य निधि की पासबुक में वेतन/मंहगाई मत्ता आदि से कटौतियाँ द्वारा जमा धनराशि के साथ साथ प्रतिवर्ष लिये गये अग्रिम {यदि कोई हो} हेतु निर्धारित स्तम्भों को भी प्रमाणित किया जाये चाहे अग्रिम शून्य ही हो। निर्धारित प्रपत्र पर सेवानिवृत्त की तिथि के ठीक पूर्व के पाँच वर्षों की आगणन शीट का परीक्षण विभागाध्यक्ष कार्यालय में नियुक्त वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी अथवा विभाग में इस सेवा के अधिकारी न होने पर सम्बन्धित कोषागार अधिकारी द्वारा पूर्व की भाँति करने के बाद ही भुगतानादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाय तथा शेष 10 प्रतिमात हेतु वर्ग "घ" के कर्मचारियों को छोड़कर महालेखाकार को समस्त अभिलेख भेजा जाय।

§ज§ पेंशन पुनरीक्षण के प्रकरणों में अथवा विशिष्ट कारणों से लम्बित पुराने पेंशन प्रकरणों हेतु सम्बन्धित राज्य के उस दिनांक पर घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय। जहाँ पर दो लेखा प्राधिकारी {महालेखाकार} का कार्यक्षेत्र अलग अलग राज्य हेतु हो वहाँ एक लेखा प्राधिकारी दूसरे को "सील अथाट्टी" की निर्धारित प्रक्रिया के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया जाय।

§झ§ सामूहिक बीमा सम्बन्धी स्वीकृतियाँ पूर्व की भाँति उत्तरांचल राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सम्बन्धित कोषागार से निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जाय।

उपरोक्त आदेश 9 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रभावी होंगे।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे

पृष्ठ क्र. संख्या-0045/स0वि030/केम्प/2000 तद् दिनांक।

- तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल {लि0 एवं ए0} 11, 5-ए थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
  - 2- रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल।
  - 3- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल।
  - 4- रेजिडेंट कमिश्नर, उत्तरांचल - नई दिल्ली।
  - 5- पुनर्गठन आयुक्त उत्तरांचल, विकास भवन सचिवालय - लखनऊ उत्तर प्रदेश।
  - 6- मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन पौड़ी/हल्द्वानी-नैनीताल।
  - 7- समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
  - 8- समस्त अनुभाग सचिवालय उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

के0सी0 मिश्र §  
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन  
वित्त विभाग (सामान्य लेखा)  
संख्या-0037/26-स0वि0/ कैम्प/2001  
देहरादून : दिनांक- 5 फरवरी, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के अवशेष भुगतान के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों से हुई चार्ज तथा अ0शा0प0सं0- ए-2-III/दस-2001 वित्त (लेखा) अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2001 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक के लम्बित प्रकरणों की निम्नलिखित श्रेणी के भुगतान, उल्लिखित प्रक्रिया के अधीन किया जाए :

1. सेवा निवृत्त लाभ (पेंशन आदि) हेतु स्वीकृति अथवा पुनरीक्षण उन्ही प्राधिकारियों द्वारा किया जाए जो अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश में दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित थे। यह व्यवस्था दिनांक 30 सितम्बर, 2001 तक बनायी रखी जाए। इस अवधि में समस्त लम्बित प्रकरणों का पूर्णरूपेण निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए।
2. प्रस्तर- 1 से संबंधित भुगतान मुख्य लेखा शीर्षक- 8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पुस्तांकित किये जायेंगे।
3. भविष्य निधि का 90 प्रतिशत भुगतान तथा शेष 10 प्रतिशत धनराशि के अन्तिम निष्कासन तथा भुगतान की कार्यवाही यथावत उन्ही प्राधिकारियों एवं महालेखाकार द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2001 तक की जाती रहे, जैसी दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक व्यवस्था थी। इसी प्रकार की कार्यवाही कर्मचारी समूहिक बीमा योजना के लिए भी अपनायी जाए।
4. दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक के सेवा निवृत्त होने पर अवशेष अर्जित अवकाश का नकदीकरण तथा गृह जनपद हेतु यात्रा भत्ता का भुगतान दिनांक 30 सितम्बर, 2001 तक दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाए तथा भुगतान मुख्य लेखा शीर्षक-8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया जाए जिससे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश- उत्तरांचल द्वारा धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराये ।
5. दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक के सेवा निवृत्त पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति उत्तरांचल राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाए तथा मुख्य लेखा शीर्षक- 8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन, उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पुस्तांकित

- अज्ञात

किया जाए जिससे महालेखाकार स्तर से धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाए।

6. दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक के देय वेतन, भत्ते, यात्रा व्यय एवं अन्य भुगतान उत्तरांचल राज्य में नियुक्त/कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवशेष दावे (क्लेम्स) उत्तरांचल राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाए। इस प्रकार किये गये भुगतान मुख्य लेखाशीर्षक- 8973 अन्तर्राज्यीय समायोजन उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पुस्तांकित किया जाए तथा महालेखाकार स्तर से धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति की जाए।
7. सिविल जमा तथा स्थानीय निधि जमा के निजी खाते (पी०एल०ए०) पूर्व की भांति संचालित किये जाएं। कोषागार तथा विभाग स्तर पर दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक के अन्तिम अवशेष का लेखा-जोखा अलग से रखा जाए क्योंकि यह प्रकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के प्रकाश में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर- 196 के अधीन दोनों राज्यों के आपसी करार अथवा महालेखाकार के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।
8. उत्तर प्रदेश समेकित निधि से ~~धन~~ वाह्य एजेन्सी या व्यक्ति की जमा साख-सीमा (डी०सी०एल) जो दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक जमा किया गया हो (यथा केन्द्र सरकार से उपलब्ध धनराशि, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेन्ट, सांसद निधि आदि) उसका भुगतान करते हुए कोषागार/ विभाग स्तर पर अलग से लेखा-जोखा रखा जाए क्योंकि इस प्रकरण में दोनों राज्यों के आपसी करार अथवा महालेखाकार के माध्यम से अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।
9. उत्तर प्रदेश से जो अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरांचल का विकल्प देकर पूर्व अधिष्ठान से वेतन तथा यात्रा भत्ता का अग्रिम लेकर उत्तरांचल में कार्यभार ग्रहण किये हैं, वे उक्त धनराशि वेतन से कटाकर या चालान द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक 8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन उ०प्र० पुनर्गठन के अधीन जमा करेंगे तथा महालेखाकार स्तर पर इस धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।
10. शासनादेश संख्या-002/ कैम्प/ सिवि०/ बजट 2000-2001, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 का प्रस्तर 12 एवं 13 उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।

कृपया उपरोक्त के क्रम में सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाए।


( इन्दु कुमार पाण्डे )  
सचिव



पु०प०स०-००३७(१)/२६/स०वि०-कैम्प/२००१ / तदिदनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- ए-२-III/दस-२००१, दिनांक ३० जनवरी, २००१ के क्रम में।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-उत्तरांचल, ५-ए धार्महिल रोड, "सत्यनिष्ठा भवन", इलाहाबाद ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
5. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल ।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
7. रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तरांचल, नई दिल्ली ।
8. रजिस्ट्रार मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, मैनीताल ।
9. उत्तरांचल शासन के समस्त अनुभाग ।

  
( के०सी० मिश्रा )  
अपर सचिव

प्रेषक,

के०सी०मिश्र  
अपर सचिव  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शिक्षा  
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग

देहरादून:दिनांक- 14 मार्च,2001

विषय:-बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के पेंशन संबंधी भुगतान।


महोदय,

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रस्तर 54 के साथ पठित शिड्युल-8 के कम में 9नवम्बर,2000 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनर्स के पेंशन का भुगतान उन्हीं कोषागारों से किया जायेगा जहाँ से पूर्व में भुगतान किया जा रहा था, तथा भुगतान की गई धनराशि का प्रभाज्य उत्तरांचल राज्यों के मध्य जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। दिनांक- 24 फरवरी,2001 को महालेखाकार कार्यालय में गठित वर्किंग ग्रुप का निष्कर्ष था कि पुनर्गठन अधिनियम में पेंशन की अलग-अलग श्रेणी परिभाषित नहीं है। अतः सभी पेंशन भोगियों हेतु समान प्रक्रिया अपनायी जाय।

उपर्युक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व प्रक्रिया के अधीन 8 नवम्बर,2000 तक बेसिक शिक्षा परिषद के पेंशनर्स का नियमानुसार भुगतान किया जाय तथा भुगतान की गई धनराशि मुख्य लेखाशीर्षक 8793 अन्तर्राज्यीय समायोजन पुनर्गठन अधिनियम(बेसिक शिक्षा की पेंशन) के नामें डाला जाय। उक्त भुगतान की धनराशि नियमानुसार प्रभाजन कर उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति महालेखाकार उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के स्तर से किया जायेगा।

कृपया बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित पेंशनर्स को देय पेंशन संबंधी भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,


  
(के०सी०मिश्र)  
अपर सचिव

संख्या- 1543/वि.सं.अनु./2001तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल 5 ए थार्न हिल रोड सत्य निष्ठा भवन इलहाबाद।
- 2- श्री वी०के० शर्मा, सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- सचिव शिक्षा, उत्तरांचल शासन।
- 4- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल।
- 5- समस्त कोषागार अधिकारी उत्तरांचल।

आज्ञा से,

  
(के०सी०मिश्र)  
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन  
वित्त (सामान्य) अनुभाग,  
संख्या 1629/वि०सं०वि०/2001  
देहरादून, दिनांक 19 मार्च, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल स्थित परिषदीय/अशासकीय विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पेंशन स्वीकृति का कार्य वित्त सेवा के अधिकारियों (वित्त नियंत्रक) द्वारा किया जाता था। वर्तमान में सभी विभागों के संगठनात्मक ढांचे को अन्तिम रूप न दिये जाने तथा वित्त नियंत्रक स्तर के अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकरणों में पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही निम्नानुसार की जाय :-

1. बेसिक शिक्षा परिषद् एवं पंतनगर विश्वविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मियों पेंशन क्षेत्रीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कुमरूँ (हल्द्वानी) तथा गढ़वाल (देहरादून) द्वारा स्वीकृत किया जाय।

2. 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के प्रकरणों की स्वीकृति क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन द्वारा की जायेगी परन्तु उसका भुगतान कोषागार द्वारा मुख्य लेखाशीर्षक-8793-अन्तर्राज्यीय समायोजन, उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन किया जाए, जिससे व्ययों का प्रभाजन दोनों राज्यों की जनसंख्या के आधार पर महालेखाकार स्तर पर किया जा सके। 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व प्रकरणों को अभियान चलाकर यथाशीघ्र सभी स्वीकृतियां निम्नानुसार करा दी जायं 30 सितम्बर, 2001 के बाद स्वीकृति प्रक्रिया जटिल हो जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

3. 09 नवम्बर, 2000 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन आदि की स्वीकृति मुख्य लेखा शीर्षक-2071 पेंशन के अधीन की जाय तथा इसी लेखा शीर्षक से कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाय।

4. बेसिक शिक्षा परिषद् एवं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जहाँ पर शासकीय कर्मचारी की भाँति पेंशन का आंगणन तथा राज्य के समेकित निधि से अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता है, का अन्य गैर शासकीय विद्यालयों/विश्वविद्यालयों की भाँति पेंशन वितरण की कार्यवाही विभागीय अधिकारियों के स्थान पर कोषागार के माध्यम से की जाय। वर्तमान के वितरण हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा जिनका कि नमूना हस्ताक्षर कोषागार में उपलब्ध हों, द्वारा किस दिनांक तक पेंशन भुगतान किया गया है, मूल पेंशन, पेंशन राशिकरण धनराशि, पेंशन राशिकरण की तिथि, महंगाई रिलीफ, का प्रतिशत आदि का उल्लेख कर तत्काल स्थानीय कोषागार को पेंशन भुगतानादेश (पी०पी०ओ०) उपलब्ध करा दिया जाय। अन्य अशासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की भाँति कोषागार द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक-2071 पेंशन तथा बेसिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य श्रेणी का विवरण लिखकर भुगतान किया जाये। इस प्रकार का स्थानान्तरण कार्य प्राथमिकता पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक पूरा किया जाय, जिससे पेंशन भुगतान में गतिरोध उत्पन्न न हो। कोषागार द्वारा पेंशन भुगतान पेंशनभोगी के एकल नाम के बैंक खाते में प्रति माह 25 से 28 तारीख के मध्य सीधे जमा कराने की स्थापित व्यवस्था के अधीन की जाय तथा प्रति वर्ष नवम्बर माह में जीवित रहने का प्रमाण पत्र लिया जाय। इस प्रकार के पेंशनभोगियों का अलग शेड्यूल बनाकर वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय को अन्य पेंशनर्स के श्रेणी के साथ पूर्व निर्धारित इनपुट पर सूचना भेजी जाय।

5. उत्तरांचल राज्य के समेकित निधि से भुगतान होने वाली वर्ग "घ" के कर्मचारियों की वृद्धावस्था पेंशन, शासन स्तर से स्वीकृत होने वाली विशिष्ट पेंशन (राजनैतिक, विनिर्दिष्ट सेवा/पुरस्कार आदि) को छोड़कर शेष सभी पेंशन की स्वीकृति अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी तथा कोषागारों के माध्यम से भुगतान किया जाय।

6. जिन प्रकरणों में अन्यथा कारणों से पेंशन पुनरीक्षण किया जाना हो, ऐसी स्थिति में चूंकि मूल अभिलेखों के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण किया जाता है, अतः मूल स्वीकृत स्थान/सक्षम प्राधिकारी स्तर से ही पुनरीक्षण किया जायेगा।

7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा अन्य विशिष्ट पेंशन को छोड़कर सभी पेंशन सम्बन्धी भुगतान मुख्यलेखा शीर्षक-2071 पेंशन के अधीन सुसंगत उप मुख्य शीर्षक, लघु शीर्षक, उप शीर्षक, मानक मद आदि के अधीन किया जाय।

उपरोक्त आदेशों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इन्दु कुमार पाण्डे,  
सचिव।

संख्या 1629(1) वि० सं०वि०/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, शिक्षा, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, 5 ए-कर्महिल रोड, इलाहाबाद।
3. श्री बी०के० वर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार कार्यालय (2)।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. कुलपति, कुमाऊँ/हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, नैनीताल/श्रीनगर (गढ़वाल)।
7. कुलपति, रुड़की/गो०ब०प० कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (ऊधम सिंह नगर)।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के उत्तरांचल में कार्यरत अधिकारी।

आज्ञा से,

(के० सी० मिश्रा ),  
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,  
शिक्षा, उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग-4/062/

देहरादून: दिनांक 28 दिसम्बर, 2001

विषय- सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1629/वि0सं0शा10/2001, दिनांक 19 मार्च, 2001 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् एवं पंतनगर विश्वविद्यालय के समी श्रेणियों के कर्मिकों की पेंशन क्षेत्रीय अपर शिक्षा निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तरांचल कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। दिनांक 08-11-2001 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृद्धावस्था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा अन्य विशिष्ट पेंशनों की स्वीकृतियों को छोड़कर समस्त सरकारी एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं (बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा) के पेंशन की स्वीकृति के लिए अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तरांचल गढ़वाल/कुमायूँ को सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है।

2. सहायता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण विभागीय अधिकारी अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक आदि के कार्यालय में नियुक्त वित्त अधिकारी अथवा वित्त से सम्बन्धित कार्य देखने वाले अधिकारी के माध्यम से सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व निर्धारित प्रपत्रों पर पेंशन स्वीकृति हेतु अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
सचिव।

संख्या 184(1)/ वि0 अनु0-4/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, 5-ए थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तरांचल।
5. निदेशक, उच्च/माध्यमिक/बेसिक एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्रा,  
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन,

वित्त अनुभाग-4

संख्या-165/वि0अनु0-4/2002

देहरादून : दिनांक : 10 जनवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

माह अक्टूबर, 2001 से पेंशन का भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर प्रदेश के सभी कोषागारों में जवाहर भवन पेंशन भुगतान योजना लागू किये जाने से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-ए-1-1680/दस/2001-10(23)/ 95 दिनांक 19 जुलाई, 2001 को उत्तरांचल राज्य में लागू न किये जाने विषयक राजकीय पेंशनर्स एसोसियेशन के प्रत्यावेदन दिनांक 05 सितम्बर, 2001 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को श्री रामपाल रस्तोगी, सचिव, राजकीय पेंशनर्स एसोसियेशन से यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 09 नवम्बर, 2001 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवक मूलतया उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स हैं। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम-2000 की धारा-54 सपठित शिड्यूल-8 के अनुसार जो पेंशनर्स जहां से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वहां से पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे। 09 नवम्बर, 2001 के बाद उत्तरांचल में मात्र एक प्रणाली लागू है कि पेंशनर्स अपने एकल नाम में खाता खोलेंगे तथा कोषागार द्वारा कम्प्यूटर पर आधारित चेक बनाकर कोषागार द्वारा ही पेंशनर्स के खाते में चेक जमा करा दिया जाता है। पूर्ववर्ती राज्य में पब्लिक सेक्टर बैंक से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की भांति प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में एक बार कोषागार में उपस्थिति होकर या किसी अधिकृत व्यक्ति से जीवित रहने का प्रमाण-पत्र देना पड़ता था।

उत्तर प्रदेश द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक में पेंशन के सही आगणन न होने तथा पेंशन संबंधी भुगतान का लेखा सही ढंग से रखा जा सके के कारण पेंशनर्स के खाते में प्रति माह स्वयं कोषागार द्वारा पेंशन संबंधी भुगतान जमा कराने की प्रक्रिया लागू किया है। 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के पेंशन के भुगतान का प्रभाजन दोनों राज्यों के मध्य जनसंख्या के आधार पर प्रभाजित होगा। अतः कोषागार स्तर उत्तर प्रदेश के निर्णयों के अनुसार पेंशनर्स के खाते में चेक द्वारा धनराशि जमा कराई जाती है, इसमें पेंशनर्स को पब्लिक सेक्टर बैंक योजना की भांति मात्र प्रतिवर्ष नवम्बर माह में जीवित रहने का प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया तथा पेंशन उनके खाते में कोषागार द्वारा जमा कराया जाता है। अतः आवेदक का प्रतिवेदन उपरोक्तानुसार गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जाता है कि कोषागार द्वारा उनके खाते में प्रतिमाह नियमानुसार पेंशन संबंधी धनराशि जमा कराई जायेगी।

इन्दु कुमार पांडे  
सचिव।

संख्या-165(1)/वि0अनु0-4/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तरांचल शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे रिट याचिका सं0-5569/एम0एस0/2002 का विरोध किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल।

आज्ञा से,  
के0सी0 मिश्र  
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/  
कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 03 अप्रैल, 2002

विषय: पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित देयकों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 0037/26-सं०वि०/कैम्प/2001 दिनांक: 5 फरवरी, 2001 के अनुक्रम में पुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन से सम्बन्धित तथा पेन्शन स्वीकृत करने के प्रकरण में पूर्ववर्ती राज्य से सम्बन्धित 8 नवम्बर, 2000 तक के भुगतान 30 सितम्बर, 2001 तक किये जाने की व्यवस्था की गई थी । केन्द्र सरकार स्तर पर दिनांक: 21 फरवरी 2002 को हुई बैठक के क्रम में जब तक अन्यथा आदेश केन्द्र सरकार द्वारा न कर दी जाये पूर्व दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति यथावत् मानी जाये । राज्य के कर्मचारियों के वेतन एवं पेन्शन के भुगतान समय से किये जाने के दायित्व को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल महोदय पुर्नगठन अधिनियम -2000 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत इंगित प्रक्रिया तथा पूर्व में उत्तरप्रदेश सरकार से हुई सहमति के आधार पर निम्नलिखित मदों के भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- वेतन से सम्बन्धित भुगतान ।
- 2- सेवानिवृत्तिक लाभ ।
- 3- सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के 90 प्रतिशत भुगतान ।
- 4- सेवानिवृत्त होने पर अर्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान ।
- 5- सेवानिवृत्ति के उपरान्त गृह-जनपद हेतु की गई यात्रा भत्ते का भुगतान ।
- 6- सेवानिवृत्त पेन्शनर्स की चिकित्सा प्रति - पूर्ति का भुगतान (सेवारत कार्मिकों के 8 नवम्बर, 2000 से पूर्व के चिकित्सा प्रति-पूर्ति के दावों का भुगतान उत्तरप्रदेश के शासनादेश

संख्या: सा.-3-241/दस-308(9) 2000 दिनांक: 13 फरवरी 2001 के द्वारा पूर्ववत् अन्तर्राज्जीय समायोजन के अर्न्तगत किया जा रहा है )

7- सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी भुगतान ।

2- उपर्युक्त सभी मदों के भुगतान के वाउचर पर बजट साहित्य में इंगित सुसंगत लेखा - शीर्षक का विवरण धन बजट विनियोगों (जहाँ आवश्यक हो) इंगित करने के साथ-साथ मुख्य लेखा - शीर्षक - 8793 - अन्तर्राज्जीय समायोजन उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 भी दर्शाया जाये। उपर्युक्त इंगित मदों के वाउचरों पर लाल स्याही से महालेखाकार हेतु यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि यह भुगतान पुनर्गठन अधिनियम के अधीन नियत तिथि 9 नवम्बर, 2000 से पूर्व का है तथा औपचारिक आदेश की प्रति भी देयक के साथ संलग्न किया जाये ।

3- पेन्शन सम्बन्धी भुगतान के लिये पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा - 54 के साथ पठित आठवीं अनुसूची के प्रस्तर-2 में उल्लिखित है कि वर्तमान उत्तरप्रदेश से सम्बन्धित यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है या नियत तिथि से पूर्व अवकाश पर चला जाता है तब ऐसे पेन्शन सम्बन्धी दावे का भुगतान उत्तरप्रदेश से होगा । इसी प्रकार उक्त धारा की आठवीं अनुसूची के प्रस्तर -3 के अनुसार नियत दिन से प्रारम्भ होने वाले और नियत दिन के पश्चात् ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाये समस्त होने वाले अवधि के बावत पैरा-1 एवं पैरा-2 में निर्दिष्ट पेन्शनों के बारे में उत्तरवर्ती राज्य को किये गये कुल समुदायों को संगणना में लिया जायेगा । पेन्शनों की बावत पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश राज्य के कुल दायित्व का उत्तरवर्ती राज्यों की बीच प्रभाजन जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा और अपने द्वारा देय अंश से अधिक का संदाय करने के किसी उत्तरवर्ती राज्य पर आधिक्य रकम की प्रति-पूर्ति उत्तरवर्ती राज्य का कर्न सदाय करने वाले राज्य द्वारा की जायेगी । पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में नियत दिन के ठीक पूर्व सेवा करने वाले और उस दिन या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के पेन्शन भुगतान का दायित्व उत्तरवर्ती राज्य का होगा क्यों कि संविधान के अनुसार राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं पेन्शन का प्रकरण राज्य का विषय है । किन्तु किसी ऐसे अधिकारी को पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश राज्य के कार्यालय कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवा के कारण पेन्शन का भाग उत्तरप्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य



जनसंख्या के अनुपात में प्रभाजन किया जायगा। अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी नियत दिन के पश्चात् पेंशन अनुदत्त करने वाले राज्य से भिन्न एक से अधिक उत्तरवर्ती राज्य के कार्य-कलाप के समय में सेवा करते रहे हों तो पेंशन अनुदत्त करने वाले राज्य उस सरकार को ऐसी रकम की प्रति-पूर्ति करेगा जिसके द्वारा पेंशन की रकम अनुदत्त की गई है जिसको नियत दिन के पश्चात् की उसकी सेवा के कारण तात्पर्य पेंशन के भाग का वही अनुपात हो जो प्रति-पूर्ति करने वाले राज्य के अधीन नियत दिन के पश्चात् उसकी अर्ह-सेवा का उस अधिकारी को उसकी पेंशन के परियोजनाय परिकल्प विषय दिनों के पश्चात् की कुल सेवा का है।

4- धारा 54 के साथ पठित आठवीं अनुसूची के उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि 09 नवम्बर 2000 के पूर्व नियुक्त कर्मचारी की 08 नवम्बर 2000 तक की सेवा के पेंशन की ग्रेजुटी आदि सम्बन्धी देयता उत्तरवर्ती राज्यों में जनसंख्या के आधार में प्रभाजित होगा तथा 09 नवम्बर के बाद की सेवा जिस राज्य में जितने दिन सेवा किया गया हो के आधार पर उस राज्य द्वारा किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति होने वाले प्रपत्र में इन तथ्यों को लाल स्याही से स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये कि कितनी सेवा 08 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश की है कितनी सेवा उत्तरवर्ती राज्य में की गई है ताकि सेवानैवृत्तिक लाभ सम्बन्धी प्रभाजन सही ढंग से सम्भव हो सके।

5- उपरोक्त विषयक अधिष्ठान एवं पेंशन के भुगतान करने से पहले वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, (भाग-1), प्रस्तर-74 में पूर्ण संप्रेशा सम्बन्धी निहित प्राविधान अन्य नियमों प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अनियमित आदेश करने वाले / भुगतान करने वाले अधिकारी अनियमित भुगतान के दोषी माने जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

( इन्दु कुमार पाण्डे )  
प्रमुख सचिव

पृ०सू० 04(1) / वि०अनु-1 / 2001-2002 उक्त तिथि

- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- श्री आर०के०सिंह, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
  - 2- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
  - 3- प्रधान महालेखाकार, उत्तरप्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहाबाद ।
  - 4- महालेखाकार, उत्तरांचल, 5-ए, र्थाहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद ।
  - 5- गोपाल कृष्णन, प्रधान निदेशक, ए०ई०एण्डसी०, कार्यालय भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक -10, बहादुरशाह जफर रोड, नई दिल्ली ।
  - 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, उत्तरांचल ।
  - 7- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
  - 8- रजिस्टार जनरल / मा०उच्च न्यायालय ।
  - 9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

के०सी०मिश्रा  
अपर सचिव, वित्त

उत्तरांचल शासन  
वित्त विभाग  
संख्या : 11/वि0अनु0-3/2002  
देहरादून: दिनांक 05 अप्रैल, 2002

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 4 मार्च 2002 को उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य के बीच पेंशन से सम्बन्धित भुगतानों के अन्तर्राज्यीय समायोजन एवं पेंशन प्रक्रिया के लेखांकन के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ महालेखाकार की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में लिये गये निर्णय के अनुसार मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन से सम्बन्धित समस्त स्वीकृतियाँ जो 31-3-2002 तक दोनों राज्यों द्वारा निर्गत की जायेगी, वह सीधे सम्बन्धित कोषागार को भुगतान हेतु प्रेषित की जाय।

2- दिनांक 1-4-2002 अथवा उसके बाद निर्गत स्वीकृति नियमानुसार महालेखाकार के माध्यम से विशेष सील प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य के कोषागार में प्रेषित की जायेगी।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय।

के0सी0मिश्र  
अपर सचिव।

संख्या (1)/वि0अनु0-3/2002 तददिनांक  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, 5-ए, थार्न हिल रोड सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, 1018 जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल सरकार।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल।
8. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

के0सी0मिश्र  
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन  
कार्मिक अनुभाग-2  
संख्या-806/का-2-2002  
देहरादून, दिनांक 15 जून, 2002

अधिसूचना

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की राज्यपाल महोदय एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश 1 जून, 2002 से लागू होंगे।
3. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 11 भाग-II के IV के मूल नियम 56 यथा-आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।
4. उपर्युक्त से सम्बन्धित आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

आलोक कुमार जैन,  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 806(1)/2002 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, राज्यपाल, उत्तरांचल।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. उप निदेशक, दृश्य एवं लेखन सामग्री, रुड़की, उत्तरांचल को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, वृहस्पतिवार, 11 जुलाई, 2002 ई0  
आषाढ़ 20, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3

संख्या 431/वित्त अनु03/2002  
देहरादून, 11 जुलाई, 2002

### अधिसूचना

चूँकि, उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन और उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम श्री राज्यपाल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग-2-4 के मूल नियम 56 (क) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4, 1942 (अनुकूलन तथा उपान्तर आदेश, 2002)

(1) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 (यथा उत्तरांचल में लागू) (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2002 कहलायेगा।

## (2) मूल नियम 56(क)

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका 1942 (यथा उत्तरांचल में लागू) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 56(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

56(क)—इस नियम के अन्य खण्डों में अन्वयात् उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा, उसे अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात् सरकार की पूर्व स्वीकृति से लोक आधार पर, जिसे अभिलिखित किया जायेगा, सेवा में रखा जा सकता है, किन्तु अतिविशेष परिस्थितियों के सिवाय उसे साठ वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए :-

परन्तु 5 नवम्बर, 1985 के पूर्व भर्ती किया गया और समूह "घ" पद को धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा।

स्पष्टीकरण :- उपर्युक्त परन्तुक उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट पद/पदों की प्रास्थिति में 27 फरवरी, 1982 के पश्चात् परिवर्तन किया गया हो और उच्चतर समूह के पद/पदों में वर्गीकृत किया गया हो।

स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम-56(क)

56(क)—इस नियम के अन्य खण्डों में अथवा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रेषक,

के० सी० मिश्र,  
अपर सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
लेखा एवं हकदारी,  
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग-4

देहरादून, दिनांक 12 सितम्बर, 2003

विषय :- उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 3-1071 (1)/दस-2002-308(9)/2000 दिनांक 15 जून, 2002 के क्रम में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृत प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1. जिन मामलों में पेंशन प्रपत्र अभी तक नहीं भेजे गये हैं, ऐसे सभी मामले जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से सम्बन्धित हों, उस राज्य द्वारा ही निष्पादित किया जाय। अर्थात् उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक सीमाओं में स्थित कार्यालयों में कार्यरत दिनांक 8-11-2000 तक सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के पेंशन प्रपत्र पहली बार भेजे जाने हैं तो वह उत्तरांचल राज्य द्वारा ही निस्तारित किये जायेंगे।
2. उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के जिन मामलों में आपत्तियाँ हैं अथवा कुछ पृच्छायें की गई हैं और प्रकरण निस्तारित नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों में भी निस्तारण की पूर्ण कार्यवाही उत्तरांचल राज्य द्वारा ही की जाय, परन्तु ऐसे प्रकरणों में जहाँ पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित सक्षम प्राधिकारी को अभिलेख भेजा गया हो तथा प्रकरण अभी तक अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं हो सका है, उत्तर प्रदेश में कार्यरत सक्षम प्राधिकारी, निदेशक पेंशन उ०प्र० के माध्यम से निदेशक लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल देहरादून को भेजा जायेगा, ताकि इनका निस्तारण सम्भव हो सके।
3. उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में अथवा उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र स्थित कार्यालयों में जिन मामलों में पेंशन स्वीकृति के आदेश निर्गत हो चुके हैं और इनका पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से अपेक्षित है, ऐसे प्रकरण में पुनरीक्षण की कार्यवाही पूर्व में पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा, किन्तु इस कार्यवाही से पूर्व समस्त तथ्य एवं सूचना निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल के माध्यम से आदान-प्रदान किये जायेंगे। सम्बन्धित राज्य के निदेशक के हस्ताक्षर नमूना दोनों राज्यों में उपलब्ध रहेंगे तथा सम्बन्धित राज्य के निदेशक अपने राज्य के कोषागार में प्राधिकार भेजने के पूर्व हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित करेंगे।

( 2 )

4. जिन प्रकरणों में पुनरीक्षण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाय उसे महालेखाकार उत्तरांचल के माध्यम से उत्तरांचल के कोषागारों में भेजा जाय।
5. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निर्गत होने वाले पेंशन प्राधिकार प्रपत्रों में इस सूचना का स्पष्ट उल्लेख है कि भुगतान की जाने वाली धनराशि का कितना अंश उत्तरांचल राज्य द्वारा तथा कितना अंश पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा वहन किया जायेगा।
6. उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 521/वि0अनु0-4/2002 दिनांक 7 अगस्त, 2002 निरस्त समझा जाय। कृपया उपरोक्त प्रक्रियानुसार विषयगत मामले में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

के० सी० मिश्र,

अपर सचिव।

संख्या 1005 (1)/वि0अनु0-4/2003, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, वित्त (वित्त सामान्य अनुभाग-3) उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन, उ०प्र० इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त कोषागार उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

के० सी० मिश्र,

अपर सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 2 लेखा हकदारी/273-17-10-2003-500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।



आठवीं अनुसूची  
(धारा 54 देखिए)

पेंशनों की बाबत दायित्व का प्रभाजन

1. पैसा 3 में वर्णित समायोजनों के अधीन रहते हुए, विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्ण अनुदत पेंशनों की बाबत प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य अपने-अपने खजानों में से दी जाने वाली पेंशनें संदत करेगा।

2. उक्त समायोजनों के अधीन रहते हुए विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले उन अधिकारियों की पेंशनों के बारे में दायित्व, जो नियत दिन के पूर्व सेवानिवृत्त होते हैं या सेवानिवृत्ति पूर्व चले जाते हैं किन्तु पेंशनों के लिए जिनके दावे उस दिन के ठीक पूर्व बकाया हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का दायित्व होगा।

3. नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली और नियत दिन के पश्चात् ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम की जाए, समाप्त होने वाली अवधि की बाबत तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष की बाबत बचत और 2 में निर्दिष्ट पेंशनों के बारे में सब उत्तरवर्ती राज्यों को किए गए कुल संदायों को संगणना में लिया जाता है, की बाबत विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कुल दायित्व का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजन जनसंख्या के अनुसार रखा जाएगा और अपने द्वारा देय अंश से अधिक का संदाय करने वाले किसी उत्तरवर्ती राज्य की प्रतिपूर्ति उत्तरवर्ती राज्य या कम संदाय करने वाले राज्य द्वारा की जाएगी।

4. नियत दिन के पूर्व अनुदत की गई और विद्यमान राज्य के राज्य क्षेत्र से बाहर किसी भी वाली पेंशनों के बारे में विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य का दायित्व, पैरा 3 के अनुसार किए जाने वाले अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश राज्य का दायित्व होगा, मानो पेंशन पैरा 1 के सभी खजाने से ली गई हों।

5.(1) विमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियत दिन के ठीक पूर्व सेवा करने वाले और उस दिन या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की पेंशन के बारे में दायित्व उसे पेंशन अनुदत करने वाले उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा, किन्तु किसी ऐसे अधिकारी को विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा के कारण तात्पर्यित पेंशन का भाग उत्तर प्रदेश राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाएगा और पेंशन अनुदत करने वाली सरकार, अन्य उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक राज्य से इस दायित्व का की हकदार होगी।

(2) यदि ऐसा कोई अधिकारी नियत दिन के पश्चात् पेंशन अनुदत करने वाले राज्य से भी उत्तरवर्ती राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा करता रहा हो, तो पेंशन अनुदत करने वाला राज्य उसके रकम की प्रतिपूर्ति करेगा जिसके द्वारा पेंशन की रकम अनुदत की गई है, जिसको नियत दिन पर

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री एस०जे० सुल्तान  
उप-महालेखाकार  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं लेख परीक्षा)  
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 21 अक्टूबर, 2003

विषय:-अन्तर्राज्यीय समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या ए०सी०-डिपाजिट/8793/उ०प्र० पुनर्गठन/66 दिनांक 28-4-2003 का सन्दर्भ लें, जिसमें अन्तर्राज्यीय समायोजन हेतु दोनों राज्यों की सहमति पर ही इस लेखाशीर्षक में आहरण सम्भव होगा। इस सन्दर्भ में यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि दिनांक 22-1-2001 को उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें उत्तरांचल के अधिकारी तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल ने भाग लिया था, में निर्णय लिया गया था कि कतिपय भुगतान उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार की एक बैठक दिनांक 24-2-2001 को महालेखाकार के संयोजन में इलाहाबाद में हुई थी तथा अनेक बिन्दुओं पर दिनांक 22-1-2001 की बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गयी थी। उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रकार के निर्णयों का सम्मान न किये जाने के कारण दिनांक 21-2-2002 को भारत सरकार की एक बैठक में विचार विमर्श किया गया और भारत सरकार ने इस प्रकरण में विधि मंत्रालय से राय प्राप्त करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार निर्णय अब भी प्रतीक्षित है। अतः जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाय ऐसे भुगतानों के बाउचर अलग से बना कर अन्तर्राज्यीय समायोजन के अधीन रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

कृपया उपरोक्त से अवगत हाते हुये भारत सरकार के निर्णय तक पूर्व व्यवस्था यथावत रखी जाय।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव वित्त।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 20 जनवरी, 2004

विषय:- अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों के विषय में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनु0-1 की अधिसूचना सं07098/का0-1/2001 दिनांक 28 नवम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं की अधिवर्षता की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी और इसके विन्दु-4 में आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाने के क्रम में प्रदेश के अनेक विभागों द्वारा सेवानैवृत्तिक लाभों के विषय में अनेक जिज्ञासाएँ की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किए जाने के फलस्वरूप अब 60 वर्ष की उक्त विस्तारित अवधि को समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ यथा पेंशन, सेवानैवृत्तिक अनुतोषिक एवं ग्रेच्युटी आदि हेतु गणना की जायेगी।

भवदीय,


इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: 1143/वि0अनु03/2003/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. शासन के समस्त अनुभाग।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आइ0सी0

उत्तरांचल, देहरादून को इस आशय में प्रेषित  
कि विवरण इंटरनेट पर डलवाया जाय।

आज्ञा से,  
  
( टी0एन0सिंह )  
अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- (2) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 26 अगस्त, 2004

विषय - राज्य सरकार के सेवा निवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जीवित प्रमाण पत्र भरने की सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल के समस्त कोषाधिकारियों को जीवन प्रमाण पत्र विषयक पत्रांक 2912/22 (22) / प्रा0वि0/नि0 का0 वि0 से0/2003 दि0 19 दिसम्बर, 2002 एवं पत्रांक 1413/ 22 (22)/ प्रा0 वि0/नि0 का0 वि0 से0/2003 दि0 8 अक्टूबर, 2003 के क्रम में निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल के अर्द्धशासकीय पत्र सं0- 2786/नि0 ले0 ह0/विविध दि0 20 अक्टूबर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने कर निदेश हुआ है कि वर्तमान में पेंशनरों के लिए लागू एकल नाम से बैंक में खोले गये खाते के माध्यम से कोषागार द्वारा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि पेंशनर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष में एक बार माह नवम्बर में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर- 518 के अर्न्तगत आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। इस सम्बन्ध में शासन को विभिन्न पेंशनर संघों से प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि प्रत्येक पेंशनर को कोषागार में उपस्थित होने में अत्यन्त वृद्ध, रूग्ण, अशक्त, विकलांग पेंशनरों को समस्या होती है और प्रायः समय से प्रमाण पत्र न देने से आगामी माहों के पेंशन में विलम्ब के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2- इस प्रकरण पर शासन द्वारा विचार विमर्श करके पेंशनरों को सुविधा प्रदान किये

जाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:-

- (क) जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरांचल में स्थित उस बैंक शाखा के प्रबन्धक भी अधिकृत होंगे जिस बैंक शाखा में सम्बन्धित पेंशनर का पेंशन खाता (एकल नाम से बैंक खाता) है। पेंशनर के अनुरोध पर संशोधित प्रारूप में जीवन प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक (अर्थात् जहाँ पेंशन खाते खुले हैं) द्वारा भी दो प्रतियों में दिया जा सकेगा जो कोषागार में स्वीकार किया जायेगा। बैंक शाखा प्रबन्धक ऐसे प्रमाण-पत्र को कोषागार से आने वाले विशेष वाहक, जो कि पेंशनभोगियों के पेंशन संबंधी भुगतान का चेक/भुगतान विवरण लेकर आते हैं के माध्यम से कोषागार में भेजा जाय।

(2)

(ख) जीवन प्रमाण पत्र की एक प्रति सम्बन्धित पेंशनर को उपलब्ध करायी जा सकती है, जिसे पेंशनभोगी चाहे तो सीधे कोषागार अथवा उससे सम्बद्ध उपकोषागार को उपलब्ध करा सकता है। प्रमाण पत्र की एक प्रति अनुवर्ती सत्यापन और अभिलेख के लिए बैंक शाखा में रखी जायेगी। यदि उपकोषागार में जीवन प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराया जाय तब उपकोषागार उसे अबिलम्ब कोषागार में भेजेगा।

(ग) जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा इस प्रकार जारी प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बैंक के नोडल कार्यालय/शाखा (सम्बन्धित बैंक द्वारा एतदर्थ नामित) से सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से विलम्बतम दो माह के अन्दर करायेंगे। इस हेतु प्रमाण पत्रों को मूलरूप में बैंक शाखावार सूचीबद्ध करते हुए सम्बन्धित नोडल कार्यालय/शाखा को सत्यापन उपरान्त वापसी के अनुरोध सहित भेजा जायेगा।

3-बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स के आयकर के सम्बन्ध में पेंशन से आय विषयक निर्धारित प्रपत्र(आयकर-16ए) का विवरण निर्धारित समय पर वह कोषागार जहाँ पर सम्बन्धित पेंशनर्स के मूल पेंशन प्रपत्र रखे हैं,के द्वारा सीधे बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैंक की सम्बन्धित शाखा जहाँ पर पेंशनभोगी का खाता है द्वारा उक्त आयकर प्रपत्र सम्बन्धित पेंशनभोगी को हस्तान्तरित करेगा।

4-उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा संबन्धित स्तरों से निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

सधा रतूडी  
सचिव

संख्या-1088 xxvii(3)पे0/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- (2) निदेशक, पेंशन लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
- (3) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
- (4) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- (5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (6) भारतीय स्टेट बैंक तथा समस्त अनुसूचित बैंकों के प्रबन्धक।
- (7) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल देहरादून।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

शासनादेश संख्या / XXVII(3)पें / 2004 का संलग्नक

फार्म संख्या 3 (1)

पेंशनरों द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रनाय पत्र

(प्रस्तर 17 देखा जाय)

i- जीवन-प्रनाय-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी/खाताधारक श्री/श्रीमती.....

(पेंशन भोगी/खाताधारक का नाम)जो पेंशन भुगतान संख्या...../बैंक खाता

संख्या..... के हस्ताक्षर संख्या.....का धारक है, को स्वयं देखा है और

यह कि वह आज की तारीख में जीवित है ।

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

अधिकृत अधिकारी का नाम .....

शाखा प्रबन्धक का नाम.....

.....

.....

स्थान .....

नमूना हस्ताक्षर संख्या.....

बैंक शाखा का नोस.....

दिनांक.....

पेंशन भोगी/खाताधारक का हस्ताक्षर  
अथवा निशान अगूठा

(जो लागू न हो उसे काट दिया जा

फार्म संख्या 8(2)

2. रोजगार सहित होने संबंधी प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है (उत्तरांचल प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार को पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार की परिधि के बाहर या किसी भी सरकार (केन्द्र, राज्य या केन्द्र शासित) के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है /स्वीकार नहीं किया है, (केवल उत्तरांचल प्रदेश के प्रथम श्रेणी के अधिकारक द्वारा दिया जाना है)

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पेंशन भोगी का नाम.....

फार्म संख्या 8(3)

3. पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूंगा/करूंगी।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पेंशनभोगी का नाम.....

पेंशन भुगतानादेश संख्या.....

पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की

बैंक का नाम/शाखा/खाता

संख्या.....

जन्मतिथि.....

पेंशन द्वारा सेवा में प्रथम बार कार्य  
भार (ग्रहण)करने की तिथि.....

'जो लागू न हो उसे काट दिया जाए'

नोट: कृपया कोषागार अभिलेखों में उपलब्ध हस्ताक्षर के अनुरूप ही हस्ताक्षर करने की कृपा करें।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शारान।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष /  
कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

वित्त अनु0-1

देहरादून, दिनांक 29 नवम्बर, 2004

विषय: पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित देयकों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-04/वि0अनु0-1/2001-2002, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 के द्वारा वेतन से संबंधित भुगतान, सेवानिवृत्तिक लाभ, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के 90 प्रतिशत भुगतान, सेवानिवृत्त होने पर अर्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान, सेवानिवृत्ति के उपरांत गृह-जनपद हेतु की गई यात्रा भत्ते का भुगतान, सेवानिवृत्त पेशानर्स की चिकित्सा प्रति-पूर्ति का भुगतान, सामूहिक बीमा योजना संबंधी भुगतान उत्तरांचल राज्य के बजट साहित्य में इंगित सुसंगत-लेखा शीर्षक के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, जिसके साथ मुख्य लेखा-शीर्षक-8793-अन्तरराज्जीय समायोजन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 भी दर्शाया जाना था। जिससे राज्य द्वारा किये गये भुगतान का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर कर इसकी प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो सके।

अन्तरराज्जीय समायोजन से उक्त मदों की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहमति उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं दी गयी है, जिसके कारण महालेखाकार द्वारा ऐसे भुगतानों को अन्तरराज्जीय समायोजन के अंतर्गत पुस्तकित नहीं किया जा रहा है तथा इन मदों में स्वीकृत धनराशि के नकद भुगतान का शत-प्रतिशत भार राज्य पर पड़ रहा है।



अतः इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जो कर्मचारी स्थायी रूप से उत्तरांचल हेतु आवंटित किये जा चुके हैं अथवा जिन्होंने उत्तरांचल का विकल्प दिया है उत्तरांचल में ही कार्यरत हैं, के दिनांक 09.11.2000 के पूर्व के प्रस्तर-1 में इंगित मर के अवशेष दावों का भुगतान नियमानुसार परीक्षण एवं पूर्व लेखा परीक्षा करने के पश्चात् उत्तरांचल के बजट साहित्य में इंगित सुसंगत लेखा-शीर्षकों के अंतर्गत ही किया जायेगा।

इस सीमा तक शासनादेश संख्या-04/वि0अनु0-1/2001-2002, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 संशोधित समझा जायेगा।


भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-10/0 (1)/वि0अनु0-1/2004 एवं तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- श्री आर0के0सिंह, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  - 2- अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/समस्त सचिव, उत्तरांचल शासन।
  - 3- महालेखाकार, उत्तरांचल, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
  - 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल।
  - 5- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
  - 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
  - 7- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
  - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञासे,


  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव, वित्त।

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या/494XXVII(3)म.रा./2004  
लखनउ:दिनांक 16, दिसम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा-54 के साथ पठित अनुसूची-8 के अनुसार राज्य गठन के पूर्व (9 नवम्बर, 2000) सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उक्त दिनांक के पूर्व की सेवा की पेन्शन जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य के बीच प्रभाजन की व्यवस्था है ।


2. उत्तरांचल राज्य के विभिन्न पेन्शनर संघों द्वारा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य की सेवाओं पर देय पेन्शन एवं अनुमन्य लाभों को उत्तरांचल राज्य की भागौलिक सीमा के कोषागारों में उत्तरांचल राज्य के पेन्शनर्स की भांति मंहगाई राहत एवं मूल पेन्शन में 50 प्रतिशत मंहगाई राहत के जोड़ने का लाभ उनको भी अनुमन्य कराये जाने की मांग की जा रही है । पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्र के समान मंहगाई राहत के भुगतान का सिद्धान्त लागू था तथा पुर्नगठन अधिनियम, 2000 में जो जिस कोषागार से पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं प्राप्त करते रहेंगे, अतः उक्त श्रेणी के पेन्शनर्स को मात्र मंहगाई राहत की अनुमन्यता का प्रकरण विचाराधीन है । अतः इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त श्रेणी के पेन्शनर्स को मात्र मंहगाई राहत का भुगतान उत्तरांचल के पेन्शनर्स की भांति किया जाय तथा 50 प्रतिशत मंहगाई राहत को पेन्शन में जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश से सहमति होने पर अलग से आदेश जारी किया जायेगा ।

  
राधा शर्मा  
सचिव, वित्त

संख्या 1494XXVII(3)म.रा. / 2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल ।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
6. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
7. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून ।
8. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल ।
9. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमायूँ ।
10. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबैराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून  
को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य  
के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का  
कष्ट करें ।
11. महालेखाकार (II), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
12. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर / देहरादून ।
13. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
14. वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल
15. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से  
  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन  
वित्त अनुभाग-3  
संख्या 91 XXVii (3)पे0रा10 / 2005  
देहरादून, दिनांक 24 फरवरी, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पेन्शन के एक भाग के राशिकरण के प्रतिशत में संशोधन।

महोदय,

राज्य सरकार के पेन्शनरों को वेतन समिति, उ0प्र0, 1997 की संस्तुतियों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-3-1720 / दस-308-97 दिनांक 23 दिसम्बर 1997 के बिन्दु 7 में पेन्शन के एक निर्धारित 40 प्रतिशत के भाग तक की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य है।

2. न्यायिक अधिकारियों को देय सुविधाओं पर विचार विमर्श हेतु गठित शेट्टी कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-7-2004 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 द्वारा पेन्शन के राशिकरण हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत के भाग को तात्कालिक प्रभाव से 50 प्रतिशत के भाग में पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अर्थात् उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप अब प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को पेन्शन के 50 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। राशिकरण के सम्बन्ध शेष सभी व्यवस्थाएँ पूर्ववत् ही रहेंगी।

राधा रतूड़ी,  
सचिव वित्त।

संख्या 91 XXVii (3)पे0रा10 / 2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. रजिस्टार, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. न्याय अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह,  
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त  
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव, शिक्षा,  
उत्तरांचल शासन ।
3. सचिव, कृषि,  
उत्तरांचल शासन ।

वित्त अनु-3

देहरादून: दिनांक 18 जून, 2005

विषय:- राज्य के विश्व विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विश्व विद्यालयों, कृषि विश्व विद्यालय, तथा उनसे संबद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के शाराग द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग-अलग सेवानैवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) राहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्तानुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

3. ग्रेच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा रागरत धनराशि, उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे

4. 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा । जिन शिक्षकों से सत्रांश तक कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के

अधीन की जायेगी तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर- 520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5. उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य के विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियम/नियम, कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिनियम/नियम एवं माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 22xxvii(3)अ.आ./2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओवैराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
6. कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल / कुमाँयू विश्वविद्यालय, नैनीताल / कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, नैनीताल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल।
8. मण्डलायुक्त, कुमाँयू / गढ़वाल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त वित्त अधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
11. रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
12. शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग / कृषि एवं जलागम अनुभाग।
13. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा रो,  
7/1/05  
(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, शिक्षा,  
उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, कृषि,  
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 25 जून, 2005

विषय:- राज्य के विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-220/XXVii (3)अ0आ0/2005 दिनांक 18 जून, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 की प्रथम पंक्ति में 58 वर्ष की आयु के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पढ़ा जाय।

उक्त शासनोश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 248 XXVii (3)अ0आ0 / 2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
6. कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय गढ़वाल / कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल / कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय पन्तनगर, नैनीताल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्डरनल आडिटर, उत्तरांचल।

8. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
11. रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
12. शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग।
13. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह

अपर सचिव।



प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/कोषागार अधिकारी,  
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 17 अगस्त, 2005

विषय-भारत सरकार के फाइनेन्स एक्ट-2005 की धारा 93 से 112 के अधीन बैंकिंग कैंश ट्रान्जैक्शन टैक्स (बीसीटीटी) काटने के सम्बन्ध में राज्य के संवितरण अधिकारियों के कर्तव्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या-142/14/2005-टीपीएल, दिनांक 15 जून, 2005 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधिष्ठान के व्यक्ति या संगठन यदि बैंक से नकद आहरण करते हैं तब व्यक्ति द्वारा एक दिन में अधिकतम रू० 25,000 (पच्चीस हजार) तक, व्यक्ति से भिन्न (यथा शासकीय संवितरण अधिकारी द्वारा) एक दिन में अधिकतम रू० 1,00,000 (एक लाख) तक का आहरण करने पर कोई कर देय नहीं होगा, परन्तु इस सीमा से अधिक धनराशि आहरित करने पर 0.1 प्रतिशत की दर से बैंकिंग कैंश ट्रान्जैक्शन टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली धनराशि से की जायेगी। उत्तरांचल में सरकारी सेवकों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किये जाने वाले सभी प्रमुख भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने के निर्देश हैं परन्तु शासनादेश संख्या-235/21/वि०अनु०-1/2001, दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 के प्रस्तर-8 में पुलिस तथा वन विभाग के कतिपय कर्मचारियों को विकल्प के आधार पर छूट दी गयी थी कि वह चाहें तो संवितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) के माध्यम से नकद भुगतान भी ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को दृष्टि में रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अब पुलिस एवं वन विभाग सहित सभी सरकारी सेवकों के वेतन/पेंशन सम्बन्धी भुगतान बैंक खाते के माध्यम से ही किये जायें। किसी निजी व्यक्ति अथवा निजी संगठन का भुगतान यदि रू० 2000 (दो हजार) से अधिक हो, तब पूर्व से शासनादेशों में प्राविधान है कि ऐसे भुगतान बैंक खाते के माध्यम से (एकाउन्ट पेयी) किये जायें। अतः इस प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन किया जाय कि ऐसे पक्ष यदि स्थानीय हैं तब बैंक खाते के माध्यम से चेक द्वारा अथवा एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाय।

2- शासकीय कार्यों में दिन-प्रतिदिन के पूर्व से निर्दिष्ट छोटे व्ययों (पेटी एक्सपेन्डीचर) यथा पेट्रोल का क्रय/वाहन रखरखाव आदि हेतु कार्यालयाध्यक्ष को पाँच हजार रूपये तथा विभागाध्यक्ष को पच्चीस हजार रूपये तक अग्रिम आहरित करने का प्राविधान है, अतः उसी सीमा तक एक दिन में अति आवश्यक प्रकरणों में बैंक से नकद आहरण करने तथा नकद वितरण करने की प्रक्रिया पूर्ववत् बनी रहेगी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ नकद आहरण किया जाना आवश्यक हो, कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक पर स्पष्ट रूप से "नकद आहरण" लिखा जाये, ताकि कोषागार अनेक देयक के

स्थान पर एक चेक निर्गत करने की प्रक्रिया से भिन्न ऐसे देयकों का स्वतंत्र चेक निर्गत कर सकें।

3- सरकारी कर्मचारियों को वेतन/पेंशन प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित कोषागार के कार्यक्षेत्र के किसी बैंक शाखा में खाता खोला जा सकता है तथा अधिकतर शहरी क्षेत्र में ऑटोमेटिक टेलर मशीन (एटीएम) की भी सुविधा उपलब्ध है, अतः सम्बन्धित संवितरण अधिकारी सरकारी सेवक के विकल्प के अनुसार खाता खुलवा कर वेतन, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अग्रिम आदि का भुगतान उसी खाते के माध्यम से भुगतान करें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय अन्यथा सरकारी भुगतान से बैंकिंग केश ट्रान्जैक्शन टैक्स की कटौती होने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)  
सचिव।

पत्रांक- 321 (1) / XXVII(4) / 2005, दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/संवितरण अधिकारी, उत्तरांचल।
- 3- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 4- रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
- 6- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 7- समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
- 8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. उत्तरांचल एकक, देहरादून।
- 9- डिप्टी जोनल मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक उत्तरांचल, देहरादून कृपया अपनी सभी शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,  
कृषि,  
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2005

विषय : राज्य के कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता विषयक शासनादेश, दिनांक 18-6-2005 के प्रस्तर 1 व 3 में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 220/XXVII(3)/अ0आ0/2005, दिनांक 18-6-2005 के प्रस्तर 1 एवं 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

शासनादेश संख्या 220/xxvii(3)/अ0आ0/2005 दिनांक 18-6-2005 में प्राविधान	प्रतिस्थापन
<p>प्रस्तर-1-राज्य के विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता की आयु पूरी होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग-अलग सेवानैवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) सहित सेवानैवृत्तिक लाभ।</p>	<p>प्रस्तर-1-राज्य के विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के शासन एवं विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता की आयु पूरी होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग-अलग सेवानैवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) सहित सेवानैवृत्तिक लाभ।</p>
<p>प्रस्तर-3-ग्रेच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि, उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।</p>	<p>प्रस्तर-3-ग्रेच्युटी तथा पेंशन का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि, शासन के प्राप्ति "लेखा शीर्षक 0435 अन्य कृषि कार्यक्रम 800-अन्य प्राप्तियों में राजकोष में जमा करने तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि लेखाशीर्षक 8338-स्थानीय निधियों की जमा-104-अन्य स्वायत्तशासी निकायों की जमा-03-अन्य सहायतित शिक्षण संस्थाओं के महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भविष्य निधि की लेन देन" में संशोधन के दिनांक से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।</p>

शासनादेश संख्या 220/XXVII(3)/अ0आ0/2005, दिनांक 18-6-2005 केवल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के लिए ही उपरोक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश दिनांक 18-6-2005 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीया,  
राधा रतूड़ी  
सचिव

संख्या 1190(1)/XIII-II/215(2)/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. कुलपति, पंतनगर विश्वविद्यालय।
4. कुलसचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर, उत्तरांचल।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूँ।
7. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
8. वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
9. रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-2/3।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह  
अपर सचिव

प्रेषक,

राधा स्तूडी,  
सचिव, वित्त  
उत्तरांचल शासन,  
देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

वित्त अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 19 सितम्बर, 2005

विषय-दिनांक 09.11.2000 के पूर्व सेवा निवृत्त अथवा सेवा पर सेवा नैवृत्तिक लाभ, पेंशन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,


आप अवगत हैं कि उपरोक्त विषय हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- 2000 की धारा-54 के साथ पठित शैड्यूल-8 में पेंशन सम्बन्धी प्रभाजन तथा प्रक्रिया स्पष्ट है कि जो जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पूर्ववत् प्राप्त करेंगे। पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी पेंशन सम्बन्धी लेखा शीर्षक से किये जाने की प्रक्रिया है। कतिपय पेंशनर्स द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ पेंशनर जो उत्तर प्रदेश से पेंशन पा रहे हैं उनके सेवाकाल के कार्यालय अब उत्तरांचल क्षेत्र में हैं तथा कुछ पेंशनर जो उत्तरांचल से पेंशन पा रहे हैं उनके सेवाकाल के कार्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, जिसके कारण उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं भुगतान प्राप्त करने में असुविधा हो रही है।

उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-सा-3-1071/दस-2002-308(9)/ 2002, दिनांक 15 जून, 2002 (प्रति संलग्न) में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों (चिकित्सा प्रतिपूर्ति का उल्लेख नहीं) में निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश के माध्यम से निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड़, (डालनवाला) देहरादून को प्राधिकार पत्र भेजा जायेगा तथा उनके द्वारा उत्तरांचल के सम्बन्धित कोषागार को भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र अग्रसारित किया जायेगा। जो प्रकरण उत्तरांचल में स्वीकृत किया जायेगा उसे निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल के माध्यम से निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्द्रा भवन, लखनऊ को भेजा जायेगा, जिसे वह उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित कोषागार को भुगतान हेतु अग्रसारित करेंगे। उक्त आदेश के क्रम में उत्तरांचल द्वारा भी शासनादेश संख्या- 1005/वि0अनु0-4/2003, दिनांक 12 सितम्बर, 2003 (प्रति संलग्न) द्वारा पुष्टि की गयी है।

कृपया उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेशों के क्रम में पुनः स्पष्टीकरण जारी किया जाना उचित होगा कि सेवा नैवृत्तिक लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति को भी सम्मिलित समझा जाय, क्यों कि पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान पेंशन मद से ही किये जाने की प्रक्रिया है तथा जिन पेंशनभोगियों के सेवाकाल के


विभागीय कार्यालय जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं वहाँ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकार कर निदेशक (पेंशन सम्बन्धी कार्य) के माध्यम से भुगतान हेतु भेजा जाये तथा ऐसे भुगतान का लेखांकन दिनांक 09.11.2000 के पूर्व में देय पेंशन के मद से किया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,  
  
राधा रतूड़ी  
सचिव, वित्त।

संख्या--362(1)/XXVII(4)/2005, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्द्रा भवन, लखनऊ।
  - 2- निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड (डालनवाला), देहरादून।
  - 3- उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स संगठन, देहरादून/हरिद्वार।
  - 4- श्री चन्द्रशेखर, मुख्य अभियन्ता (से0नि0), 49/II वसन्त विहार, देहरादून।

आज्ञा से  
  
(टी0एन0 सिंह)  
अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव, शिक्षा,  
उत्तरांचल शासन।

वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनु0-7

देहरादून : दिनांक 25 सितम्बर, 2005

विषय : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता की व्यवस्था से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या : 220/XXVII(3)/अ0आ0/2005, दिनांक 18 जून, 2005 द्वारा अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। सेवानिवृत्तिक लाभों की व्यवस्था के विषय में प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सन्दर्भ में विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश, दिनांक 18-6-2005 में दी गयी व्यवस्था तथा विभाग द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे निम्नानुसार बिन्दुवार रिश्ति स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है:-

1-जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30 जून, 2005 थी तथा पूर्व में जिन्होंने 58 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया था, ऐसे शिक्षक उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप अब 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होंगे तथा उन्हें ग्रेच्युटी की अनुमन्यता होगी।

2-58 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले ऐसे शिक्षक जो दिनांक 30-6-2005 तक सत्रान्त विस्तार पर चल रहे थे, उनको भी उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्तिक तथा ग्रेच्युटी के लाभ की अनुमन्यता होगी।

3-शासनादेश, दिनांक 18 जून, 2005 के प्रस्तर-4 में शिक्षकों की अधिवर्षता की तिथि को सेवानिवृत्त होने एवं सत्रान्त तक पुनर्नियुक्त किये जाने की व्यवस्था उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवम् परिषद के विनियम में संशोधन किये जाने तक स्थगित रहेगी तथा विनियम के प्राविधानों के अनुसार ही शासित होगी।

4-शिक्षण सत्र की अनवरतता हेतु अधिनियम/परिनियम में संशोधन होने तक मानक पूर्ववत् रहेंगे।

भवदीय,  
इन्दु कुमार पान्डे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 17(1)/XXIII(7)अ0आ0/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इटरनल ऑडिटर, उत्तरांचल।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
9. शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग।
10. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
टी0एन0 सिंह  
अपर सचिव।



प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

- (1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- (2) समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
उत्तरांचल।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक: 18 अक्टूबर, 2005

विषय:—राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र भरने की सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जीवित प्रमाण पत्र नवम्बर माह में जमा करने के निर्देश शासनादेश संख्या: 1088 XXVII(3)/पें/2004, दिनांक: 26 अगस्त, 2004 के द्वारा निर्गत किये गये थे लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि प्रदेश के अनेक बैंक जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कोषागार में ही जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कराने के लिए पेंशनर्स को निर्देश दे रहे हैं, जिससे रूग्ण एवं वृद्ध पेंशनरों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और इसके फलस्वरूप नवम्बर एवं इसके आगामी माह की पेंशन का समय से भुगतान उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह में उत्तरांचल राज्य में स्थिति पेंशनर जिस बैंक से अपनी पेंशन आहरित कर रहे हैं उसी बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा ही 2 प्रतियों में फार्म संख्या 8-1 पर सम्पूर्ण सूचनाओं को भर कर सम्बन्धित पेंशनर से जीवित प्रमाण पत्र लेकर उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कोषागार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में पूर्व में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया व अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन बैंकों एवं कोषागारों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)

सचिव

संख्या ७७ (1)xxvii(7)पै० / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, देहरादून ।
2. निदेशक, पेंशन लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल ।
3. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल ।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. भारतीय स्टेट बैंक तथा समस्त अनुसूचित बैंकों के प्रबन्धक ।
7. निदेशक, एन०आई०सी० देहरादून ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञासे

7/2

(टी०एन०सिंह)

अपर सचिव

प्रेषक,  
टी0एन0सिंह,  
अपर सचिव, वित्त  
उत्तरांचल शासन ।  
सेवामें,  
सचिव, शिक्षा  
उत्तरांचल शासन

वित्त(सामान्य नियम-वे0आ0)अनु-7

देहरादून:दिनांक 31 अक्टूबर, 2005

विषय:-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता की व्यवस्था से सम्बन्धित स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश का संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनु-7 के शासनादेश संख्या 17 / XXvii(7)अ.आ. / 2005 दिनांक 25 सितम्बर, 2005 में त्रुटिपूर्वक "दि025 अक्टूबर, 2005" के स्थान "दि0 25 सितम्बर, 2005" अंकित हुआ है अतः इसे अब उक्त के स्थान पर "दि025 अक्टूबर, 2005" पढ़े जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उपरिउल्लिखित शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय

टी0एन0 सिंह  
अपर सचिव ।

संख्या 28 xxvii(7)अ.आ. / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून ।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल ।
6. मण्डलायुक्त, कुमाँयू/गढ़वाल ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
8. समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
9. रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून ।
10. शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग ।
11. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(आर0सी0शर्मा)  
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु-7  
संख्या 189/xxvii(7)/2006  
देहरादून, दिनांक 06 मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 471/xxvii(3)/2005 दिनांक 7 अक्टूबर 2005 के द्वारा दिनांक 9 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा की गई सेवा के लिए उत्तरांचल क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2005 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित कराने की स्वीकृति दी गई थी।

2 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं-3-1517/10./2005-308/2004 दिनांक 31 जनवरी 2006 के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2004 से दिनांक 31 जनवरी 2005 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण में हानि को बचाने हेतु उनके मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई राहत की सुविधा प्राकल्पित आधार पर संविलियन मानते हुए पेंशन निर्धारण की गणना करने तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह की अवधि ऐसे संविलियन से आच्छादित होने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

3. उपरोक्त प्रस्तर-2 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण में कोई हानि न हो, इस हेतु मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते को दिनांक 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को दिनांक: 01 अप्रैल, 2004 के पूर्व से ही ऐसी तिथि से प्राकल्पित आधार पर संविलियन मानते हुए पेंशन निर्धारण की गणना की जायेगी, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह की अवधि ऐसे संविलियन से आच्छादित हो जाये।

4. जिन मामलों में पेंशन राशिकरण पूर्व में स्वीकृत हो चुका है, उनसे इसका पुर्ननिर्धारण नहीं किया जायेगा।

5. उपर्युक्त के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप सं0 471/xxvii(3)/2005 दिनांक 7 अक्टूबर 2005 एवं अन्य सुसंगत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव।

संख्या 189(1)/xxvii(7)/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।

6. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून।
7. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल।
10. महालेखाकार द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीश्नर, कानपुर/देहरादून।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
14. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7

देहरादून, दिनांक : 18 मई, 2006

विषय:-दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल शासन के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में चिकित्सा अनु0- 2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या - 1180/चि0-2-2003-437/2002, दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर - 8 में व्यवस्था की गई है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवकों के परिवार की पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को अविभाजित उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में विभाजन हो जाने के बाद ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये गये हैं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके आश्रित पुर्नगठित उत्तरांचल के कोषागार में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सरकारी सेवकों/उनके आश्रितों द्वारा चिकित्सा/उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे कहाँ प्रस्तुत किये जाय, उनके भुगतान/निस्तारण की प्रक्रिया क्या होगी।

2. अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामलों के निस्तारण निम्नानुसार किया जायेगा -

- (1) जिन प्रकरणों में सेवानिवृत्त पेंशनर्स उनके आश्रित का पेंशन भुगतान उत्तरांचल राज्य की सीमा में स्थित कोषागार से किया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे चाहे वे किसी भी धनराशि के हों, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ही प्रस्तुत किये जायेंगे तथा साथ में यथास्थिति पेंशनर/आश्रित की शिनाख्त का प्रमाण पत्र भी पेंशनर्स के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा (जैसे कोषाधिकारी का प्रमाणीकरण)। उदाहरण स्वरूप लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता अथवा उसके आश्रित की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा उत्तरांचल के मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के

कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, भले ही 09.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से हुआ हो।

- (2) जहाँ कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहाँ चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे सीधे उत्तरांचल शासन के प्रशासकीय/नोडल विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। उपरोक्त प्रकार के चिकित्सा दावों का परीक्षण उस मण्डल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा किया जायेगा।
- (3) यदि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों में निहित धनराशि रु० 50,000 की लागत से अधिक है (यथा प्रशासनिक विभाग में निहित सीमा) तो विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रशासकीय विभाग को अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त प्रकार के मामलों के निस्तारण में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/विभाग को यदि सेवानिवृत्ति के कार्यालय से किसी सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो वे उत्तर प्रदेश सरकार के समकक्षीय विभागाध्यक्ष/विभाग अथवा सीधे सम्बन्धित कार्यालय से ऐसी सूचना लेंगे।

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

4. उपरोक्त प्रकार के मामलों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के जो दावे लम्बित चले आ रहे हैं उनका उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

5. विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के आदेश/प्रस्ताव में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय कि उक्त प्रतिपूर्ति का दावा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/उसके आश्रित सदस्य/पारिवारिक पेंशन का है, ताकि उक्त दावों में भुगतानित धनराशि के दोनों राज्यों के बीच प्रभाजन में सुगमता हो।

6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान पेंशन संबंधी लेखा शीर्षक से किया जाता है अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान का देयक पेंशन की भांति संबंधित कोषागार द्वारा तैयार कर संबंधित पेंशनर्स के खाते में जमा किया जायेगा।

7. राज्य गठन के पूर्व सेवानिवृत्त उक्त श्रेणी के पेंशनर्स के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति भुगतान सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अनुदान संख्या - 7 के लेखाशीर्षक 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ (क्रमशः) 01 सिविल (क्रमशः)- आयोजनेत्तर 800- अन्य व्यय- 06- सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तर प्रदेश) 42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,  
राधा रतूडी  
सचिव, वित्त

संख्या : 58 (1)/XXVII(7)पे0/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, उत्तरांचल, देहरादून।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
9. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायू।
10. रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)  
अपर सचिव, वित्त



प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल, शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,  
सहस्टेट इण्टरनल ऑडीटर उत्तरांचल।
- 2-निदेशक, लेखा हकदारी,  
उत्तरांचल।
- 3-समस्त पेंशन स्वीकृति/निर्गत के सक्षम अधिकारी,  
उत्तरांचल।
- 4-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तरांचल।
- 5-समस्त कोषाधिकारी,  
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 01 सितम्बर 2006

विषय:-निर्धारित पेंशन प्रपत्रों के साथ प्रपत्र-1 भाग-4(अ) का जोड़ा जाना तथा पेंशन हेतु भरे जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ संशोधित प्रपत्र-1 का संलग्न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या सा0-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक: 28 जुलाई, 1989 तथा शासनादेश संख्या-एस-3-2120/दस-1998 दिनांक: 18 अगस्त 1998 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्रकरणों को निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु निर्धारित पेंशन प्रपत्रों के साथ पेंशन प्रपत्र-1 भाग-4 (अ) को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी/पारिवारिक पेंशन भोगी पेंशन हेतु भरे जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ ही संशोधित प्रपत्र-1 कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित कर संलग्न कर दिया जाय ताकि पेंशन भोगी को प्रथम बार कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर अलग से संशोधित प्रपत्र-1 भरने की आवश्यकता न पड़े तथा पेंशन भोगी को पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 185(1)/XXVII(7)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष।
- 3-निदेशक, एन0आई0सी0 एकक, सचिवालय देहरादून।
- 4-वित्त अनुभाग-6।
- 5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
T. P. Singh  
(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

संशोधित प्रपत्र - 1

**कोषागार द्वारा पेंशन भोगी के खाते में सीधे चेक द्वारा प्रतिमाह देय पेंशन  
की धनराशि जमा करने का आवेदन पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री .....  
..... निवासी ..... पेंशन भुगतानादेश संख्या (पी.पी.ओ.  
संख्या) .....श्रेणी (उत्तर प्रदेश सरकार/मिलेट्री/  
रेलवे/राजनैतिक/केन्द्रीय/अन्य सरकार नाम सहित) ..... रूपये  
मात्र की देय धनराशि बैंक में कोषागार द्वारा सीधे जमा करने हेतु बैंक ..... शाखा .....  
..... में खाता संख्या ..... अपने नाम (एकल खाता) में खुलवा लिया है।

2- मैं, सशपथ स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त खाते को मैं भविष्य में भी एकल खाता से भिन्न संचालित नहीं करूंगा।

3- यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं अन्यत्र किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/राज्य सहायता प्राप्त संगठन/संस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा कर कोई धनोपार्जन नहीं करता हूँ/करती हूँ। (महिलाओं के प्रकरण में पुनर्विवाह न करने की पुष्टि की जाय)।

4- मेरी मृत्यु होने की दशा में पेंशन सम्बन्धी जीवन कालीन अवशेष भुगतान श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (सम्बन्ध) निवासी .....  
..... को किया जाय।

5- यदि उपरोक्त प्रमाण से भिन्न कोई तथ्य सिद्ध होता है तब उसका पूरा दायित्व मुझ पर होगा एवं अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित मेरे/मेरे वारिस के चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जा सकेगा।

दिनांक :

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर .....  
पी. पी. ओ. संख्या .....

**कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी के हस्ताक्षर**

(नये प्रकरण में कार्यालयाध्यक्ष, पुराने पेंशन भोगी जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं के प्रकरण में कोषाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। नये पेंशन प्रकरण में पी.पी.ओ. संख्या पेंशन स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा भरा जाय)।

**टिप्पणी :-** यदि किसी कारणवश पेंशन के आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र- 1 न भेजा जाय तब इस कारण से पेंशन स्वीकृति न रोकी जाय, अपितु निर्देश दे दिया जाय कि कोषागार में प्रथम उपस्थिति के समय यह प्रपत्र भरा लिया जाय।

पेंशन प्रपत्र - 1 भाग -- 4 (अ)  
पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण की जांच आख्या

पेंशन का प्रकार :- अधिवर्षता/पारिवारिक/स्वैच्छिक/अन्य  
श्री/श्रीमती ..... पदनाम ..... विभाग .....  
..... के कार्यालय/संस्था ..... से दिनांक ..... को  
सेवानिवृत्त/दिवंगत, के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण की जांच आख्या निम्नवत् प्रस्तुत है :-

**1. सेवा में प्रवेश का विवरण :-**

(अ) प्रथम नियुक्ति की तिथि ..... (ब) पदनाम ..... (स) वेतनमान .....  
(द) मूल वेतन ..... (य) कार्यालय का नाम .....

**2. सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय अन्तिम पद का विवरण :-**

(अ) वेतनमान ..... (ब) मूल वेतन ..... (स) महंगाई भत्ता की दर (: में) .....  
(द) दस माह का औसत वेतन रू० ..... (य) अन्तिम वार्षिक वेतन वृद्धि का माह .....

**3. अर्हकारी सेवा का विवरण :-**

(अ) जन्म तिथि ..... (ब) सेवा निवृत्त/मृत्यु की तिथि .....  
(स) सेवा अवधि ..... वर्ष ..... माह ..... दिवस (द) अनर्ह सेवा अवधि ..... वर्ष ..... माह ..... दिवस  
(य) अतिरिक्त सेवा अवधि ..... वर्ष ..... माह ..... दिवस (र) कुल सेवा अवधि ..... वर्ष ..... माह ..... दिवस  
(ल) कुल अर्ह छ. माहियों की संख्या .....

4. स्थायीकरण की तिथि ..... पदनाम ..... वेतनमान .....

5. प्रपत्र - 1, भाग - 1/प्रपत्र- 1, भाग - 2 के सभी कालम ..... पूर्ण हैं/नहीं हैं।

6. प्रपत्र - 1, भाग - 3 दो प्रतियां ..... में हैं/नहीं हैं।

7. प्रपत्र - 1, भाग - 4 पर सेवा का विवरण पूर्ण रूप से सही ..... भरा है/नहीं भरा है।

8. (क) प्रपत्र - 1, भाग - 5 पर आगणन प्रस्तुत है/नहीं है- ..... है/नहीं है।

(ख) प्रस्तर - 16 व 26 के अनुसार किसी प्रकार की वसूली ग्रेच्युटी से - की जानी है/नहीं की जानी है।

9. क्षति पूर्ति बन्ध-पत्र-1/क्षति पूर्ति बन्ध पत्र-2 नियमानुसार ..... संलग्न है/नहीं है।

10. (क) पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित ..... है/नहीं है।

(ख) विभागाध्यक्ष के स्वयं मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्रकरण अग्रसारित किये ..... है/नहीं है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी का पदनाम व कार्यालय .....

11. अन्तिम अदेयता प्रमाण पत्र (प्रपत्र-2) संलग्न ..... है/संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

12. पारिवारिक पेंशन/जीवनकालीन अवशेष, भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का नाम व सम्बन्ध .....

13. पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु उपरान्त जीवनकालीन अवशेष, भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का नाम व सम्बन्ध .....

14. पारिवारिक पेंशन की स्थिति में मृतक सरकारी सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न ..... है/नहीं है।

15. अन्तिम पेंशन व ग्रेच्युटी की धनराशि, जिसका समायोजन अपेक्षित है।

(क) अन्तिम पेंशन की धनराशि .....

(ख) अन्तिम ग्रेच्युटी की धनराशि .....

16. राशिकरण के लिये आवेदन किया गया ..... है/नहीं है।

17. सम्पूर्ण सेवायें सत्यापित ..... है/नहीं है।

18. वाह्य सेवाओं का विवरण

(क) प्रतिनियुक्ति अवधि (कब से कब तक)

(ख) परिषदीय सेवाओं की अवधि (कब से कब तक)

(ग) अशासकीय सेवाओं की अवधि (कब से कब तक)

(घ) अंशदान जमा की जाने की पुष्टि में ट्रेजरी चालान की प्रति

संलग्न है/नहीं है।

19. प्रकरण के सम्बन्ध में यदि कोई वांछित सूचना हो तो उल्लेख करें।

20. कोषागार का नाम जहाँ पेंशन प्राप्त करनी है

21. बैंक का नाम (जहाँ से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं)

22. खाता संख्या .....

23. समय -- समय पर लागू पुनरीक्षित/संशोधित/समयमान/चयन/वैयक्तिक/प्रोन्नत/वरिष्ठ वेतनमान तथा विभिन्न पदों पर पदोन्नतियों का विवरण :-

पुनरीक्षित/समयमान/चयन/प्रोन्नत/वैयक्तिक वेतनमान व पदोन्नतियों का विवरण	विकल्प अथवा प्रभावी तिथि	वर्तमान वेतनमान	विकल्प/प्रभावी तिथि को मूल वेतन	रतम्भ-2 के अनुसार स्वीकृत वेतनमान	निर्धारित वेतन	पदोन्नति/प्रत्यावर्तन पदनाम/अन्य विवरण	सेवा पुस्तिका का भाग व पृष्ठ संख्या	क्या विस्तृत वेतन निर्धारित पत्र व आदेश संलग्न है ?
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पुनरीक्षित वेतनमान 1.4. 1965								
2. (अ) 1.4.65 से 1.8.72 के बीच संशोधित वेतनमान यदि हो (ब) पदोन्नतियां यदि हुई हों तो उनका विवरण								
3. पुनरीक्षित वेतनमान 1.8. 1972								
4. (अ) 1.8.72 से 1.7.79 के बीच संशोधित वेतनमान यदि हो (ब) पदोन्नतियां यदि हुई हों तो उनका विवरण (स) अन्य विवरण								
5. पुनरीक्षित वेतनमान 1.7. 1979								
6. (अ) 1.7.79 से 1.1.86 के बीच संशोधित वेतनमान यदि हो (ब) समयमान/चयन/प्रोन्नत/ वैयक्तिक वेतनमान (स) पदोन्नतियां यदि हुई हों तो उनका विवरण (द) अन्य विवरण								
7. पुनरीक्षित वेतनमान 1.1. 1986								
8. (अ) 1.1.86 से 1.1.96 के बीच संशोधित वेतनमान यदि हो (ब) पदोन्नतियों का विवरण (स) समयमान/चयन/प्रोन्नत/ वैयक्तिक स्वीकृत वेतनमान (द) पदोन्नतियों का विवरण (य) अन्य विवरण								
9. पुनरीक्षित वेतनमान 1.1. 1996								
10. (अ) 1.1.96 के पश्चात् संशोधित वेतनमान यदि								

स्वीकृत (ब) पदोन्नतियों का विवरण (स) समयमान/चयन/ प्रोन्नत/वैयक्तिक स्वीकृत वेतनमान (द) पदोन्नतियों यदि हुई हों तो उनका विवरण (य) अन्य विवरण								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

हस्ताक्षर  
जांच अधिकारी

हस्ताक्षर  
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी  
(सील सहित)

नोट :- समय-समय पर वेतनमानों के परिवर्तन होने पर उनसे सम्बन्धित कार्यालयादेश व वेतन अगणन प्रपत्र, सेवा पुस्तिका के साथ अवश्य संलग्न किया जाय।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तरांचल शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक: ०४ दिसम्बर, 2006

विषय:- अशासकीय महाविद्यालयों के सेवा-निवृत्त शिक्षकों को पेंशन हेतु विकल्प परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 196/15-19-97-3(25)/90 दिनांक 24 फरवरी, 1997 एवं शासनादेश संख्या: 1220/XXVII(3)अ.आ./2005 दिनांक 18 जून, 2005 के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मी जो सी0पी0एफ0 योजना से आच्छादित थे तथा उक्त शासनादेश दिनांक 18 जून, 2005 (सत्रान्त अवधि 30-6-2005 तक) के जारी होने की तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे एवं उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर सी0पी0एफ0 योजना से जी0पी0 एफ0 योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प परिवर्तन नहीं कर पाये थे, उन्हें राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त जी0पी0एफ0 योजनान्तर्गत राजकीय दर की पेंशन हेतु अपना विकल्प देने की एक और सुविधा शासनादेश जारी होने के 90 दिन के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. देय अंशदायी भविष्य निधि, जिसका भुगतान शिक्षक को ब्याज सहित किया जा चुका है, में से प्रबन्धकीय अंशदान मय ब्याज के तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक ब्याज आगणित करके नियमानुसार सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा। इसके उपरान्त ही पेंशन का भुगतान संबंधित शिक्षक को अनुमन्य होगा।
2. यदि संबंधित शिक्षक इस आशय का प्रार्थना-पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा को दे दें कि सी0पी0एफ0 का प्रबन्धकीय अंशदान मय ब्याज और राजाज्ञा निर्गत होने की तिथि तक का ब्याज, पेंशन अवशेष से

- सामायोजित किये जाने में, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो उस शिक्षक को पेंशन अनुमन्य की जा सकती है ।
3. लाभदायी योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा देय राहत, जिसका भुगतान संबंधित शिक्षक को किया जा चुका है, का भी समायोजन देय अवशेष पेंशन से कर लिया जायेगा ।
  4. राजकीय दर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विकल्प देने वाले शिक्षकों के पेंशन की गणना वास्तविक सेवा या अधिकतम 60 वर्ष की वय तक की गई सेवा के आधार पर की जायेगी । यदि उन्हें 60 वर्ष की वय पर सेवानिवृत्त की सुविधा प्राप्त है। 60 वर्ष की वय के बाद की गई सेवा(जिसके अन्तर्गत सत्रान्त तक की गई सेवा, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है)तदर्थ रूप से या अनानुमोदित पदों पर की गई सेवाओं की गणना उक्त प्रयोजन हेतु नहीं की जायेगी ।
  5. शिक्षकों को राजाज्ञा निर्गत होने के 90 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय का विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त करने के इच्छुक हैं ।
  6. विकल्प तीन प्रतियों में निदेशक उ0शि0 अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी को संबंधित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा ।
  7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरों का निर्धारण तथा उस पर अनुमन्य राहत की दरें समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार होगी और राज्य कर्मचारियों के संबंध में प्रवृत्त नियम/शासनादेश भी उक्त सीमा तक उन पर प्रवृत्त होंगे ।
  8. उक्त सुविधा केवल उन सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही अनुमन्य होगी जो उपरिल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1997 निर्गत होने की तिथि से इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हुए हैं ।
  9. सी0पी0एफ से पेंशन योजना के लिए विकल्प की यह सुविधा केवल एक बार ही अनुमन्य की जा रही है तथा इसके बाद यदि कोई कर्मी उक्त सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनके लिए इस के बाद किसी प्रकार का शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।
  10. शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1997 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा ।

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त ।



संख्या: 237 (1) / XXVII(7) / 2006 तददिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांचल देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. उच्च शिक्षा अनुभाग।
7. रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
8. प्रधानाचार्य, डी.ए.बी./डी.बी.एस./एम.के.पी. पी.जी. कालेज, देहरादून।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  


(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,  
वित्त अनुभाग-7  
संख्या 66 /XXVII(7)/2007  
देहरादून: दिनांक 20 नवम्बर, 2007

### कार्यालय ज्ञाप

विषय: उत्तराखण्ड के कोषागारों के माध्यम से पेंशनर को भुगतान की जाने वाली पेंशन विषयक बैंक खातों को पारिवारिक पेंशनर/नामित व्यक्ति के नाम संयुक्त खाता खोलने के संबंध में।

शासनादेश संख्या ए-1-815/दस-5(4)/84 दिनांक 8 अप्रैल 1985 द्वारा पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान की प्रक्रिया के अधीन पेंशनर को अपने नाम से एकल नाम खाता (Single Name Account) खोलने का प्राविधान किया गया था। सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड के पेंशनर एकल नाम के अतिरिक्त, विकल्प के रूप में, पेंशन अभिलेख में उल्लिखित पारिवारिक पेंशनर अथवा नामित व्यक्ति के साथ भी संयुक्त नाम में बैंक खाता निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोल सकते हैं।

(क) कोषागार द्वारा संबंधित पेंशनर की पेंशन उक्त पेंशनर के बैंक-खाते में जमा होने के बाद जमा धनराशि पर राज्य सरकार/संबंधित बैंक का उत्तरदायित्व नहीं होगा, अर्थात् यदि पारिवारिक पेंशनर (पति या पत्नि आदि) अथवा पेंशनर द्वारा पेंशन अभिलेख में नामित व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से संयुक्त नाम के खाते से धनराशि निकाली जाती है तब सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पेंशनर एवं सह खातेदार का होगा।

(ख) पेंशन फ़ैवल पेंशनर को जीवित रहने पर दी जाती है, अतः पेंशनर की मृत्यु हो जाने के तत्काल बाद मृत्यु की सूचना सम्बन्धित बैंक/कोषागार को दी जायेगी ताकि मृत्यु के बाद कोषागार द्वारा संयुक्त खाते में धनराशि जमा न की जाये। यदि किसी कारणवश मृत्यु के बाद कोई धनराशि बैंक खाते में जमा हो जाती है तब उक्त धनराशि संयुक्त खातेदार (पति/पत्नि/नामित व्यक्ति) द्वारा कोषागार को वापस की जायेगी अन्यथा उक्त धनराशि संयुक्त खातेदार/कानूनी उत्तराधिकारी/वारिस/नामित व्यक्ति पेंशनर की मृत्यु के बाद जमा धनराशि की वापसी हेतु उत्तरदायी होगा।

(ग) शासनादेश दिनांक 8-11-1985 के पेंशनर के एकल खाते विषयक प्राविधान को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और उक्त शासनादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

2- संयुक्त खाते हेतु सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिक, संलग्नक-1 पर निर्धारित प्रपत्र पर पेंशन के साथ ही अनुरोध करेंगे, परन्तु जो वर्तमान में कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, के अनुरोध पर विकल्प के आधार पर संयुक्त नाम में बैंक खाता खोला जा सकेगा, जिसके लिये निर्धारित प्रपत्र भरकर कोषागार/बैंक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

संलग्नक- प्रपत्र-1

आलोक कुमार जैन  
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या 66 / XXVII(7) / 2007-08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1: महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा देहरादून।
- 2: समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3: समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
- 4: रजिस्ट्रार जनरल मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
- 5: रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 6: समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 7: समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9: उत्तराखण्ड स्थित समस्त बैंक।
- 10: स्टेट इफार्मेटिक्स अधिकारी उत्तराखण्ड इकाई-देहरादून।

(टी0एन0सिंह)  
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 66/XXVII(7)/2007  
दिनांक 20-11-2007 का संलग्नक-1

सेवा में,  
कोषागार अधिकारी,  
.....

एवं  
शाखा प्रबन्धक.....

विषय: संयुक्त नाम से पेंशन आहरण करने के संबंध में ।  
महोदय,

अनुरोध है कि मैं अपनी पेंशन..... (बैंक का नाम) की शाखा..... में खोले गये खाता संख्या .....को संयुक्त नाम से खोलना चाहता हूँ। सह खातेदार पेंशन भुगतान के आदेशानुसार पारिवारिक पेंशन/जीवन कालीन अवशेष प्राप्त करने हेतु नामित श्री/श्रीमती /कु० ..... हैं। हमने कार्यालय ज्ञाप संख्या 66/XXVII(7)/2007 दिनांक 20-11-2007 का भली भांति अध्ययन कर लिया है जिसके अनुसार कार्यवाही करना हमारी बचनबद्धता होगी। चूँकि पेंशन का भुगतान जीवित रहने की तिथि तक अनुमन्य है अतः अवधि में उक्त खाते में पेंशन स्थानान्तरित होने के बाद राज्य सरकार /बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। सह खातेदार जो पारिवारिक पेंशनर के रूप में पति/पत्नी, श्री/श्रीमती ..... या पारिवारिक पेंशनर न होने पर नामित श्री/श्रीमती/कु० .....निवासी.....(पता) का दायित्व होगा कि वह पेंशनर की मृत्यु होने के तुरन्त बाद कोषागार एवं बैंक को सूचित करेंगे ताकि मृत्यु के बाद पेंशन का भुगतान न किया जाय। यदि किसी कारण से मृत्यु के बाद भी उक्त खाते में पेंशन संबंधी धनराशि स्थानान्तरित होती है तब मृत्यु के बाद की ऐसे सभी पेंशन संबंधी भुगतान संयुक्त खातेदार द्वारा कोषागार को वापस की जायेगी अन्यथा उक्त धनराशि संयुक्त खातेदार/कानूनी उत्तराधिकारी/वारिस, मृत्यु के बाद जमा धनराशि के वापसी हेतु उत्तरदायी होगा।

हम उपरोक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं ।

दिनांक / /

1: पेंशनर का (नाम) हस्ताक्षर

2: सहखातेदार(नाम) अर्थात् पारिवारिक पेंशनर या नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर

संख्या: 152/xxvii(7)/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक: 25 अप्रैल, 2008


**विषय:**—वर्ष 1986 के पूर्व तथा बाद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-98 में दिनांक 01-01-86 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 180 दिन की निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में समय-समय पर सीमा बढ़ाये जाने हेतु शासनादेश जारी हुए है किन्तु राज्य गठन की तिथि दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से कोई समयावधि इसके लिये नहीं बढ़ायी गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न पेंशनर्स संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों को इस सुविधा की जानकारी न होने के कारण वे अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं अतः आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा और बढ़ा दी जाय। पेंशन संशोधन पेंशनर्स का इनटाइटलमेन्ट है। अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर दिनांक 01-01-1986 या दिनांक 01-01-1996 से मानक के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे या वेतन आयोग/समिति/शासनादेश के अनुरूप किसी कारण पेंशन पुनरीक्षित नहीं हो पायी थी, वह आवेदन पत्र/अभिलेख प्रस्तुत कर नियमानुसार पेंशन पुनरीक्षित करा सकते हैं।

भवदीय,


  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या: 152 (1) / xxvii(7) / 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रदेश महासचिव, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन, कार्यालय-6, प्रीत विहार, निरंजनपुर, पो0आ0-माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(टी0एन0 सिंह)  
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या:419/xxvii(7)/2008  
देहरादून:दिनांक:27 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति,1 उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

उपरोक्त विषय पर अद्योहरताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति,उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन,ग्रेच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के संबंध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या 394/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी समझे जाएंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण/समायोजन किया जाएगा।

2-यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर(जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85 दिनांक 8-8-1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308-97 दिनांक 23 दिसम्बर,1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली(गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,दिनांक 1 अक्टूबर,2005 से लागू नई अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों,शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकरणों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो।

3-(1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाएँ उन कर्मचारियों पर लागू होंगी, जो दिनांक 1-1-2006 को अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए हैं ।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामलों में दिनांक 1-1-2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा । यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

4-(1) परिलब्धियाँ—पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों(सेवानैवृत्तिक/डेथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था ।

(2) "वेतन"—का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर-5 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड-वेतन का योग होगा, जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा ।

(3) सेवानैवृत्तिक/डेथ कम ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा ।

5—पेंशन—पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन(1-1-2006 से रू0 80,000/-) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । राज्य सरकार की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गई व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी ।

यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 3500/-से कम न हो, का आगणन किया जाय, तब न्यूनतम पेंशन रू03500/-निर्धारित की जायेगी ।

#### 6—पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा—

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी ।

(2) पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की राजकीय सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी ।



(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियाँ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हो, की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग 2-4 के मूल नियम-56 में आवश्यक संशोधन यथासमय कर दिया जायेगा।

(5) 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

**7-सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी-** सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू० 10.00 लाख (रू० दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत् रहेगा।

#### **8-पारिवारिक पेंशन-**

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू० 3500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनांक 1-1-2006 से तदनुसार संशोधित समझी जायेगी। दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" को परिभाषा पूर्ववत् निम्नलिखित होगी-

(क) दिनांक 1-1-2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है-

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से-कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए

अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले ही। उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विकृष्ट सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा संबंधित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 1-1-2006 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जाएगा। दिनांक 1-1-2006 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने पर जीविकोपार्जन से संबंधित मासिक आय के संबंध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्व मासिक आय की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

**9-पेंशन के एक भाग का राशिकरण**-पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात् 40 प्रतिशत तक की धनराशि की संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था दिनांक 1-1-2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये जाने की तिथि से ही लागू होगी। कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो राशिकरण कर दिया गया उसका पुनरीक्षण/वसूली नहीं की जायेगी, परन्तु यदि वर्तमान में कोई 40 प्रतिशत की सीमा में पुनः राशिकरण कराना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाय।

10-इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जाय।

11- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 1-1-2006 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जाय:-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु

अभिलेख आदि पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा । पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे ।

12-दिनांक 1-1-2006से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं गैरच्युटी की 31-8-2008 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2008-09 तथा 60 प्रतिशत 2009-10 को नकद भुगतान किया जायेगा ।

13- दिनांक 1-1-2006 के बाद सेवा त्यागने/ कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जाय ।

संलग्नक- (1) राशिकरण आगणन तालिका

आलोक कुमार जैन  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: 419(1)/XXvii(7)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को 200प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)

अपर सचिव ।

## COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (बे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

संख्या 421 - /XXVII(7) पेंशन / 2008

देहरादून, दिनांक: 27 अक्टूबर 2008

कार्यालय झाप

**विषय:** छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार की भांति 1-1-2006 के पूर्व के राज्य सरकार-के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय छठें केन्द्रीय वेतनमान के कम में वेतन समिति (उत्तराखण्ड 2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों के कम में निर्गत संकल्प संख्या 394/XXVII(7) /2008 दिनांक 17-10-2008 के अधीन दिनांक 1-1-2006 से पूर्व के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 31-12-2005 को अनुमन्य मूल पेंशन में 50% महगाई पेंशन जोडकर उस पर 24% महगाई राहत की अनुमन्यता के बाद 40% अधिभार देते हुए संलग्नक-3 में दिये गये फिटमेन्ट तालिका के अनुसार दिनांक 1-1-2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की जाये।

2: दिनांक 1-4-2004 या उसके बाद जिन प्रकरणों में पेंशन का निर्धारण महगाई भत्ता जोडकर किया गया हो ऐसे प्रकरणों में महगाई पेंशन की धनराशि जोडी नहीं जायेगी।

3: पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 1-1-2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किय हो, अनुमन्य ग्रेड पे को जोडकर न्यूनतम 50% से कम पेंशन निर्धारित न हो, अर्थात् 1-1-2006 के पूर्व के पद के वेतनमान को दिनांक 1-1-2006 के समतुल्य बेण्ड पे के न्यूनतम तथा ग्रेड पे का 50% पद का न्यूनतम पेंशन अर्ह होगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में अर्ह सेवा का अनुपात आंगणित करना आवश्यक होगा।

4: दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित पेंशन की सम्मेकित धनराशि में से पूर्व से राशिकरण की धनराशि घटाने के बाद भुगतान किया जाये तथा महगाई राहत मूल पेंशन पर देश होगी।

5: दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित पेंशन किये जाने के फलस्वरूप पेंशन की अधिकतम धनराशि रू0 40000/- तथा सामान्य स्थिति में पारिवारिक पेंशन रू0 24000 तक की अनुमन्यता होगी।

6: जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी जिस पर मंहगाई राहत भी देय होगी।

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	मूल पेंशन के अतिरिक्त अनुमन्य पेंशन
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	" " " 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	" " " 40%
95 वर्ष से 100वर्ष से कम तक	" " " 50%
100 या अधिक	" " " 100%

7: दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु मंहगाई राहत का अलग से शासनादेश निर्गत किया जा रहा है जो कि पूर्व में भुगतान की गयी मंहगाई राहत की धनराशि को समायोजित करने के बाद भुगतान किया जाये।

8: दिनांक 1-1-2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू0 1275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500/- किया जाये परन्तु ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें एक से अधिक पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु सभी अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में लिया जाये।

9: जो पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पुनर्नियुक्ति पर हों तथा उनकी मंहगाई राहत स्थगित हो जे ऐसे प्रकरण में दिनांक 1-1-2006 को पेंशन निर्धारण करते समय नोसुनल मंहगाई राहत के आधार पर पेंशन निर्धारण किया जाये। परन्तु दिनांक 1-1-2006 के बाद ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत पूर्व की भौति पुनर्नियुक्ति की अवधि में स्थगित रखा जाय।

10: उपरोक्त पुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशन का लाभ तत्काल प्राप्त हो जाये, के लिए सम्बन्धित संवितरण अधिकारी समयबद्ध कार्यवाही की जाय।

11: संबंधित संवितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि किन्हीं कारणों से किसी पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के कम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नहीं किया गया हो तब प्रथमतः वरियता के कम में नियमों के अधीन दिनांक 1-1-96 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित करे, उसके बाद छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के कम में केन्द्र सरकार में लागू संशोधित पेंशन तथा तत्कम में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित की जाये। दिनांक 1-1-2006 या उसके बाद सेवा निवृत्त/दिवंगत/सेवा छोडने वाले कर्मचारियों हेतु पेंशन का निर्धारण शासनादेश संख्या 419/XXVII (7) पेंशन/2008 दिनांक 27-10-2008 के अनुसार किया जाये।

संलग्नक: पेंशन पुनरीक्षण की फिटमेन्ट तालिका

Table Showing existing Basic Pension/Family Pension without Dearness Pension/Family Dearness Pension (column 1), Basic Pension/Family Pension with Dearness Pension/Family Dearness Pension (column 2) and Revised Consolidated Pension/Family Pension (column 3)

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1275	1913	3500	1329	1994	3500	1383	2075	3500	1437	2156	3500
1276	1914	3500	1330	1995	3500	1384	2076	3500	1438	2157	3500
1277	1916	3500	1331	1997	3500	1385	2078	3500	1439	2159	3500
1278	1917	3500	1332	1998	3500	1386	2079	3500	1440	2160	3500
1279	1919	3500	1333	2000	3500	1387	2081	3500	1441	2162	3500
1280	1920	3500	1334	2001	3500	1388	2082	3500	1442	2163	3500
1281	1922	3500	1335	2003	3500	1389	2084	3500	1443	2165	3500
1282	1923	3500	1336	2004	3500	1390	2085	3500	1444	2166	3500
1283	1925	3500	1337	2006	3500	1391	2087	3500	1445	2168	3500
1284	1926	3500	1338	2007	3500	1392	2088	3500	1446	2169	3500
1285	1928	3500	1339	2009	3500	1393	2090	3500	1447	2171	3500
1286	1929	3500	1340	2010	3500	1394	2091	3500	1448	2172	3500
1287	1931	3500	1341	2012	3500	1395	2093	3500	1449	2174	3500
1288	1932	3500	1342	2013	3500	1396	2094	3500	1450	2175	3500
1289	1934	3500	1343	2015	3500	1397	2096	3500	1451	2177	3500
1290	1935	3500	1344	2016	3500	1398	2097	3500	1452	2178	3500
1291	1937	3500	1345	2018	3500	1399	2099	3500	1453	2180	3500
1292	1938	3500	1346	2019	3500	1400	2100	3500	1454	2181	3500
1293	1940	3500	1347	2021	3500	1401	2102	3500	1455	2183	3500
1294	1941	3500	1348	2022	3500	1402	2103	3500	1456	2184	3500
1295	1943	3500	1349	2024	3500	1403	2105	3500	1457	2186	3500
1296	1944	3500	1350	2025	3500	1404	2106	3500	1458	2187	3500
1297	1946	3500	1351	2027	3500	1405	2108	3500	1459	2189	3500
1298	1947	3500	1352	2028	3500	1406	2109	3500	1460	2190	3500
1299	1949	3500	1353	2030	3500	1407	2111	3500	1461	2192	3500
1300	1950	3500	1354	2031	3500	1408	2112	3500	1462	2193	3500
1301	1952	3500	1355	2033	3500	1409	2114	3500	1463	2195	3500
1302	1953	3500	1356	2034	3500	1410	2115	3500	1464	2196	3500
1303	1955	3500	1357	2036	3500	1411	2117	3500	1465	2198	3500
1304	1956	3500	1358	2037	3500	1412	2118	3500	1466	2199	3500
1305	1958	3500	1359	2039	3500	1413	2120	3500	1467	2201	3500
1306	1959	3500	1360	2040	3500	1414	2121	3500	1468	2202	3500
1307	1961	3500	1361	2042	3500	1415	2123	3500	1469	2204	3500
1308	1962	3500	1362	2043	3500	1416	2124	3500	1470	2205	3500
1309	1964	3500	1363	2045	3500	1417	2126	3500	1471	2207	3500
1310	1965	3500	1364	2046	3500	1418	2127	3500	1472	2208	3500
1311	1967	3500	1365	2048	3500	1419	2129	3500	1473	2210	3500
1312	1968	3500	1366	2049	3500	1420	2130	3500	1474	2211	3500
1313	1970	3500	1367	2051	3500	1421	2132	3500	1475	2213	3500
1314	1971	3500	1368	2052	3500	1422	2133	3500	1476	2214	3500
1315	1973	3500	1369	2054	3500	1423	2135	3500	1477	2216	3500
1316	1974	3500	1370	2055	3500	1424	2136	3500	1478	2217	3500
1317	1976	3500	1371	2057	3500	1425	2138	3500	1479	2219	3500
1318	1977	3500	1372	2058	3500	1426	2139	3500	1480	2220	3500
1319	1979	3500	1373	2060	3500	1427	2141	3500	1481	2222	3500
1320	1980	3500	1374	2061	3500	1428	2142	3500	1482	2223	3500
1321	1982	3500	1375	2063	3500	1429	2144	3500	1483	2225	3500
1322	1983	3500	1376	2064	3500	1430	2145	3500	1484	2226	3500
1323	1985	3500	1377	2066	3500	1431	2147	3500	1485	2228	3500
1324	1986	3500	1378	2067	3500	1432	2148	3500	1486	2229	3500
1325	1988	3500	1379	2069	3500	1433	2150	3500	1487	2231	3500
1326	1989	3500	1380	2070	3500	1434	2151	3500	1488	2232	3500
1327	1991	3500	1381	2072	3500	1435	2153	3500	1489	2234	3500
1328	1992	3500	1382	2073	3500	1436	2154	3500	1490	2235	3500

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) without DP	BP (pre2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1491	2237	3500	1551	2327	3507	1611	2417	3643	1671	2507	3778
1492	2238	3500	1552	2328	3508	1612	2418	3644	1672	2508	3779
1493	2240	3500	1553	2330	3512	1613	2420	3647	1673	2510	3783
1494	2241	3500	1554	2331	3513	1614	2421	3649	1674	2511	3784
1495	2243	3500	1555	2333	3515	1615	2423	3651	1675	2513	3787
1496	2244	3500	1556	2334	3518	1616	2424	3653	1676	2514	3789
1497	2246	3500	1557	2336	3520	1617	2426	3656	1677	2516	3791
1498	2247	3500	1558	2337	3522	1618	2427	3658	1678	2517	3794
1499	2249	3500	1559	2339	3525	1619	2429	3660	1679	2519	3796
1500	2250	3500	1560	2340	3526	1620	2430	3662	1680	2520	3797
1501	2252	3500	1561	2342	3530	1621	2432	3665	1681	2522	3801
1502	2253	3500	1562	2343	3531	1622	2433	3666	1682	2523	3802
1503	2255	3500	1563	2345	3534	1623	2435	3670	1683	2525	3805
1504	2256	3500	1564	2346	3536	1624	2436	3671	1684	2526	3807
1505	2258	3500	1565	2348	3538	1625	2438	3674	1685	2528	3809
1506	2259	3500	1566	2349	3540	1626	2439	3676	1686	2529	3811
1507	2261	3500	1567	2351	3543	1627	2441	3678	1687	2531	3814
1508	2262	3500	1568	2352	3545	1628	2442	3681	1688	2532	3816
1509	2264	3500	1569	2354	3547	1629	2444	3683	1689	2534	3819
1510	2265	3500	1570	2355	3549	1630	2445	3684	1690	2535	3820
1511	2267	3500	1571	2357	3552	1631	2447	3688	1691	2537	3823
1512	2268	3500	1572	2358	3553	1632	2448	3689	1692	2538	3825
1513	2270	3500	1573	2360	3557	1633	2450	3692	1693	2540	3828
1514	2271	3500	1574	2361	3558	1634	2451	3694	1694	2541	3829
1515	2273	3500	1575	2363	3561	1635	2453	3696	1695	2543	3832
1516	2274	3500	1576	2364	3563	1636	2454	3698	1696	2544	3834
1517	2276	3500	1577	2366	3565	1637	2456	3701	1697	2546	3837
1518	2277	3500	1578	2367	3568	1638	2457	3703	1698	2547	3839
1519	2279	3500	1579	2369	3570	1639	2459	3706	1699	2549	3841
1520	2280	3500	1580	2370	3571	1640	2460	3707	1700	2550	3842
1521	2282	3500	1581	2372	3575	1641	2462	3710	1701	2552	3846
1522	2283	3500	1582	2373	3576	1642	2463	3712	1702	2553	3847
1523	2285	3500	1583	2375	3579	1643	2465	3715	1703	2555	3851
1524	2286	3500	1584	2376	3581	1644	2466	3716	1704	2556	3852
1525	2288	3500	1585	2378	3583	1645	2468	3719	1705	2558	3854
1526	2289	3500	1586	2379	3585	1646	2469	3721	1706	2559	3857
1527	2291	3500	1587	2381	3588	1647	2471	3724	1707	2561	3859
1528	2292	3500	1588	2382	3590	1648	2472	3726	1708	2562	3861
1529	2294	3500	1589	2384	3593	1649	2474	3728	1709	2564	3864
1530	2295	3500	1590	2385	3594	1650	2475	3729	1710	2565	3865
1531	2297	3500	1591	2387	3597	1651	2477	3733	1711	2567	3869
1532	2298	3500	1592	2388	3599	1652	2478	3734	1712	2568	3870
1533	2300	3500	1593	2390	3602	1653	2480	3738	1713	2570	3873
1534	2301	3500	1594	2391	3603	1654	2481	3739	1714	2571	3875
1535	2303	3500	1595	2393	3606	1655	2483	3741	1715	2573	3877
1536	2304	3500	1596	2394	3608	1656	2484	3744	1716	2574	3879
1537	2306	3500	1597	2396	3611	1657	2486	3746	1717	2576	3882
1538	2307	3500	1598	2397	3613	1658	2487	3748	1718	2577	3884
1539	2309	3500	1599	2399	3615	1659	2489	3751	1719	2579	3886
1540	2310	3500	1600	2400	3616	1660	2490	3752	1720	2580	3888
1541	2312	3500	1601	2402	3620	1661	2492	3756	1721	2582	3891
1542	2313	3500	1602	2403	3621	1662	2493	3757	1722	2583	3892
1543	2315	3500	1603	2405	3625	1663	2495	3760	1723	2585	3896
1544	2316	3500	1604	2406	3626	1664	2496	3762	1724	2586	3897
1545	2318	3500	1605	2408	3628	1665	2498	3764	1725	2588	3900
1546	2319	3500	1606	2409	3631	1666	2499	3766	1726	2589	3902
1547	2321	3500	1607	2411	3633	1667	2501	3769	1727	2591	3904
1548	2322	3500	1608	2412	3635	1668	2502	3771	1728	2592	3907
1549	2324	3502	1609	2414	3638	1669	2504	3773	1729	2594	3909
1550	2325	3503	1610	2415	3639	1670	2505	3775	1730	2595	3910



BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) Pension with DP
----------------------------------	---	--	----------------------------------	---	--	----------------------------------	---	--	----------------------------------	---	--

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1731	2597	3914	1791	2687	4049	1851	2777	4185	1911	2867	4321
1732	2598	3915	1792	2688	4051	1852	2778	4186	1912	2868	4322
1733	2600	3918	1793	2690	4054	1853	2780	4190	1913	2870	4325
1734	2601	3920	1794	2691	4055	1854	2781	4191	1914	2871	4327
1735	2603	3922	1795	2693	4058	1855	2783	4193	1915	2873	4329
1736	2604	3924	1796	2694	4060	1856	2784	4196	1916	2874	4331
1737	2606	3927	1797	2696	4063	1857	2786	4198	1917	2876	4334
1738	2607	3929	1798	2697	4065	1858	2787	4200	1918	2877	4336
1739	2609	3932	1799	2699	4067	1859	2789	4203	1919	2879	4338
1740	2610	3933	1800	2700	4068	1860	2790	4204	1920	2880	4340
1741	2612	3936	1801	2702	4072	1861	2792	4208	1921	2882	4343
1742	2613	3938	1802	2703	4073	1862	2793	4209	1922	2883	4344
1743	2615	3941	1803	2705	4077	1863	2795	4212	1923	2885	4348
1744	2616	3942	1804	2706	4078	1864	2796	4214	1924	2886	4349
1745	2618	3945	1805	2708	4080	1865	2798	4216	1925	2888	4352
1746	2619	3947	1806	2709	4083	1866	2799	4218	1926	2889	4354
1747	2621	3950	1807	2711	4085	1867	2801	4221	1927	2891	4356
1748	2622	3952	1808	2712	4087	1868	2802	4223	1928	2892	4359
1749	2624	3954	1809	2714	4090	1869	2804	4225	1929	2894	4361
1750	2625	3955	1810	2715	4091	1870	2805	4227	1930	2895	4362
1751	2627	3959	1811	2717	4095	1871	2807	4230	1931	2897	4366
1752	2628	3960	1812	2718	4096	1872	2808	4231	1932	2898	4367
1753	2630	3964	1813	2720	4099	1873	2810	4235	1933	2900	4370
1754	2631	3965	1814	2721	4101	1874	2811	4236	1934	2901	4372
1755	2633	3967	1815	2723	4103	1875	2813	4239	1935	2903	4374
1756	2634	3970	1816	2724	4105	1876	2814	4241	1936	2904	4376
1757	2636	3972	1817	2726	4108	1877	2816	4243	1937	2906	4379
1758	2637	3974	1818	2727	4110	1878	2817	4246	1938	2907	4381
1759	2639	3977	1819	2729	4112	1879	2819	4248	1939	2909	4384
1760	2640	3978	1820	2730	4114	1880	2820	4249	1940	2910	4385
1761	2642	3982	1821	2732	4117	1881	2822	4253	1941	2912	4388
1762	2643	3983	1822	2733	4118	1882	2823	4254	1942	2913	4390
1763	2645	3986	1823	2735	4122	1883	2825	4257	1943	2915	4393
1764	2646	3988	1824	2736	4123	1884	2826	4259	1944	2916	4394
1765	2648	3990	1825	2738	4126	1885	2828	4261	1945	2918	4397
1766	2649	3992	1826	2739	4128	1886	2829	4263	1946	2919	4399
1767	2651	3995	1827	2741	4130	1887	2831	4266	1947	2921	4402
1768	2652	3997	1828	2742	4133	1888	2832	4268	1948	2922	4404
1769	2654	3999	1829	2744	4135	1889	2834	4271	1949	2924	4406
1770	2655	4001	1830	2745	4136	1890	2835	4272	1950	2925	4407
1771	2657	4004	1831	2747	4140	1891	2837	4275	1951	2927	4411
1772	2658	4005	1832	2748	4141	1892	2838	4277	1952	2928	4412
1773	2660	4009	1833	2750	4144	1893	2840	4280	1953	2930	4416
1774	2661	4010	1834	2751	4146	1894	2841	4281	1954	2931	4417
1775	2663	4013	1835	2753	4148	1895	2843	4284	1955	2933	4419
1776	2664	4015	1836	2754	4150	1896	2844	4286	1956	2934	4422
1777	2666	4017	1837	2756	4153	1897	2846	4289	1957	2936	4424
1778	2667	4020	1838	2757	4155	1898	2847	4291	1958	2937	4426
1779	2669	4022	1839	2759	4158	1899	2849	4293	1959	2939	4429
1780	2670	4023	1840	2760	4159	1900	2850	4294	1960	2940	4430
1781	2672	4027	1841	2762	4162	1901	2852	4298	1961	2942	4434
1782	2673	4028	1842	2763	4164	1902	2853	4299	1962	2943	4435
1783	2675	4031	1843	2765	4167	1903	2855	4303	1963	2945	4438
1784	2676	4033	1844	2766	4168	1904	2856	4304	1964	2946	4440
1785	2678	4035	1845	2768	4171	1905	2858	4306	1965	2948	4442
1786	2679	4037	1846	2769	4173	1906	2859	4309	1966	2949	4444
1787	2681	4040	1847	2771	4176	1907	2861	4311	1967	2951	4447
1788	2682	4042	1848	2772	4178	1908	2862	4313	1968	2952	4449
1789	2684	4045	1849	2774	4180	1909	2864	4316	1969	2954	4451
1790	2685	4046	1850	2775	4181	1910	2865	4317	1970	2955	4453

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised Consolidated (pre2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised Consolidated (pre2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) Pension with DP	BP Revised Consolidated (pre2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) Pension with DP	BP Revised Consolidated (pre2006) Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1971	2957	4456	2031	3047	4592	2091	3137	4727	2151	3227	4863
1972	2958	4457	2032	3048	4593	2092	3138	4729	2152	3228	4864
1973	2960	4461	2033	3050	4596	2093	3140	4732	2153	3230	4868
1974	2961	4462	2034	3051	4598	2094	3141	4733	2154	3231	4869
1975	2963	4465	2035	3053	4600	2095	3143	4736	2155	3233	4871
1976	2964	4467	2036	3054	4602	2096	3144	4738	2156	3234	4874
1977	2966	4469	2037	3056	4605	2097	3146	4741	2157	3236	4876
1978	2967	4472	2038	3057	4607	2098	3147	4743	2158	3237	4878
1979	2969	4474	2039	3059	4610	2099	3149	4745	2159	3239	4881
1980	2970	4475	2040	3060	4611	2100	3150	4746	2160	3240	4882
1981	2972	4479	2041	3062	4614	2101	3152	4750	2161	3242	4886
1982	2973	4480	2042	3063	4616	2102	3153	4751	2162	3243	4887
1983	2975	4483	2043	3065	4619	2103	3155	4755	2163	3245	4890
1984	2976	4485	2044	3066	4620	2104	3156	4756	2164	3246	4892
1985	2978	4487	2045	3068	4623	2105	3158	4758	2165	3248	4894
1986	2979	4489	2046	3069	4625	2106	3159	4761	2166	3249	4896
1987	2981	4492	2047	3071	4628	2107	3161	4763	2167	3251	4899
1988	2982	4494	2048	3072	4630	2108	3162	4765	2168	3252	4901
1989	2984	4497	2049	3074	4632	2109	3164	4768	2169	3254	4903
1990	2985	4498	2050	3075	4633	2110	3165	4769	2170	3255	4905
1991	2987	4501	2051	3077	4637	2111	3167	4773	2171	3257	4908
1992	2988	4503	2052	3078	4638	2112	3168	4774	2172	3258	4909
1993	2990	4506	2053	3080	4642	2113	3170	4777	2173	3260	4913
1994	2991	4507	2054	3081	4643	2114	3171	4779	2174	3261	4914
1995	2993	4510	2055	3083	4645	2115	3173	4781	2175	3263	4917
1996	2994	4512	2056	3084	4648	2116	3174	4783	2176	3264	4919
1997	2996	4515	2057	3086	4650	2117	3176	4786	2177	3266	4921
1998	2997	4517	2058	3087	4652	2118	3177	4788	2178	3267	4924
1999	2999	4519	2059	3089	4655	2119	3179	4790	2179	3269	4926
2000	3000	4520	2060	3090	4656	2120	3180	4792	2180	3270	4927
2001	3002	4524	2061	3092	4660	2121	3182	4795	2181	3272	4931
2002	3003	4525	2062	3093	4661	2122	3183	4796	2182	3273	4932
2003	3005	4529	2063	3095	4664	2123	3185	4800	2183	3275	4935
2004	3006	4530	2064	3096	4666	2124	3186	4801	2184	3276	4937
2005	3008	4532	2065	3098	4668	2125	3188	4804	2185	3278	4939
2006	3009	4535	2066	3099	4670	2126	3189	4806	2186	3279	4941
2007	3011	4537	2067	3101	4673	2127	3191	4808	2187	3281	4944
2008	3012	4539	2068	3102	4675	2128	3192	4811	2188	3282	4946
2009	3014	4542	2069	3104	4677	2129	3194	4813	2189	3284	4949
2010	3015	4543	2070	3105	4679	2130	3195	4814	2190	3285	4950
2011	3017	4547	2071	3107	4682	2131	3197	4818	2191	3287	4953
2012	3018	4548	2072	3108	4683	2132	3198	4819	2192	3288	4955
2013	3020	4551	2073	3110	4687	2133	3200	4822	2193	3290	4958
2014	3021	4553	2074	3111	4688	2134	3201	4824	2194	3291	4959
2015	3023	4555	2075	3113	4691	2135	3203	4826	2195	3293	4962
2016	3024	4557	2076	3114	4693	2136	3204	4828	2196	3294	4964
2017	3026	4560	2077	3116	4695	2137	3206	4831	2197	3296	4967
2018	3027	4562	2078	3117	4698	2138	3207	4833	2198	3297	4969
2019	3029	4564	2079	3119	4700	2139	3209	4836	2199	3299	4971
2020	3030	4566	2080	3120	4701	2140	3210	4837	2200	3300	4972
2021	3032	4569	2081	3122	4705	2141	3212	4840	2201	3302	4976
2022	3033	4570	2082	3123	4706	2142	3213	4842	2202	3303	4977
2023	3035	4574	2083	3125	4709	2143	3215	4845	2203	3305	4981
2024	3036	4575	2084	3126	4711	2144	3216	4846	2204	3306	4982
2025	3038	4578	2085	3128	4713	2145	3218	4849	2205	3308	4984
2026	3039	4580	2086	3129	4715	2146	3219	4851	2206	3309	4987
2027	3041	4582	2087	3131	4718	2147	3221	4854	2207	3311	4989
2028	3042	4585	2088	3132	4720	2148	3222	4856	2208	3312	4991
2029	3044	4587	2089	3134	4723	2149	3224	4858	2209	3314	4994
2030	3045	4588	2090	3135	4724	2150	3225	4859	2210	3315	4995

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2211	3317	4999	2271	3407	5134	2331	3497	5270	2391	3587	5405
2212	3318	5000	2272	3408	5135	2332	3498	5271	2392	3588	5407
2213	3320	5003	2273	3410	5139	2333	3500	5274	2393	3590	5410
2214	3321	5005	2274	3411	5140	2334	3501	5276	2394	3591	5411
2215	3323	5007	2275	3413	5143	2335	3503	5278	2395	3593	5414
2216	3324	5009	2276	3414	5145	2336	3504	5280	2396	3594	5416
2217	3326	5012	2277	3416	5147	2337	3506	5283	2397	3596	5419
2218	3327	5014	2278	3417	5150	2338	3507	5285	2398	3597	5421
2219	3329	5016	2279	3419	5152	2339	3509	5288	2399	3599	5423
2220	3330	5018	2280	3420	5153	2340	3510	5289	2400	3600	5424
2221	3332	5021	2281	3422	5157	2341	3512	5292	2401	3602	5428
2222	3333	5022	2282	3423	5158	2342	3513	5294	2402	3603	5429
2223	3335	5026	2283	3425	5161	2343	3515	5297	2403	3605	5433
2224	3336	5027	2284	3426	5163	2344	3516	5298	2404	3606	5434
2225	3338	5030	2285	3428	5165	2345	3518	5301	2405	3608	5436
2226	3339	5032	2286	3429	5167	2346	3519	5303	2406	3609	5439
2227	3341	5034	2287	3431	5170	2347	3521	5306	2407	3611	5441
2228	3342	5037	2288	3432	5172	2348	3522	5308	2408	3612	5443
2229	3344	5039	2289	3434	5175	2349	3524	5310	2409	3614	5446
2230	3345	5040	2290	3435	5176	2350	3525	5311	2410	3615	5447
2231	3347	5044	2291	3437	5179	2351	3527	5315	2411	3617	5451
2232	3348	5045	2292	3438	5181	2352	3528	5316	2412	3618	5452
2233	3350	5048	2293	3440	5184	2353	3530	5320	2413	3620	5455
2234	3351	5050	2294	3441	5185	2354	3531	5321	2414	3621	5457
2235	3353	5052	2295	3443	5188	2355	3533	5323	2415	3623	5459
2236	3354	5054	2296	3444	5190	2356	3534	5326	2416	3624	5461
2237	3356	5057	2297	3446	5193	2357	3536	5328	2417	3626	5464
2238	3357	5059	2298	3447	5195	2358	3537	5330	2418	3627	5466
2239	3359	5062	2299	3449	5197	2359	3539	5333	2419	3629	5468
2240	3360	5063	2300	3450	5198	2360	3540	5334	2420	3630	5470
2241	3362	5066	2301	3452	5202	2361	3542	5338	2421	3632	5473
2242	3363	5068	2302	3453	5203	2362	3543	5339	2422	3633	5474
2243	3365	5071	2303	3455	5207	2363	3545	5342	2423	3635	5478
2244	3366	5072	2304	3456	5208	2364	3546	5344	2424	3636	5479
2245	3368	5075	2305	3458	5210	2365	3548	5346	2425	3638	5482
2246	3369	5077	2306	3459	5213	2366	3549	5348	2426	3639	5484
2247	3371	5080	2307	3461	5215	2367	3551	5351	2427	3641	5486
2248	3372	5082	2308	3462	5217	2368	3552	5353	2428	3642	5489
2249	3374	5084	2309	3464	5220	2369	3554	5355	2429	3644	5491
2250	3375	5085	2310	3465	5221	2370	3555	5357	2430	3645	5492
2251	3377	5089	2311	3467	5225	2371	3557	5360	2431	3647	5496
2252	3378	5090	2312	3468	5226	2372	3558	5361	2432	3648	5497
2253	3380	5094	2313	3470	5229	2373	3560	5365	2433	3650	5500
2254	3381	5095	2314	3471	5231	2374	3561	5366	2434	3651	5502
2255	3383	5097	2315	3473	5233	2375	3563	5369	2435	3653	5504
2256	3384	5100	2316	3474	5235	2376	3564	5371	2436	3654	5506
2257	3386	5102	2317	3476	5238	2377	3566	5373	2437	3656	5509
2258	3387	5104	2318	3477	5240	2378	3567	5376	2438	3657	5511
2259	3389	5107	2319	3479	5242	2379	3569	5378	2439	3659	5514
2260	3390	5108	2320	3480	5244	2380	3570	5379	2440	3660	5515
2261	3392	5112	2321	3482	5247	2381	3572	5383	2441	3662	5518
2262	3393	5113	2322	3483	5248	2382	3573	5384	2442	3663	5520
2263	3395	5116	2323	3485	5252	2383	3575	5387	2443	3665	5523
2264	3396	5118	2324	3486	5253	2384	3576	5389	2444	3666	5524
2265	3398	5120	2325	3488	5256	2385	3578	5391	2445	3668	5527
2266	3399	5122	2326	3489	5258	2386	3579	5393	2446	3669	5529
2267	3401	5125	2327	3491	5260	2387	3581	5396	2447	3671	5532
2268	3402	5127	2328	3492	5263	2388	3582	5398	2448	3672	5534
2269	3404	5129	2329	3494	5265	2389	3584	5401	2449	3674	5536
2270	3405	5131	2330	3495	5266	2390	3585	5402	2450	3675	5537

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2451	3677	5541	2511	3767	5677	2571	3857	5812	2631	3947	5948
2452	3678	5542	2512	3768	5678	2572	3858	5813	2632	3948	5949
2453	3680	5546	2513	3770	5681	2573	3860	5817	2633	3950	5952
2454	3681	5547	2514	3771	5683	2574	3861	5818	2634	3951	5954
2455	3683	5549	2515	3773	5685	2575	3863	5821	2635	3953	5956
2456	3684	5552	2516	3774	5687	2576	3864	5823	2636	3954	5958
2457	3686	5554	2517	3776	5690	2577	3866	5825	2637	3956	5961
2458	3687	5556	2518	3777	5692	2578	3867	5828	2638	3957	5963
2459	3689	5559	2519	3779	5694	2579	3869	5830	2639	3959	5966
2460	3690	5560	2520	3780	5696	2580	3870	5831	2640	3960	5967
2461	3692	5564	2521	3782	5699	2581	3872	5835	2641	3962	5970
2462	3693	5565	2522	3783	5700	2582	3873	5836	2642	3963	5972
2463	3695	5568	2523	3785	5704	2583	3875	5839	2643	3965	5975
2464	3696	5570	2524	3786	5705	2584	3876	5841	2644	3966	5976
2465	3698	5572	2525	3788	5708	2585	3878	5843	2645	3968	5979
2466	3699	5574	2526	3789	5710	2586	3879	5845	2646	3969	5981
2467	3701	5577	2527	3791	5712	2587	3881	5848	2647	3971	5984
2468	3702	5579	2528	3792	5715	2588	3882	5850	2648	3972	5986
2469	3704	5581	2529	3794	5717	2589	3884	5853	2649	3974	5988
2470	3705	5583	2530	3795	5718	2590	3885	5854	2650	3975	5989
2471	3707	5586	2531	3797	5722	2591	3887	5857	2651	3977	5993
2472	3708	5587	2532	3798	5723	2592	3888	5859	2652	3978	5994
2473	3710	5591	2533	3800	5726	2593	3890	5862	2653	3980	5998
2474	3711	5592	2534	3801	5728	2594	3891	5863	2654	3981	5999
2475	3713	5595	2535	3803	5730	2595	3893	5866	2655	3983	6001
2476	3714	5597	2536	3804	5732	2596	3894	5868	2656	3984	6004
2477	3716	5599	2537	3806	5735	2597	3896	5871	2657	3986	6006
2478	3717	5602	2538	3807	5737	2598	3897	5873	2658	3987	6008
2479	3719	5604	2539	3809	5740	2599	3899	5875	2659	3989	6011
2480	3720	5605	2540	3810	5741	2600	3900	5876	2660	3990	6012
2481	3722	5609	2541	3812	5744	2601	3902	5880	2661	3992	6016
2482	3723	5610	2542	3813	5746	2602	3903	5881	2662	3993	6017
2483	3725	5613	2543	3815	5749	2603	3905	5885	2663	3995	6020
2484	3726	5615	2544	3816	5750	2604	3906	5886	2664	3996	6022
2485	3728	5617	2545	3818	5753	2605	3908	5888	2665	3998	6024
2486	3729	5619	2546	3819	5755	2606	3909	5891	2666	3999	6026
2487	3731	5622	2547	3821	5758	2607	3911	5893	2667	4001	6029
2488	3732	5624	2548	3822	5760	2608	3912	5895	2668	4002	6031
2489	3734	5627	2549	3824	5762	2609	3914	5898	2669	4004	6033
2490	3735	5628	2550	3825	5763	2610	3915	5899	2670	4005	6035
2491	3737	5631	2551	3827	5767	2611	3917	5903	2671	4007	6038
2492	3738	5633	2552	3828	5768	2612	3918	5904	2672	4008	6039
2493	3740	5636	2553	3830	5772	2613	3920	5907	2673	4010	6043
2494	3741	5637	2554	3831	5773	2614	3921	5909	2674	4011	6044
2495	3743	5640	2555	3833	5775	2615	3923	5911	2675	4013	6047
2496	3744	5642	2556	3834	5778	2616	3924	5913	2676	4014	6049
2497	3746	5645	2557	3836	5780	2617	3926	5916	2677	4016	6051
2498	3747	5647	2558	3837	5782	2618	3927	5918	2678	4017	6054
2499	3749	5649	2559	3839	5785	2619	3929	5920	2679	4019	6056
2500	3750	5650	2560	3840	5786	2620	3930	5922	2680	4020	6057
2501	3752	5654	2561	3842	5790	2621	3932	5925	2681	4022	6061
2502	3753	5655	2562	3843	5791	2622	3933	5926	2682	4023	6062
2503	3755	5659	2563	3845	5794	2623	3935	5930	2683	4025	6065
2504	3756	5660	2564	3846	5796	2624	3936	5931	2684	4026	6067
2505	3758	5662	2565	3848	5798	2625	3938	5934	2685	4028	6069
2506	3759	5665	2566	3849	5800	2626	3939	5936	2686	4029	6071
2507	3761	5667	2567	3851	5803	2627	3941	5938	2687	4031	6074
2508	3762	5669	2568	3852	5805	2628	3942	5941	2688	4032	6076
2509	3764	5672	2569	3854	5807	2629	3944	5943	2689	4034	6079
2510	3765	5673	2570	3855	5809	2630	3945	5944	2690	4035	6080

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2691	4037	6083	2751	4127	6219	2811	4217	6355	2871	4307	6490			
2692	4038	6085	2752	4128	6220	2812	4218	6356	2872	4308	6491			
2693	4040	6088	2753	4130	6224	2813	4220	6359	2873	4310	6495			
2694	4041	6089	2754	4131	6225	2814	4221	6361	2874	4311	6496			
2695	4043	6092	2755	4133	6227	2815	4223	6363	2875	4313	6499			
2696	4044	6094	2756	4134	6230	2816	4224	6365	2876	4314	6501			
2697	4046	6097	2757	4136	6232	2817	4226	6368	2877	4316	6503			
2698	4047	6099	2758	4137	6234	2818	4227	6370	2878	4317	6506			
2699	4049	6101	2759	4139	6237	2819	4229	6372	2879	4319	6508			
2700	4050	6102	2760	4140	6238	2820	4230	6374	2880	4320	6509			
2701	4052	6106	2761	4142	6242	2821	4232	6377	2881	4322	6513			
2702	4053	6107	2762	4143	6243	2822	4233	6378	2882	4323	6514			
2703	4055	6111	2763	4145	6246	2823	4235	6382	2883	4325	6517			
2704	4056	6112	2764	4146	6248	2824	4236	6383	2884	4326	6519			
2705	4058	6114	2765	4148	6250	2825	4238	6386	2885	4328	6521			
2706	4059	6117	2766	4149	6252	2826	4239	6388	2886	4329	6523			
2707	4061	6119	2767	4151	6255	2827	4241	6390	2887	4331	6526			
2708	4062	6121	2768	4152	6257	2828	4242	6393	2888	4332	6528			
2709	4064	6124	2769	4154	6259	2829	4244	6395	2889	4334	6531			
2710	4065	6125	2770	4155	6261	2830	4245	6396	2890	4335	6532			
2711	4067	6129	2771	4157	6264	2831	4247	6400	2891	4337	6535			
2712	4068	6130	2772	4158	6265	2832	4248	6401	2892	4338	6537			
2713	4070	6133	2773	4160	6269	2833	4250	6404	2893	4340	6540			
2714	4071	6135	2774	4161	6270	2834	4251	6406	2894	4341	6541			
2715	4073	6137	2775	4163	6273	2835	4253	6408	2895	4343	6544			
2716	4074	6139	2776	4164	6275	2836	4254	6410	2896	4344	6546			
2717	4076	6142	2777	4166	6277	2837	4256	6413	2897	4346	6549			
2718	4077	6144	2778	4167	6280	2838	4257	6415	2898	4347	6551			
2719	4079	6146	2779	4169	6282	2839	4259	6418	2899	4349	6553			
2720	4080	6148	2780	4170	6283	2840	4260	6419	2900	4350	6554			
2721	4082	6151	2781	4172	6287	2841	4262	6422	2901	4352	6558			
2722	4083	6152	2782	4173	6288	2842	4263	6424	2902	4353	6559			
2723	4085	6156	2783	4175	6291	2843	4265	6427	2903	4355	6563			
2724	4086	6157	2784	4176	6293	2844	4266	6428	2904	4356	6564			
2725	4088	6160	2785	4178	6295	2845	4268	6431	2905	4358	6566			
2726	4089	6162	2786	4179	6297	2846	4269	6433	2906	4359	6569			
2727	4091	6164	2787	4181	6300	2847	4271	6436	2907	4361	6571			
2728	4092	6167	2788	4182	6302	2848	4272	6438	2908	4362	6573			
2729	4094	6169	2789	4184	6305	2849	4274	6440	2909	4364	6576			
2730	4095	6170	2790	4185	6306	2850	4275	6441	2910	4365	6577			
2731	4097	6174	2791	4187	6309	2851	4277	6445	2911	4367	6581			
2732	4098	6175	2792	4188	6311	2852	4278	6446	2912	4368	6582			
2733	4100	6178	2793	4190	6314	2853	4280	6450	2913	4370	6585			
2734	4101	6180	2794	4191	6315	2854	4281	6451	2914	4371	6587			
2735	4103	6182	2795	4193	6318	2855	4283	6453	2915	4373	6589			
2736	4104	6184	2796	4194	6320	2856	4284	6456	2916	4374	6591			
2737	4106	6187	2797	4196	6323	2857	4286	6458	2917	4376	6594			
2738	4107	6189	2798	4197	6325	2858	4287	6460	2918	4377	6596			
2739	4109	6192	2799	4199	6327	2859	4289	6463	2919	4379	6598			
2740	4110	6193	2800	4200	6328	2860	4290	6464	2920	4380	6600			
2741	4112	6196	2801	4202	6332	2861	4292	6468	2921	4382	6603			
2742	4113	6198	2802	4203	6333	2862	4293	6469	2922	4383	6604			
2743	4115	6201	2803	4205	6337	2863	4295	6472	2923	4385	6608			
2744	4116	6202	2804	4206	6338	2864	4296	6474	2924	4386	6609			
2745	4118	6205	2805	4208	6340	2865	4298	6476	2925	4388	6612			
2746	4119	6207	2806	4209	6343	2866	4299	6478	2926	4389	6614			
2747	4121	6210	2807	4211	6345	2867	4301	6481	2927	4391	6616			
2748	4122	6212	2808	4212	6347	2868	4302	6483	2928	4392	6619			
2749	4124	6214	2809	4214	6350	2869	4304	6485	2929	4394	6621			
2750	4125	6215	2810	4215	6351	2870	4305	6487	2930	4395	6622			

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP Revised (pre2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre 2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP Revised (pre2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre 2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP Revised (pre2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre 2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP Revised (pre2006) Consolidated Pension with DP
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2931	4397	6626	2991	4487	6761	3051	4577	6897	3111	4667	7033
2932	4398	6627	2992	4488	6763	3052	4578	6898	3112	4668	7034
2933	4400	6630	2993	4490	6766	3053	4580	6902	3113	4670	7037
2934	4401	6632	2994	4491	6767	3054	4581	6903	3114	4671	7039
2935	4403	6634	2995	4493	6770	3055	4583	6905	3115	4673	7041
2936	4404	6636	2996	4494	6772	3056	4584	6908	3116	4674	7043
2937	4406	6639	2997	4496	6775	3057	4586	6910	3117	4676	7046
2938	4407	6641	2998	4497	6777	3058	4587	6912	3118	4677	7048
2939	4409	6644	2999	4499	6779	3059	4589	6915	3119	4679	7050
2940	4410	6645	3000	4500	6780	3060	4590	6916	3120	4680	7052
2941	4412	6648	3001	4502	6784	3061	4592	6920	3121	4682	7055
2942	4413	6650	3002	4503	6785	3062	4593	6921	3122	4683	7056
2943	4415	6653	3003	4505	6789	3063	4595	6924	3123	4685	7060
2944	4416	6654	3004	4506	6790	3064	4596	6926	3124	4686	7061
2945	4418	6657	3005	4508	6792	3065	4598	6928	3125	4688	7064
2946	4419	6659	3006	4509	6795	3066	4599	6930	3126	4689	7066
2947	4421	6662	3007	4511	6797	3067	4601	6933	3127	4691	7068
2948	4422	6664	3008	4512	6799	3068	4602	6935	3128	4692	7071
2949	4424	6666	3009	4514	6802	3069	4604	6937	3129	4694	7073
2950	4425	6667	3010	4515	6803	3070	4605	6939	3130	4695	7074
2951	4427	6671	3011	4517	6807	3071	4607	6942	3131	4697	7078
2952	4428	6672	3012	4518	6808	3072	4608	6943	3132	4698	7079
2953	4430	6676	3013	4520	6811	3073	4610	6947	3133	4700	7082
2954	4431	6677	3014	4521	6813	3074	4611	6948	3134	4701	7084
2955	4433	6679	3015	4523	6815	3075	4613	6951	3135	4703	7086
2956	4434	6682	3016	4524	6817	3076	4614	6953	3136	4704	7088
2957	4436	6684	3017	4526	6820	3077	4616	6955	3137	4706	7091
2958	4437	6686	3018	4527	6822	3078	4617	6958	3138	4707	7093
2959	4439	6689	3019	4529	6824	3079	4619	6960	3139	4709	7096
2960	4440	6690	3020	4530	6826	3080	4620	6961	3140	4710	7097
2961	4442	6694	3021	4532	6829	3081	4622	6965	3141	4712	7100
2962	4443	6695	3022	4533	6830	3082	4623	6966	3142	4713	7102
2963	4445	6698	3023	4535	6834	3083	4625	6969	3143	4715	7105
2964	4446	6700	3024	4536	6835	3084	4626	6971	3144	4716	7106
2965	4448	6702	3025	4538	6838	3085	4628	6973	3145	4718	7109
2966	4449	6704	3026	4539	6840	3086	4629	6975	3146	4719	7111
2967	4451	6707	3027	4541	6842	3087	4631	6978	3147	4721	7114
2968	4452	6709	3028	4542	6845	3088	4632	6980	3148	4722	7116
2969	4454	6711	3029	4544	6847	3089	4634	6983	3149	4724	7118
2970	4455	6713	3030	4545	6848	3090	4635	6984	3150	4725	7119
2971	4457	6716	3031	4547	6852	3091	4637	6987	3151	4727	7123
2972	4458	6717	3032	4548	6853	3092	4638	6989	3152	4728	7124
2973	4460	6721	3033	4550	6856	3093	4640	6992	3153	4730	7128
2974	4461	6722	3034	4551	6858	3094	4641	6993	3154	4731	7129
2975	4463	6725	3035	4553	6860	3095	4643	6996	3155	4733	7131
2976	4464	6727	3036	4554	6862	3096	4644	6998	3156	4734	7134
2977	4466	6729	3037	4556	6865	3097	4646	7001	3157	4736	7136
2978	4467	6732	3038	4557	6867	3098	4647	7003	3158	4737	7138
2979	4469	6734	3039	4559	6870	3099	4649	7005	3159	4739	7141
2980	4470	6735	3040	4560	6871	3100	4650	7006	3160	4740	7142
2981	4472	6739	3041	4562	6874	3101	4652	7010	3161	4742	7146
2982	4473	6740	3042	4563	6876	3102	4653	7011	3162	4743	7147
2983	4475	6743	3043	4565	6879	3103	4655	7015	3163	4745	7150
2984	4476	6745	3044	4566	6880	3104	4656	7016	3164	4746	7152
2985	4478	6747	3045	4568	6883	3105	4658	7018	3165	4748	7154
2986	4479	6749	3046	4569	6885	3106	4659	7021	3166	4749	7156
2987	4481	6752	3047	4571	6888	3107	4661	7023	3167	4751	7159
2988	4482	6754	3048	4572	6890	3108	4662	7025	3168	4752	7161
2989	4484	6757	3049	4574	6892	3109	4664	7028	3169	4754	7163
2990	4485	6758	3050	4575	6893	3110	4665	7029	3170	4755	7165

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3171	4757	7168	3231	4847	7304	3291	4937	7439	3351	5027	7575
3172	4758	7169	3232	4848	7305	3292	4938	7441	3352	5028	7576
3173	4760	7173	3233	4850	7308	3293	4940	7444	3353	5030	7580
3174	4761	7174	3234	4851	7310	3294	4941	7445	3354	5031	7581
3175	4763	7177	3235	4853	7312	3295	4943	7448	3355	5033	7583
3176	4764	7179	3236	4854	7314	3296	4944	7450	3356	5034	7586
3177	4766	7181	3237	4856	7317	3297	4946	7453	3357	5036	7588
3178	4767	7184	3238	4857	7319	3298	4947	7455	3358	5037	7590
3179	4769	7186	3239	4859	7322	3299	4949	7457	3359	5039	7593
3180	4770	7187	3240	4860	7323	3300	4950	7458	3360	5040	7594
3181	4772	7191	3241	4862	7326	3301	4952	7462	3361	5042	7598
3182	4773	7192	3242	4863	7328	3302	4953	7463	3362	5043	7599
3183	4775	7195	3243	4865	7331	3303	4955	7467	3363	5045	7602
3184	4776	7197	3244	4866	7332	3304	4956	7468	3364	5046	7604
3185	4778	7199	3245	4868	7335	3305	4958	7470	3365	5048	7606
3186	4779	7201	3246	4869	7337	3306	4959	7473	3366	5049	7608
3187	4781	7204	3247	4871	7340	3307	4961	7475	3367	5051	7611
3188	4782	7206	3248	4872	7342	3308	4962	7477	3368	5052	7613
3189	4784	7209	3249	4874	7344	3309	4964	7480	3369	5054	7615
3190	4785	7210	3250	4875	7345	3310	4965	7481	3370	5055	7617
3191	4787	7213	3251	4877	7349	3311	4967	7485	3371	5057	7620
3192	4788	7215	3252	4878	7350	3312	4968	7486	3372	5058	7621
3193	4790	7218	3253	4880	7354	3313	4970	7489	3373	5060	7625
3194	4791	7219	3254	4881	7355	3314	4971	7491	3374	5061	7626
3195	4793	7222	3255	4883	7357	3315	4973	7493	3375	5063	7629
3196	4794	7224	3256	4884	7360	3316	4974	7495	3376	5064	7631
3197	4796	7227	3257	4886	7362	3317	4976	7498	3377	5066	7633
3198	4797	7229	3258	4887	7364	3318	4977	7500	3378	5067	7636
3199	4799	7231	3259	4889	7367	3319	4979	7502	3379	5069	7638
3200	4800	7232	3260	4890	7368	3320	4980	7504	3380	5070	7639
3201	4802	7236	3261	4892	7372	3321	4982	7507	3381	5072	7643
3202	4803	7237	3262	4893	7373	3322	4983	7508	3382	5073	7644
3203	4805	7241	3263	4895	7376	3323	4985	7512	3383	5075	7647
3204	4806	7242	3264	4896	7378	3324	4986	7513	3384	5076	7649
3205	4808	7244	3265	4898	7380	3325	4988	7516	3385	5078	7651
3206	4809	7247	3266	4899	7382	3326	4989	7518	3386	5079	7653
3207	4811	7249	3267	4901	7385	3327	4991	7520	3387	5081	7656
3208	4812	7251	3268	4902	7387	3328	4992	7523	3388	5082	7658
3209	4814	7254	3269	4904	7389	3329	4994	7525	3389	5084	7661
3210	4815	7255	3270	4905	7391	3330	4995	7526	3390	5085	7662
3211	4817	7259	3271	4907	7394	3331	4997	7530	3391	5087	7665
3212	4818	7260	3272	4908	7395	3332	4998	7531	3392	5088	7667
3213	4820	7263	3273	4910	7399	3333	5000	7534	3393	5090	7670
3214	4821	7265	3274	4911	7400	3334	5001	7536	3394	5091	7671
3215	4823	7267	3275	4913	7403	3335	5003	7538	3395	5093	7674
3216	4824	7269	3276	4914	7405	3336	5004	7540	3396	5094	7676
3217	4826	7272	3277	4916	7407	3337	5006	7543	3397	5096	7679
3218	4827	7274	3278	4917	7410	3338	5007	7545	3398	5097	7681
3219	4829	7276	3279	4919	7412	3339	5009	7548	3399	5099	7683
3220	4830	7278	3280	4920	7413	3340	5010	7549	3400	5100	7684
3221	4832	7281	3281	4922	7417	3341	5012	7552	3401	5102	7688
3222	4833	7282	3282	4923	7418	3342	5013	7554	3402	5103	7689
3223	4835	7286	3283	4925	7421	3343	5015	7557	3403	5105	7693
3224	4836	7287	3284	4926	7423	3344	5016	7558	3404	5106	7694
3225	4838	7290	3285	4928	7425	3345	5018	7561	3405	5108	7696
3226	4839	7292	3286	4929	7427	3346	5019	7563	3406	5109	7699
3227	4841	7294	3287	4931	7430	3347	5021	7566	3407	5111	7701
3228	4842	7297	3288	4932	7432	3348	5022	7568	3408	5112	7703
3229	4844	7299	3289	4934	7435	3349	5024	7570	3409	5114	7706
3230	4845	7300	3290	4935	7436	3350	5025	7571	3410	5115	7707

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre 2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3411	5117	7711	3471	5207	7846	3531	5297	7982	3591	5387	8117			
3412	5118	7712	3472	5208	7847	3532	5298	7983	3592	5388	8119			
3413	5120	7715	3473	5210	7851	3533	5300	7986	3593	5390	8122			
3414	5121	7717	3474	5211	7852	3534	5301	7988	3594	5391	8123			
3415	5123	7719	3475	5213	7855	3535	5303	7990	3595	5393	8126			
3416	5124	7721	3476	5214	7857	3536	5304	7992	3596	5394	8128			
3417	5126	7724	3477	5216	7859	3537	5306	7995	3597	5396	8131			
3418	5127	7726	3478	5217	7862	3538	5307	7997	3598	5397	8133			
3419	5129	7728	3479	5219	7864	3539	5309	8000	3599	5399	8135			
3420	5130	7730	3480	5220	7865	3540	5310	8001	3600	5400	8136			
3421	5132	7733	3481	5222	7869	3541	5312	8004	3601	5402	8140			
3422	5133	7734	3482	5223	7870	3542	5313	8006	3602	5403	8141			
3423	5135	7738	3483	5225	7873	3543	5315	8009	3603	5405	8145			
3424	5136	7739	3484	5226	7875	3544	5316	8010	3604	5406	8146			
3425	5138	7742	3485	5228	7877	3545	5318	8013	3605	5408	8148			
3426	5139	7744	3486	5229	7879	3546	5319	8015	3606	5409	8151			
3427	5141	7746	3487	5231	7882	3547	5321	8018	3607	5411	8153			
3428	5142	7749	3488	5232	7884	3548	5322	8020	3608	5412	8155			
3429	5144	7751	3489	5234	7887	3549	5324	8022	3609	5414	8158			
3430	5145	7752	3490	5235	7888	3550	5325	8023	3610	5415	8159			
3431	5147	7756	3491	5237	7891	3551	5327	8027	3611	5417	8163			
3432	5148	7757	3492	5238	7893	3552	5328	8028	3612	5418	8164			
3433	5150	7760	3493	5240	7896	3553	5330	8032	3613	5420	8167			
3434	5151	7762	3494	5241	7897	3554	5331	8033	3614	5421	8169			
3435	5153	7764	3495	5243	7900	3555	5333	8035	3615	5423	8171			
3436	5154	7766	3496	5244	7902	3556	5334	8038	3616	5424	8173			
3437	5156	7769	3497	5246	7905	3557	5336	8040	3617	5426	8176			
3438	5157	7771	3498	5247	7907	3558	5337	8042	3618	5427	8178			
3439	5159	7774	3499	5249	7909	3559	5339	8045	3619	5429	8180			
3440	5160	7775	3500	5250	7910	3560	5340	8046	3620	5430	8182			
3441	5162	7778	3501	5252	7914	3561	5342	8050	3621	5432	8185			
3442	5163	7780	3502	5253	7915	3562	5343	8051	3622	5433	8186			
3443	5165	7783	3503	5255	7919	3563	5345	8054	3623	5435	8190			
3444	5166	7784	3504	5256	7920	3564	5346	8056	3624	5436	8191			
3445	5168	7787	3505	5258	7922	3565	5348	8058	3625	5438	8194			
3446	5169	7789	3506	5259	7925	3566	5349	8060	3626	5439	8196			
3447	5171	7792	3507	5261	7927	3567	5351	8063	3627	5441	8198			
3448	5172	7794	3508	5262	7929	3568	5352	8065	3628	5442	8201			
3449	5174	7796	3509	5264	7932	3569	5354	8067	3629	5444	8203			
3450	5175	7797	3510	5265	7933	3570	5355	8069	3630	5445	8204			
3451	5177	7801	3511	5267	7937	3571	5357	8072	3631	5447	8208			
3452	5178	7802	3512	5268	7938	3572	5358	8073	3632	5448	8209			
3453	5180	7806	3513	5270	7941	3573	5360	8077	3633	5450	8212			
3454	5181	7807	3514	5271	7943	3574	5361	8078	3634	5451	8214			
3455	5183	7809	3515	5273	7945	3575	5363	8081	3635	5453	8216			
3456	5184	7812	3516	5274	7947	3576	5364	8083	3636	5454	8218			
3457	5186	7814	3517	5276	7950	3577	5366	8085	3637	5456	8221			
3458	5187	7816	3518	5277	7952	3578	5367	8088	3638	5457	8223			
3459	5189	7819	3519	5279	7954	3579	5369	8090	3639	5459	8226			
3460	5190	7820	3520	5280	7956	3580	5370	8091	3640	5460	8227			
3461	5192	7824	3521	5282	7959	3581	5372	8095	3641	5462	8230			
3462	5193	7825	3522	5283	7960	3582	5373	8096	3642	5463	8232			
3463	5195	7828	3523	5285	7964	3583	5375	8099	3643	5465	8235			
3464	5196	7830	3524	5286	7965	3584	5376	8101	3644	5466	8236			
3465	5198	7832	3525	5288	7968	3585	5378	8103	3645	5468	8239			
3466	5199	7834	3526	5289	7970	3586	5379	8105	3646	5469	8241			
3467	5201	7837	3527	5291	7972	3587	5381	8108	3647	5471	8244			
3468	5202	7839	3528	5292	7975	3588	5382	8110	3648	5472	8246			
3469	5204	7841	3529	5294	7977	3589	5384	8113	3649	5474	8248			
3470	5205	7843	3530	5295	7978	3590	5385	8114	3650	5475	8249			



BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3651	5477	8253	3711	5567	8389	3771	5657	8524	3831	5747	8660
3652	5478	8254	3712	5568	8390	3772	5658	8525	3832	5748	8661
3653	5480	8258	3713	5570	8393	3773	5660	8529	3833	5750	8664
3654	5481	8259	3714	5571	8395	3774	5661	8530	3834	5751	8666
3655	5483	8261	3715	5573	8397	3775	5663	8533	3835	5753	8668
3656	5484	8264	3716	5574	8399	3776	5664	8535	3836	5754	8670
3657	5486	8266	3717	5576	8402	3777	5666	8537	3837	5756	8673
3658	5487	8268	3718	5577	8404	3778	5667	8540	3838	5757	8675
3659	5489	8271	3719	5579	8406	3779	5669	8542	3839	5759	8678
3660	5490	8272	3720	5580	8408	3780	5670	8543	3840	5760	8679
3661	5492	8276	3721	5582	8411	3781	5672	8547	3841	5762	8682
3662	5493	8277	3722	5583	8412	3782	5673	8548	3842	5763	8684
3663	5495	8280	3723	5585	8416	3783	5675	8551	3843	5765	8687
3664	5496	8282	3724	5586	8417	3784	5676	8553	3844	5766	8688
3665	5498	8284	3725	5588	8420	3785	5678	8555	3845	5768	8691
3666	5499	8286	3726	5589	8422	3786	5679	8557	3846	5769	8693
3667	5501	8289	3727	5591	8424	3787	5681	8560	3847	5771	8696
3668	5502	8291	3728	5592	8427	3788	5682	8562	3848	5772	8698
3669	5504	8293	3729	5594	8429	3789	5684	8565	3849	5774	8700
3670	5505	8295	3730	5595	8430	3790	5685	8566	3850	5775	8701
3671	5507	8298	3731	5597	8434	3791	5687	8569	3851	5777	8705
3672	5508	8299	3732	5598	8435	3792	5688	8571	3852	5778	8706
3673	5510	8303	3733	5600	8438	3793	5690	8574	3853	5780	8710
3674	5511	8304	3734	5601	8440	3794	5691	8575	3854	5781	8711
3675	5513	8307	3735	5603	8442	3795	5693	8578	3855	5783	8713
3676	5514	8309	3736	5604	8444	3796	5694	8580	3856	5784	8716
3677	5516	8311	3737	5606	8447	3797	5696	8583	3857	5786	8718
3678	5517	8314	3738	5607	8449	3798	5697	8585	3858	5787	8720
3679	5519	8316	3739	5609	8452	3799	5699	8587	3859	5789	8723
3680	5520	8317	3740	5610	8453	3800	5700	8588	3860	5790	8724
3681	5522	8321	3741	5612	8456	3801	5702	8592	3861	5792	8728
3682	5523	8322	3742	5613	8458	3802	5703	8593	3862	5793	8729
3683	5525	8325	3743	5615	8461	3803	5705	8597	3863	5795	8732
3684	5526	8327	3744	5616	8462	3804	5706	8598	3864	5796	8734
3685	5528	8329	3745	5618	8465	3805	5708	8600	3865	5798	8736
3686	5529	8331	3746	5619	8467	3806	5709	8603	3866	5799	8738
3687	5531	8334	3747	5621	8470	3807	5711	8605	3867	5801	8741
3688	5532	8336	3748	5622	8472	3808	5712	8607	3868	5802	8743
3689	5534	8339	3749	5624	8474	3809	5714	8610	3869	5804	8745
3690	5535	8340	3750	5625	8475	3810	5715	8611	3870	5805	8747
3691	5537	8343	3751	5627	8479	3811	5717	8615	3871	5807	8750
3692	5538	8345	3752	5628	8480	3812	5718	8616	3872	5808	8751
3693	5540	8348	3753	5630	8484	3813	5720	8619	3873	5810	8755
3694	5541	8349	3754	5631	8485	3814	5721	8621	3874	5811	8756
3695	5543	8352	3755	5633	8487	3815	5723	8623	3875	5813	8759
3696	5544	8354	3756	5634	8490	3816	5724	8625	3876	5814	8761
3697	5546	8357	3757	5636	8492	3817	5726	8628	3877	5816	8763
3698	5547	8359	3758	5637	8494	3818	5727	8630	3878	5817	8766
3699	5549	8361	3759	5639	8497	3819	5729	8632	3879	5819	8768
3700	5550	8362	3760	5640	8498	3820	5730	8634	3880	5820	8769
3701	5552	8366	3761	5642	8502	3821	5732	8637	3881	5822	8773
3702	5553	8367	3762	5643	8503	3822	5733	8638	3882	5823	8774
3703	5555	8371	3763	5645	8506	3823	5735	8642	3883	5825	8777
3704	5556	8372	3764	5646	8508	3824	5736	8643	3884	5826	8779
3705	5558	8374	3765	5648	8510	3825	5738	8646	3885	5828	8781
3706	5559	8377	3766	5649	8512	3826	5739	8648	3886	5829	8783
3707	5561	8379	3767	5651	8515	3827	5741	8650	3887	5831	8786
3708	5562	8381	3768	5652	8517	3828	5742	8653	3888	5832	8788
3709	5564	8384	3769	5654	8519	3829	5744	8655	3889	5834	8791
3710	5565	8385	3770	5655	8521	3830	5745	8656	3890	5835	8792

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Consolidated (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Consolidated (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Consolidated (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Consolidated (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3891	5837	8795	3951	5927	8931	4011	6017	9067	4071	6107	9202			
3892	5838	8797	3952	5928	8932	4012	6018	9068	4072	6108	9203			
3893	5840	8800	3953	5930	8936	4013	6020	9071	4073	6110	9207			
3894	5841	8801	3954	5931	8937	4014	6021	9073	4074	6111	9208			
3895	5843	8804	3955	5933	8939	4015	6023	9075	4075	6113	9211			
3896	5844	8806	3956	5934	8942	4016	6024	9077	4076	6114	9213			
3897	5846	8809	3957	5936	8944	4017	6026	9080	4077	6116	9215			
3898	5847	8811	3958	5937	8946	4018	6027	9082	4078	6117	9218			
3899	5849	8813	3959	5939	8949	4019	6029	9084	4079	6119	9220			
3900	5850	8814	3960	5940	8950	4020	6030	9086	4080	6120	9221			
3901	5852	8818	3961	5942	8954	4021	6032	9089	4081	6122	9225			
3902	5853	8819	3962	5943	8955	4022	6033	9090	4082	6123	9226			
3903	5855	8823	3963	5945	8958	4023	6035	9094	4083	6125	9229			
3904	5856	8824	3964	5946	8960	4024	6036	9095	4084	6126	9231			
3905	5858	8826	3965	5948	8962	4025	6038	9098	4085	6128	9233			
3906	5859	8829	3966	5949	8964	4026	6039	9100	4086	6129	9235			
3907	5861	8831	3967	5951	8967	4027	6041	9102	4087	6131	9238			
3908	5862	8833	3968	5952	8969	4028	6042	9105	4088	6132	9240			
3909	5864	8836	3969	5954	8971	4029	6044	9107	4089	6134	9243			
3910	5865	8837	3970	5955	8973	4030	6045	9108	4090	6135	9244			
3911	5867	8841	3971	5957	8976	4031	6047	9112	4091	6137	9247			
3912	5868	8842	3972	5958	8977	4032	6048	9113	4092	6138	9249			
3913	5870	8845	3973	5960	8981	4033	6050	9116	4093	6140	9252			
3914	5871	8847	3974	5961	8982	4034	6051	9118	4094	6141	9253			
3915	5873	8849	3975	5963	8985	4035	6053	9120	4095	6143	9256			
3916	5874	8851	3976	5964	8987	4036	6054	9122	4096	6144	9258			
3917	5876	8854	3977	5966	8989	4037	6056	9125	4097	6146	9261			
3918	5877	8856	3978	5967	8992	4038	6057	9127	4098	6147	9263			
3919	5879	8858	3979	5969	8994	4039	6059	9130	4099	6149	9265			
3920	5880	8860	3980	5970	8995	4040	6060	9131	4100	6150	9266			
3921	5882	8863	3981	5972	8999	4041	6062	9134	4101	6152	9270			
3922	5883	8864	3982	5973	9000	4042	6063	9136	4102	6153	9271			
3923	5885	8868	3983	5975	9003	4043	6065	9139	4103	6155	9275			
3924	5886	8869	3984	5976	9005	4044	6066	9140	4104	6156	9276			
3925	5888	8872	3985	5978	9007	4045	6068	9143	4105	6158	9278			
3926	5889	8874	3986	5979	9009	4046	6069	9145	4106	6159	9281			
3927	5891	8876	3987	5981	9012	4047	6071	9148	4107	6161	9283			
3928	5892	8879	3988	5982	9014	4048	6072	9150	4108	6162	9285			
3929	5894	8881	3989	5984	9017	4049	6074	9152	4109	6164	9288			
3930	5895	8882	3990	5985	9018	4050	6075	9153	4110	6165	9289			
3931	5897	8886	3991	5987	9021	4051	6077	9157	4111	6167	9293			
3932	5898	8887	3992	5988	9023	4052	6078	9158	4112	6168	9294			
3933	5900	8890	3993	5990	9026	4053	6080	9162	4113	6170	9297			
3934	5901	8892	3994	5991	9027	4054	6081	9163	4114	6171	9299			
3935	5903	8894	3995	5993	9030	4055	6083	9165	4115	6173	9301			
3936	5904	8896	3996	5994	9032	4056	6084	9168	4116	6174	9303			
3937	5906	8899	3997	5996	9035	4057	6086	9170	4117	6176	9306			
3938	5907	8901	3998	5997	9037	4058	6087	9172	4118	6177	9308			
3939	5909	8904	3999	5999	9039	4059	6089	9175	4119	6179	9310			
3940	5910	8905	4000	6000	9040	4060	6090	9176	4120	6180	9312			
3941	5912	8908	4001	6002	9044	4061	6092	9180	4121	6182	9315			
3942	5913	8910	4002	6003	9045	4062	6093	9181	4122	6183	9316			
3943	5915	8913	4003	6005	9049	4063	6095	9184	4123	6185	9320			
3944	5916	8914	4004	6006	9050	4064	6096	9186	4124	6186	9321			
3945	5918	8917	4005	6008	9052	4065	6098	9188	4125	6188	9324			
3946	5919	8919	4006	6009	9055	4066	6099	9190	4126	6189	9326			
3947	5921	8922	4007	6011	9057	4067	6101	9193	4127	6191	9328			
3948	5922	8924	4008	6012	9059	4068	6102	9195	4128	6192	9331			
3949	5924	8926	4009	6014	9062	4069	6104	9197	4129	6194	9333			
3950	5925	8927	4010	6015	9063	4070	6105	9199	4130	6195	9334			

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4131	6197	9338	4191	6287	9473	4251	6377	9609	4311	6467	9745
4132	6198	9339	4192	6288	9475	4252	6378	9610	4312	6468	9746
4133	6200	9342	4193	6290	9478	4253	6380	9614	4313	6470	9749
4134	6201	9344	4194	6291	9479	4254	6381	9615	4314	6471	9751
4135	6203	9346	4195	6293	9482	4255	6383	9617	4315	6473	9753
4136	6204	9348	4196	6294	9484	4256	6384	9620	4316	6474	9755
4137	6206	9351	4197	6296	9487	4257	6386	9622	4317	6476	9758
4138	6207	9353	4198	6297	9489	4258	6387	9624	4318	6477	9760
4139	6209	9356	4199	6299	9491	4259	6389	9627	4319	6479	9762
4140	6210	9357	4200	6300	9492	4260	6390	9628	4320	6480	9764
4141	6212	9360	4201	6302	9496	4261	6392	9632	4321	6482	9767
4142	6213	9362	4202	6303	9497	4262	6393	9633	4322	6483	9768
4143	6215	9365	4203	6305	9501	4263	6395	9636	4323	6485	9772
4144	6216	9366	4204	6306	9502	4264	6396	9638	4324	6486	9773
4145	6218	9369	4205	6308	9504	4265	6398	9640	4325	6488	9776
4146	6219	9371	4206	6309	9507	4266	6399	9642	4326	6489	9778
4147	6221	9374	4207	6311	9509	4267	6401	9645	4327	6491	9780
4148	6222	9376	4208	6312	9511	4268	6402	9647	4328	6492	9783
4149	6224	9378	4209	6314	9514	4269	6404	9649	4329	6494	9785
4150	6225	9379	4210	6315	9515	4270	6405	9651	4330	6495	9786
4151	6227	9383	4211	6317	9519	4271	6407	9654	4331	6497	9790
4152	6228	9384	4212	6318	9520	4272	6408	9655	4332	6498	9791
4153	6230	9388	4213	6320	9523	4273	6410	9659	4333	6500	9794
4154	6231	9389	4214	6321	9525	4274	6411	9660	4334	6501	9796
4155	6233	9391	4215	6323	9527	4275	6413	9663	4335	6503	9798
4156	6234	9394	4216	6324	9529	4276	6414	9665	4336	6504	9800
4157	6236	9396	4217	6326	9532	4277	6416	9667	4337	6506	9803
4158	6237	9398	4218	6327	9534	4278	6417	9670	4338	6507	9805
4159	6239	9401	4219	6329	9536	4279	6419	9672	4339	6509	9808
4160	6240	9402	4220	6330	9538	4280	6420	9673	4340	6510	9809
4161	6242	9406	4221	6332	9541	4281	6422	9677	4341	6512	9812
4162	6243	9407	4222	6333	9542	4282	6423	9678	4342	6513	9814
4163	6245	9410	4223	6335	9546	4283	6425	9681	4343	6515	9817
4164	6246	9412	4224	6336	9547	4284	6426	9683	4344	6516	9818
4165	6248	9414	4225	6338	9550	4285	6428	9685	4345	6518	9821
4166	6249	9416	4226	6339	9552	4286	6429	9687	4346	6519	9823
4167	6251	9419	4227	6341	9554	4287	6431	9690	4347	6521	9826
4168	6252	9421	4228	6342	9557	4288	6432	9692	4348	6522	9828
4169	6254	9423	4229	6344	9559	4289	6434	9695	4349	6524	9830
4170	6255	9425	4230	6345	9560	4290	6435	9696	4350	6525	9831
4171	6257	9428	4231	6347	9564	4291	6437	9699	4351	6527	9835
4172	6258	9429	4232	6348	9565	4292	6438	9701	4352	6528	9836
4173	6260	9433	4233	6350	9568	4293	6440	9704	4353	6530	9840
4174	6261	9434	4234	6351	9570	4294	6441	9705	4354	6531	9841
4175	6263	9437	4235	6353	9572	4295	6443	9708	4355	6533	9843
4176	6264	9439	4236	6354	9574	4296	6444	9710	4356	6534	9846
4177	6266	9441	4237	6356	9577	4297	6446	9713	4357	6536	9848
4178	6267	9444	4238	6357	9579	4298	6447	9715	4358	6537	9850
4179	6269	9446	4239	6359	9582	4299	6449	9717	4359	6539	9853
4180	6270	9447	4240	6360	9583	4300	6450	9718	4360	6540	9854
4181	6272	9451	4241	6362	9586	4301	6452	9722	4361	6542	9858
4182	6273	9452	4242	6363	9588	4302	6453	9723	4362	6543	9859
4183	6275	9455	4243	6365	9591	4303	6455	9727	4363	6545	9862
4184	6276	9457	4244	6366	9592	4304	6456	9728	4364	6546	9864
4185	6278	9459	4245	6368	9595	4305	6458	9730	4365	6548	9866
4186	6279	9461	4246	6369	9597	4306	6459	9733	4366	6549	9868
4187	6281	9464	4247	6371	9600	4307	6461	9735	4367	6551	9871
4188	6282	9466	4248	6372	9602	4308	6462	9737	4368	6552	9873
4189	6284	9469	4249	6374	9604	4309	6464	9740	4369	6554	9875
4190	6285	9470	4250	6375	9605	4310	6465	9741	4370	6555	9877

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4371	6557	9880	4431	6647	10016	4491	6737	10151	4551	6827	10287
4372	6558	9881	4432	6648	10017	4492	6738	10153	4552	6828	10288
4373	6560	9885	4433	6650	10020	4493	6740	10156	4553	6830	10292
4374	6561	9886	4434	6651	10022	4494	6741	10157	4554	6831	10293
4375	6563	9889	4435	6653	10024	4495	6743	10160	4555	6833	10295
4376	6564	9891	4436	6654	10026	4496	6744	10162	4556	6834	10298
4377	6566	9893	4437	6656	10029	4497	6746	10165	4557	6836	10300
4378	6567	9896	4438	6657	10031	4498	6747	10167	4558	6837	10302
4379	6569	9898	4439	6659	10034	4499	6749	10169	4559	6839	10305
4380	6570	9899	4440	6660	10035	4500	6750	10170	4560	6840	10306
4381	6572	9903	4441	6662	10038	4501	6752	10174	4561	6842	10310
4382	6573	9904	4442	6663	10040	4502	6753	10175	4562	6843	10311
4383	6575	9907	4443	6665	10043	4503	6755	10179	4563	6845	10314
4384	6576	9909	4444	6666	10044	4504	6756	10180	4564	6846	10316
4385	6578	9911	4445	6668	10047	4505	6758	10182	4565	6848	10318
4386	6579	9913	4446	6669	10049	4506	6759	10185	4566	6849	10320
4387	6581	9916	4447	6671	10052	4507	6761	10187	4567	6851	10323
4388	6582	9918	4448	6672	10054	4508	6762	10189	4568	6852	10325
4389	6584	9921	4449	6674	10056	4509	6764	10192	4569	6854	10327
4390	6585	9922	4450	6675	10057	4510	6765	10193	4570	6855	10329
4391	6587	9925	4451	6677	10061	4511	6767	10197	4571	6857	10332
4392	6588	9927	4452	6678	10062	4512	6768	10198	4572	6858	10333
4393	6590	9930	4453	6680	10066	4513	6770	10201	4573	6860	10337
4394	6591	9931	4454	6681	10067	4514	6771	10203	4574	6861	10338
4395	6593	9934	4455	6683	10069	4515	6773	10205	4575	6863	10341
4396	6594	9936	4456	6684	10072	4516	6774	10207	4576	6864	10343
4397	6596	9939	4457	6686	10074	4517	6776	10210	4577	6866	10345
4398	6597	9941	4458	6687	10076	4518	6777	10212	4578	6867	10348
4399	6599	9943	4459	6689	10079	4519	6779	10214	4579	6869	10350
4400	6600	9944	4460	6690	10080	4520	6780	10216	4580	6870	10351
4401	6602	9948	4461	6692	10084	4521	6782	10219	4581	6872	10355
4402	6603	9949	4462	6693	10085	4522	6783	10220	4582	6873	10356
4403	6605	9953	4463	6695	10088	4523	6785	10224	4583	6875	10359
4404	6606	9954	4464	6696	10090	4524	6786	10225	4584	6876	10361
4405	6608	9956	4465	6698	10092	4525	6788	10228	4585	6878	10363
4406	6609	9959	4466	6699	10094	4526	6789	10230	4586	6879	10365
4407	6611	9961	4467	6701	10097	4527	6791	10232	4587	6881	10368
4408	6612	9963	4468	6702	10099	4528	6792	10235	4588	6882	10370
4409	6614	9966	4469	6704	10101	4529	6794	10237	4589	6884	10373
4410	6615	9967	4470	6705	10103	4530	6795	10238	4590	6885	10374
4411	6617	9971	4471	6707	10106	4531	6797	10242	4591	6887	10377
4412	6618	9972	4472	6708	10107	4532	6798	10243	4592	6888	10379
4413	6620	9975	4473	6710	10111	4533	6800	10246	4593	6890	10382
4414	6621	9977	4474	6711	10112	4534	6801	10248	4594	6891	10383
4415	6623	9979	4475	6713	10115	4535	6803	10250	4595	6893	10386
4416	6624	9981	4476	6714	10117	4536	6804	10252	4596	6894	10388
4417	6626	9984	4477	6716	10119	4537	6806	10255	4597	6896	10391
4418	6627	9986	4478	6717	10122	4538	6807	10257	4598	6897	10393
4419	6629	9988	4479	6719	10124	4539	6809	10260	4599	6899	10395
4420	6630	9990	4480	6720	10125	4540	6810	10261	4600	6900	10396
4421	6632	9993	4481	6722	10129	4541	6812	10264	4601	6902	10400
4422	6633	9994	4482	6723	10130	4542	6813	10266	4602	6903	10401
4423	6635	9998	4483	6725	10133	4543	6815	10269	4603	6905	10405
4424	6636	9999	4484	6726	10135	4544	6816	10270	4604	6906	10406
4425	6638	10002	4485	6728	10137	4545	6818	10273	4605	6908	10408
4426	6639	10004	4486	6729	10139	4546	6819	10275	4606	6909	10411
4427	6641	10006	4487	6731	10142	4547	6821	10278	4607	6911	10413
4428	6642	10009	4488	6732	10144	4548	6822	10280	4608	6912	10415
4429	6644	10011	4489	6734	10147	4549	6824	10282	4609	6914	10418
4430	6645	10012	4490	6735	10148	4550	6825	10283	4610	6915	10419

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4611	6917	10423	4671	7007	10558	4731	7097	10694	4791	7187	10829
4612	6918	10424	4672	7008	10559	4732	7098	10695	4792	7188	10831
4613	6920	10427	4673	7010	10563	4733	7100	10698	4793	7190	10834
4614	6921	10429	4674	7011	10564	4734	7101	10700	4794	7191	10835
4615	6923	10431	4675	7013	10567	4735	7103	10702	4795	7193	10838
4616	6924	10433	4676	7014	10569	4736	7104	10704	4796	7194	10840
4617	6926	10436	4677	7016	10571	4737	7106	10707	4797	7196	10843
4618	6927	10438	4678	7017	10574	4738	7107	10709	4798	7197	10845
4619	6929	10440	4679	7019	10576	4739	7109	10712	4799	7199	10847
4620	6930	10442	4680	7020	10577	4740	7110	10713	4800	7200	10848
4621	6932	10445	4681	7022	10581	4741	7112	10716	4801	7202	10852
4622	6933	10446	4682	7023	10582	4742	7113	10718	4802	7203	10853
4623	6935	10450	4683	7025	10585	4743	7115	10721	4803	7205	10857
4624	6936	10451	4684	7026	10587	4744	7116	10722	4804	7206	10858
4625	6938	10454	4685	7028	10589	4745	7118	10725	4805	7208	10860
4626	6939	10456	4686	7029	10591	4746	7119	10727	4806	7209	10863
4627	6941	10458	4687	7031	10594	4747	7121	10730	4807	7211	10865
4628	6942	10461	4688	7032	10596	4748	7122	10732	4808	7212	10867
4629	6944	10463	4689	7034	10599	4749	7124	10734	4809	7214	10870
4630	6945	10464	4690	7035	10600	4750	7125	10735	4810	7215	10871
4631	6947	10468	4691	7037	10603	4751	7127	10739	4811	7217	10875
4632	6948	10469	4692	7038	10605	4752	7128	10740	4812	7218	10876
4633	6950	10472	4693	7040	10608	4753	7130	10744	4813	7220	10879
4634	6951	10474	4694	7041	10609	4754	7131	10745	4814	7221	10881
4635	6953	10476	4695	7043	10612	4755	7133	10747	4815	7223	10883
4636	6954	10478	4696	7044	10614	4756	7134	10750	4816	7224	10885
4637	6956	10481	4697	7046	10617	4757	7136	10752	4817	7226	10888
4638	6957	10483	4698	7047	10619	4758	7137	10754	4818	7227	10890
4639	6959	10486	4699	7049	10621	4759	7139	10757	4819	7229	10892
4640	6960	10487	4700	7050	10622	4760	7140	10758	4820	7230	10894
4641	6962	10490	4701	7052	10626	4761	7142	10762	4821	7232	10897
4642	6963	10492	4702	7053	10627	4762	7143	10763	4822	7233	10898
4643	6965	10495	4703	7055	10631	4763	7145	10766	4823	7235	10902
4644	6966	10496	4704	7056	10632	4764	7146	10768	4824	7236	10903
4645	6968	10499	4705	7058	10634	4765	7148	10770	4825	7238	10906
4646	6969	10501	4706	7059	10637	4766	7149	10772	4826	7239	10908
4647	6971	10504	4707	7061	10639	4767	7151	10775	4827	7241	10910
4648	6972	10506	4708	7062	10641	4768	7152	10777	4828	7242	10913
4649	6974	10508	4709	7064	10644	4769	7154	10779	4829	7244	10915
4650	6975	10509	4710	7065	10645	4770	7155	10781	4830	7245	10916
4651	6977	10513	4711	7067	10649	4771	7157	10784	4831	7247	10920
4652	6978	10514	4712	7068	10650	4772	7158	10785	4832	7248	10921
4653	6980	10518	4713	7070	10653	4773	7160	10789	4833	7250	10924
4654	6981	10519	4714	7071	10655	4774	7161	10790	4834	7251	10926
4655	6983	10521	4715	7073	10657	4775	7163	10793	4835	7253	10928
4656	6984	10524	4716	7074	10659	4776	7164	10795	4836	7254	10930
4657	6986	10526	4717	7076	10662	4777	7166	10797	4837	7256	10933
4658	6987	10528	4718	7077	10664	4778	7167	10800	4838	7257	10935
4659	6989	10531	4719	7079	10666	4779	7169	10802	4839	7259	10938
4660	6990	10532	4720	7080	10668	4780	7170	10803	4840	7260	10939
4661	6992	10536	4721	7082	10671	4781	7172	10807	4841	7262	10942
4662	6993	10537	4722	7083	10672	4782	7173	10808	4842	7263	10944
4663	6995	10540	4723	7085	10676	4783	7175	10811	4843	7265	10947
4664	6996	10542	4724	7086	10677	4784	7176	10813	4844	7266	10948
4665	6998	10544	4725	7088	10680	4785	7178	10815	4845	7268	10951
4666	6999	10546	4726	7089	10682	4786	7179	10817	4846	7269	10953
4667	7001	10549	4727	7091	10684	4787	7181	10820	4847	7271	10956
4668	7002	10551	4728	7092	10687	4788	7182	10822	4848	7272	10958
4669	7004	10553	4729	7094	10689	4789	7184	10825	4849	7274	10960
4670	7005	10555	4730	7095	10690	4790	7185	10826	4850	7275	10961

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated (pre2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated (pre2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated (pre2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated (pre2006) Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4851	7277	10965	4911	7367	11101	4971	7457	11236	5031	7547	11372
4852	7278	10966	4912	7368	11102	4972	7458	11237	5032	7548	11373
4853	7280	10970	4913	7370	11105	4973	7460	11241	5033	7550	11376
4854	7281	10971	4914	7371	11107	4974	7461	11242	5034	7551	11378
4855	7283	10973	4915	7373	11109	4975	7463	11245	5035	7553	11380
4856	7284	10976	4916	7374	11111	4976	7464	11247	5036	7554	11382
4857	7286	10978	4917	7376	11114	4977	7466	11249	5037	7556	11385
4858	7287	10980	4918	7377	11116	4978	7467	11252	5038	7557	11387
4859	7289	10983	4919	7379	11118	4979	7469	11254	5039	7559	11390
4860	7290	10984	4920	7380	11120	4980	7470	11255	5040	7560	11391
4861	7292	10988	4921	7382	11123	4981	7472	11259	5041	7562	11394
4862	7293	10989	4922	7383	11124	4982	7473	11260	5042	7563	11396
4863	7295	10992	4923	7385	11128	4983	7475	11263	5043	7565	11399
4864	7296	10994	4924	7386	11129	4984	7476	11265	5044	7566	11400
4865	7298	10996	4925	7388	11132	4985	7478	11267	5045	7568	11403
4866	7299	10998	4926	7389	11134	4986	7479	11269	5046	7569	11405
4867	7301	11001	4927	7391	11136	4987	7481	11272	5047	7571	11408
4868	7302	11003	4928	7392	11139	4988	7482	11274	5048	7572	11410
4869	7304	11005	4929	7394	11141	4989	7484	11277	5049	7574	11412
4870	7305	11007	4930	7395	11142	4990	7485	11278	5050	7575	11413
4871	7307	11010	4931	7397	11146	4991	7487	11281	5051	7577	11417
4872	7308	11011	4932	7398	11147	4992	7488	11283	5052	7578	11418
4873	7310	11015	4933	7400	11150	4993	7490	11286	5053	7580	11422
4874	7311	11016	4934	7401	11152	4994	7491	11287	5054	7581	11423
4875	7313	11019	4935	7403	11154	4995	7493	11290	5055	7583	11425
4876	7314	11021	4936	7404	11156	4996	7494	11292	5056	7584	11428
4877	7316	11023	4937	7406	11159	4997	7496	11295	5057	7586	11430
4878	7317	11026	4938	7407	11161	4998	7497	11297	5058	7587	11432
4879	7319	11028	4939	7409	11164	4999	7499	11299	5059	7589	11435
4880	7320	11029	4940	7410	11165	5000	7500	11300	5060	7590	11436
4881	7322	11033	4941	7412	11168	5001	7502	11304	5061	7592	11440
4882	7323	11034	4942	7413	11170	5002	7503	11305	5062	7593	11441
4883	7325	11037	4943	7415	11173	5003	7505	11309	5063	7595	11444
4884	7326	11039	4944	7416	11174	5004	7506	11310	5064	7596	11446
4885	7328	11041	4945	7418	11177	5005	7508	11312	5065	7598	11448
4886	7329	11043	4946	7419	11179	5006	7509	11315	5066	7599	11450
4887	7331	11046	4947	7421	11182	5007	7511	11317	5067	7601	11453
4888	7332	11048	4948	7422	11184	5008	7512	11319	5068	7602	11455
4889	7334	11051	4949	7424	11186	5009	7514	11322	5069	7604	11457
4890	7335	11052	4950	7425	11187	5010	7515	11323	5070	7605	11459
4891	7337	11055	4951	7427	11191	5011	7517	11327	5071	7607	11462
4892	7338	11057	4952	7428	11192	5012	7518	11328	5072	7608	11463
4893	7340	11060	4953	7430	11196	5013	7520	11331	5073	7610	11467
4894	7341	11061	4954	7431	11197	5014	7521	11333	5074	7611	11468
4895	7343	11064	4955	7433	11199	5015	7523	11335	5075	7613	11471
4896	7344	11066	4956	7434	11202	5016	7524	11337	5076	7614	11473
4897	7346	11069	4957	7436	11204	5017	7526	11340	5077	7616	11475
4898	7347	11071	4958	7437	11206	5018	7527	11342	5078	7617	11478
4899	7349	11073	4959	7439	11209	5019	7529	11344	5079	7619	11480
4900	7350	11074	4960	7440	11210	5020	7530	11346	5080	7620	11481
4901	7352	11078	4961	7442	11214	5021	7532	11349	5081	7622	11485
4902	7353	11079	4962	7443	11215	5022	7533	11350	5082	7623	11486
4903	7355	11083	4963	7445	11218	5023	7535	11354	5083	7625	11489
4904	7356	11084	4964	7446	11220	5024	7536	11355	5084	7626	11491
4905	7358	11086	4965	7448	11222	5025	7538	11358	5085	7628	11493
4906	7359	11089	4966	7449	11224	5026	7539	11360	5086	7629	11495
4907	7361	11091	4967	7451	11227	5027	7541	11362	5087	7631	11498
4908	7362	11093	4968	7452	11229	5028	7542	11365	5088	7632	11500
4909	7364	11096	4969	7454	11231	5029	7544	11367	5089	7634	11503
4910	7365	11097	4970	7455	11233	5030	7545	11368	5090	7635	11504

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5091	7637	11507	5151	7727	11643	5211	7817	11779	5271	7907	11914
5092	7638	11509	5152	7728	11644	5212	7818	11780	5272	7908	11915
5093	7640	11512	5153	7730	11648	5213	7820	11783	5273	7910	11919
5094	7641	11513	5154	7731	11649	5214	7821	11785	5274	7911	11920
5095	7643	11516	5155	7733	11651	5215	7823	11787	5275	7913	11923
5096	7644	11518	5156	7734	11654	5216	7824	11789	5276	7914	11925
5097	7646	11521	5157	7736	11656	5217	7826	11792	5277	7916	11927
5098	7647	11523	5158	7737	11658	5218	7827	11794	5278	7917	11930
5099	7649	11525	5159	7739	11661	5219	7829	11796	5279	7919	11932
5100	7650	11526	5160	7740	11662	5220	7830	11798	5280	7920	11933
5101	7652	11530	5161	7742	11666	5221	7832	11801	5281	7922	11937
5102	7653	11531	5162	7743	11667	5222	7833	11802	5282	7923	11938
5103	7655	11535	5163	7745	11670	5223	7835	11806	5283	7925	11941
5104	7656	11536	5164	7746	11672	5224	7836	11807	5284	7926	11943
5105	7658	11538	5165	7748	11674	5225	7838	11810	5285	7928	11945
5106	7659	11541	5166	7749	11676	5226	7839	11812	5286	7929	11947
5107	7661	11543	5167	7751	11679	5227	7841	11814	5287	7931	11950
5108	7662	11545	5168	7752	11681	5228	7842	11817	5288	7932	11952
5109	7664	11548	5169	7754	11683	5229	7844	11819	5289	7934	11955
5110	7665	11549	5170	7755	11685	5230	7845	11820	5290	7935	11956
5111	7667	11553	5171	7757	11688	5231	7847	11824	5291	7937	11959
5112	7668	11554	5172	7758	11689	5232	7848	11825	5292	7938	11961
5113	7670	11557	5173	7760	11693	5233	7850	11828	5293	7940	11964
5114	7671	11559	5174	7761	11694	5234	7851	11830	5294	7941	11965
5115	7673	11561	5175	7763	11697	5235	7853	11832	5295	7943	11968
5116	7674	11563	5176	7764	11699	5236	7854	11834	5296	7944	11970
5117	7676	11566	5177	7766	11701	5237	7856	11837	5297	7946	11973
5118	7677	11568	5178	7767	11704	5238	7857	11839	5298	7947	11975
5119	7679	11570	5179	7769	11706	5239	7859	11842	5299	7949	11977
5120	7680	11572	5180	7770	11707	5240	7860	11843	5300	7950	11978
5121	7682	11575	5181	7772	11711	5241	7862	11846	5301	7952	11982
5122	7683	11576	5182	7773	11712	5242	7863	11848	5302	7953	11983
5123	7685	11580	5183	7775	11715	5243	7865	11851	5303	7955	11987
5124	7686	11581	5184	7776	11717	5244	7866	11852	5304	7956	11988
5125	7688	11584	5185	7778	11719	5245	7868	11855	5305	7958	11990
5126	7689	11586	5186	7779	11721	5246	7869	11857	5306	7959	11993
5127	7691	11588	5187	7781	11724	5247	7871	11860	5307	7961	11995
5128	7692	11591	5188	7782	11726	5248	7872	11862	5308	7962	11997
5129	7694	11593	5189	7784	11729	5249	7874	11864	5309	7964	12000
5130	7695	11594	5190	7785	11730	5250	7875	11865	5310	7965	12001
5131	7697	11598	5191	7787	11733	5251	7877	11869	5311	7967	12005
5132	7698	11599	5192	7788	11735	5252	7878	11870	5312	7968	12006
5133	7700	11602	5193	7790	11738	5253	7880	11874	5313	7970	12009
5134	7701	11604	5194	7791	11739	5254	7881	11875	5314	7971	12011
5135	7703	11606	5195	7793	11742	5255	7883	11877	5315	7973	12013
5136	7704	11608	5196	7794	11744	5256	7884	11880	5316	7974	12015
5137	7706	11611	5197	7796	11747	5257	7886	11882	5317	7976	12018
5138	7707	11613	5198	7797	11749	5258	7887	11884	5318	7977	12020
5139	7709	11616	5199	7799	11751	5259	7889	11887	5319	7979	12022
5140	7710	11617	5200	7800	11752	5260	7890	11888	5320	7980	12024
5141	7712	11620	5201	7802	11756	5261	7892	11892	5321	7982	12027
5142	7713	11622	5202	7803	11757	5262	7893	11893	5322	7983	12028
5143	7715	11625	5203	7805	11761	5263	7895	11896	5323	7985	12032
5144	7716	11626	5204	7806	11762	5264	7896	11898	5324	7986	12033
5145	7718	11629	5205	7808	11764	5265	7898	11900	5325	7988	12036
5146	7719	11631	5206	7809	11767	5266	7899	11902	5326	7989	12038
5147	7721	11634	5207	7811	11769	5267	7901	11905	5327	7991	12040
5148	7722	11636	5208	7812	11771	5268	7902	11907	5328	7992	12043
5149	7724	11638	5209	7814	11774	5269	7904	11909	5329	7994	12045
5150	7725	11639	5210	7815	11775	5270	7905	11911	5330	7995	12046

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5331	7997	12050	5391	8087	12185	5451	8177	12321	5511	8267	12457
5332	7998	12051	5392	8088	12187	5452	8178	12322	5512	8268	12458
5333	8000	12054	5393	8090	12190	5453	8180	12326	5513	8270	12461
5334	8001	12056	5394	8091	12191	5454	8181	12327	5514	8271	12463
5335	8003	12058	5395	8093	12194	5455	8183	12329	5515	8273	12465
5336	8004	12060	5396	8094	12196	5456	8184	12332	5516	8274	12467
5337	8006	12063	5397	8096	12199	5457	8186	12334	5517	8276	12470
5338	8007	12065	5398	8097	12201	5458	8187	12336	5518	8277	12472
5339	8009	12068	5399	8099	12203	5459	8189	12339	5519	8279	12474
5340	8010	12069	5400	8100	12204	5460	8190	12340	5520	8280	12476
5341	8012	12072	5401	8102	12208	5461	8192	12344	5521	8282	12479
5342	8013	12074	5402	8103	12209	5462	8193	12345	5522	8283	12480
5343	8015	12077	5403	8105	12213	5463	8195	12348	5523	8285	12484
5344	8016	12078	5404	8106	12214	5464	8196	12350	5524	8286	12485
5345	8018	12081	5405	8108	12216	5465	8198	12352	5525	8288	12488
5346	8019	12083	5406	8109	12219	5466	8199	12354	5526	8289	12490
5347	8021	12086	5407	8111	12221	5467	8201	12357	5527	8291	12492
5348	8022	12088	5408	8112	12223	5468	8202	12359	5528	8292	12495
5349	8024	12090	5409	8114	12226	5469	8204	12361	5529	8294	12497
5350	8025	12091	5410	8115	12227	5470	8205	12363	5530	8295	12498
5351	8027	12095	5411	8117	12231	5471	8207	12366	5531	8297	12502
5352	8028	12096	5412	8118	12232	5472	8208	12367	5532	8298	12503
5353	8030	12100	5413	8120	12235	5473	8210	12371	5533	8300	12506
5354	8031	12101	5414	8121	12237	5474	8211	12372	5534	8301	12508
5355	8033	12103	5415	8123	12239	5475	8213	12375	5535	8303	12510
5356	8034	12106	5416	8124	12241	5476	8214	12377	5536	8304	12512
5357	8036	12108	5417	8126	12244	5477	8216	12379	5537	8306	12515
5358	8037	12110	5418	8127	12246	5478	8217	12382	5538	8307	12517
5359	8039	12113	5419	8129	12248	5479	8219	12384	5539	8309	12520
5360	8040	12114	5420	8130	12250	5480	8220	12385	5540	8310	12521
5361	8042	12118	5421	8132	12253	5481	8222	12389	5541	8312	12524
5362	8043	12119	5422	8133	12254	5482	8223	12390	5542	8313	12526
5363	8045	12122	5423	8135	12258	5483	8225	12393	5543	8315	12529
5364	8046	12124	5424	8136	12259	5484	8226	12395	5544	8316	12530
5365	8048	12126	5425	8138	12262	5485	8228	12397	5545	8318	12533
5366	8049	12128	5426	8139	12264	5486	8229	12399	5546	8319	12535
5367	8051	12131	5427	8141	12266	5487	8231	12402	5547	8321	12538
5368	8052	12133	5428	8142	12269	5488	8232	12404	5548	8322	12540
5369	8054	12135	5429	8144	12271	5489	8234	12407	5549	8324	12542
5370	8055	12137	5430	8145	12272	5490	8235	12408	5550	8325	12543
5371	8057	12140	5431	8147	12276	5491	8237	12411	5551	8327	12547
5372	8058	12141	5432	8148	12277	5492	8238	12413	5552	8328	12548
5373	8060	12145	5433	8150	12280	5493	8240	12416	5553	8330	12552
5374	8061	12146	5434	8151	12282	5494	8241	12417	5554	8331	12553
5375	8063	12149	5435	8153	12284	5495	8243	12420	5555	8333	12555
5376	8064	12151	5436	8154	12286	5496	8244	12422	5556	8334	12558
5377	8066	12153	5437	8156	12289	5497	8246	12425	5557	8336	12560
5378	8067	12156	5438	8157	12291	5498	8247	12427	5558	8337	12562
5379	8069	12158	5439	8159	12294	5499	8249	12429	5559	8339	12565
5380	8070	12159	5440	8160	12295	5500	8250	12430	5560	8340	12566
5381	8072	12163	5441	8162	12298	5501	8252	12434	5561	8342	12570
5382	8073	12164	5442	8163	12300	5502	8253	12435	5562	8343	12571
5383	8075	12167	5443	8165	12303	5503	8255	12439	5563	8345	12574
5384	8076	12169	5444	8166	12304	5504	8256	12440	5564	8346	12576
5385	8078	12171	5445	8168	12307	5505	8258	12442	5565	8348	12578
5386	8079	12173	5446	8169	12309	5506	8259	12445	5566	8349	12580
5387	8081	12176	5447	8171	12312	5507	8261	12447	5567	8351	12583
5388	8082	12178	5448	8172	12314	5508	8262	12449	5568	8352	12585
5389	8084	12181	5449	8174	12316	5509	8264	12452	5569	8354	12587
5390	8085	12182	5450	8175	12317	5510	8265	12453	5570	8355	12589



BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5571	8357	12592	5631	8447	12728	5691	8537	12863	5751	8627	12999
5572	8358	12593	5632	8448	12729	5692	8538	12865	5752	8628	13000
5573	8360	12597	5633	8450	12732	5693	8540	12868	5753	8630	13004
5574	8361	12598	5634	8451	12734	5694	8541	12869	5754	8631	13005
5575	8363	12601	5635	8453	12736	5695	8543	12872	5755	8633	13007
5576	8364	12603	5636	8454	12738	5696	8544	12874	5756	8634	13010
5577	8366	12605	5637	8456	12741	5697	8546	12877	5757	8636	13012
5578	8367	12608	5638	8457	12743	5698	8547	12879	5758	8637	13014
5579	8369	12610	5639	8459	12746	5699	8549	12881	5759	8639	13017
5580	8370	12611	5640	8460	12747	5700	8550	12882	5760	8640	13018
5581	8372	12615	5641	8462	12750	5701	8552	12886	5761	8642	13022
5582	8373	12616	5642	8463	12752	5702	8553	12887	5762	8643	13023
5583	8375	12619	5643	8465	12755	5703	8555	12891	5763	8645	13026
5584	8376	12621	5644	8466	12756	5704	8556	12892	5764	8646	13028
5585	8378	12623	5645	8468	12759	5705	8558	12894	5765	8648	13030
5586	8379	12625	5646	8469	12761	5706	8559	12897	5766	8649	13032
5587	8381	12628	5647	8471	12764	5707	8561	12899	5767	8651	13035
5588	8382	12630	5648	8472	12766	5708	8562	12901	5768	8652	13037
5589	8384	12633	5649	8474	12768	5709	8564	12904	5769	8654	13039
5590	8385	12634	5650	8475	12769	5710	8565	12905	5770	8655	13041
5591	8387	12637	5651	8477	12773	5711	8567	12909	5771	8657	13044
5592	8388	12639	5652	8478	12774	5712	8568	12910	5772	8658	13045
5593	8390	12642	5653	8480	12778	5713	8570	12913	5773	8660	13049
5594	8391	12643	5654	8481	12779	5714	8571	12915	5774	8661	13050
5595	8393	12646	5655	8483	12781	5715	8573	12917	5775	8663	13053
5596	8394	12648	5656	8484	12784	5716	8574	12919	5776	8664	13055
5597	8396	12651	5657	8486	12786	5717	8576	12922	5777	8666	13057
5598	8397	12653	5658	8487	12788	5718	8577	12924	5778	8667	13060
5599	8399	12655	5659	8489	12791	5719	8579	12926	5779	8669	13062
5600	8400	12656	5660	8490	12792	5720	8580	12928	5780	8670	13063
5601	8402	12660	5661	8492	12796	5721	8582	12931	5781	8672	13067
5602	8403	12661	5662	8493	12797	5722	8583	12932	5782	8673	13068
5603	8405	12665	5663	8495	12800	5723	8585	12936	5783	8675	13071
5604	8406	12666	5664	8496	12802	5724	8586	12937	5784	8676	13073
5605	8408	12668	5665	8498	12804	5725	8588	12940	5785	8678	13075
5606	8409	12671	5666	8499	12806	5726	8589	12942	5786	8679	13077
5607	8411	12673	5667	8501	12809	5727	8591	12944	5787	8681	13080
5608	8412	12675	5668	8502	12811	5728	8592	12947	5788	8682	13082
5609	8414	12678	5669	8504	12813	5729	8594	12949	5789	8684	13085
5610	8415	12679	5670	8505	12815	5730	8595	12950	5790	8685	13086
5611	8417	12683	5671	8507	12818	5731	8597	12954	5791	8687	13089
5612	8418	12684	5672	8508	12819	5732	8598	12955	5792	8688	13091
5613	8420	12687	5673	8510	12823	5733	8600	12958	5793	8690	13094
5614	8421	12689	5674	8511	12824	5734	8601	12960	5794	8691	13095
5615	8423	12691	5675	8513	12827	5735	8603	12962	5795	8693	13098
5616	8424	12693	5676	8514	12829	5736	8604	12964	5796	8694	13100
5617	8426	12696	5677	8516	12831	5737	8606	12967	5797	8696	13103
5618	8427	12698	5678	8517	12834	5738	8607	12969	5798	8697	13105
5619	8429	12700	5679	8519	12836	5739	8609	12972	5799	8699	13107
5620	8430	12702	5680	8520	12837	5740	8610	12973	5800	8700	13108
5621	8432	12705	5681	8522	12841	5741	8612	12976	5801	8702	13112
5622	8433	12706	5682	8523	12842	5742	8613	12978	5802	8703	13113
5623	8435	12710	5683	8525	12845	5743	8615	12981	5803	8705	13117
5624	8436	12711	5684	8526	12847	5744	8616	12982	5804	8706	13118
5625	8438	12714	5685	8528	12849	5745	8618	12985	5805	8708	13120
5626	8439	12716	5686	8529	12851	5746	8619	12987	5806	8709	13123
5627	8441	12718	5687	8531	12854	5747	8621	12990	5807	8711	13125
5628	8442	12721	5688	8532	12856	5748	8622	12992	5808	8712	13127
5629	8444	12723	5689	8534	12859	5749	8624	12994	5809	8714	13130
5630	8445	12724	5690	8535	12860	5750	8625	12995	5810	8715	13131

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5811	8717	13135	5871	8807	13270	5931	8897	13406	5991	8987	13541
5812	8718	13136	5872	8808	13271	5932	8898	13407	5992	8988	13543
5813	8720	13139	5873	8810	13275	5933	8900	13410	5993	8990	13546
5814	8721	13141	5874	8811	13276	5934	8901	13412	5994	8991	13547
5815	8723	13143	5875	8813	13279	5935	8903	13414	5995	8993	13550
5816	8724	13145	5876	8814	13281	5936	8904	13416	5996	8994	13552
5817	8726	13148	5877	8816	13283	5937	8906	13419	5997	8996	13555
5818	8727	13150	5878	8817	13286	5938	8907	13421	5998	8997	13557
5819	8729	13152	5879	8819	13288	5939	8909	13424	5999	8999	13559
5820	8730	13154	5880	8820	13289	5940	8910	13425	6000	9000	13560
5821	8732	13157	5881	8822	13293	5941	8912	13428	6001	9002	13564
5822	8733	13158	5882	8823	13294	5942	8913	13430	6002	9003	13565
5823	8735	13162	5883	8825	13297	5943	8915	13433	6003	9005	13569
5824	8736	13163	5884	8826	13299	5944	8916	13434	6004	9006	13570
5825	8738	13166	5885	8828	13301	5945	8918	13437	6005	9008	13572
5826	8739	13168	5886	8829	13303	5946	8919	13439	6006	9009	13575
5827	8741	13170	5887	8831	13306	5947	8921	13442	6007	9011	13577
5828	8742	13173	5888	8832	13308	5948	8922	13444	6008	9012	13579
5829	8744	13175	5889	8834	13311	5949	8924	13446	6009	9014	13582
5830	8745	13176	5890	8835	13312	5950	8925	13447	6010	9015	13583
5831	8747	13180	5891	8837	13315	5951	8927	13451	6011	9017	13587
5832	8748	13181	5892	8838	13317	5952	8928	13452	6012	9018	13588
5833	8750	13184	5893	8840	13320	5953	8930	13456	6013	9020	13591
5834	8751	13186	5894	8841	13321	5954	8931	13457	6014	9021	13593
5835	8753	13188	5895	8843	13324	5955	8933	13459	6015	9023	13595
5836	8754	13190	5896	8844	13326	5956	8934	13462	6016	9024	13597
5837	8756	13193	5897	8846	13329	5957	8936	13464	6017	9026	13600
5838	8757	13195	5898	8847	13331	5958	8937	13466	6018	9027	13602
5839	8759	13198	5899	8849	13333	5959	8939	13469	6019	9029	13604
5840	8760	13199	5900	8850	13334	5960	8940	13470	6020	9030	13606
5841	8762	13202	5901	8852	13338	5961	8942	13474	6021	9032	13609
5842	8763	13204	5902	8853	13339	5962	8943	13475	6022	9033	13610
5843	8765	13207	5903	8855	13343	5963	8945	13478	6023	9035	13614
5844	8766	13208	5904	8856	13344	5964	8946	13480	6024	9036	13615
5845	8768	13211	5905	8858	13346	5965	8948	13482	6025	9038	13618
5846	8769	13213	5906	8859	13349	5966	8949	13484	6026	9039	13620
5847	8771	13216	5907	8861	13351	5967	8951	13487	6027	9041	13622
5848	8772	13218	5908	8862	13353	5968	8952	13489	6028	9042	13625
5849	8774	13220	5909	8864	13356	5969	8954	13491	6029	9044	13627
5850	8775	13221	5910	8865	13357	5970	8955	13493	6030	9045	13628
5851	8777	13225	5911	8867	13361	5971	8957	13496	6031	9047	13632
5852	8778	13226	5912	8868	13362	5972	8958	13497	6032	9048	13633
5853	8780	13230	5913	8870	13365	5973	8960	13501	6033	9050	13636
5854	8781	13231	5914	8871	13367	5974	8961	13502	6034	9051	13638
5855	8783	13233	5915	8873	13369	5975	8963	13505	6035	9053	13640
5856	8784	13236	5916	8874	13371	5976	8964	13507	6036	9054	13642
5857	8786	13238	5917	8876	13374	5977	8966	13509	6037	9056	13645
5858	8787	13240	5918	8877	13376	5978	8967	13512	6038	9057	13647
5859	8789	13243	5919	8879	13378	5979	8969	13514	6039	9059	13650
5860	8790	13244	5920	8880	13380	5980	8970	13515	6040	9060	13651
5861	8792	13248	5921	8882	13383	5981	8972	13519	6041	9062	13654
5862	8793	13249	5922	8883	13384	5982	8973	13520	6042	9063	13656
5863	8795	13252	5923	8885	13388	5983	8975	13523	6043	9065	13659
5864	8796	13254	5924	8886	13389	5984	8976	13525	6044	9066	13660
5865	8798	13256	5925	8888	13392	5985	8978	13527	6045	9068	13663
5866	8799	13258	5926	8889	13394	5986	8979	13529	6046	9069	13665
5867	8801	13261	5927	8891	13396	5987	8981	13532	6047	9071	13668
5868	8802	13263	5928	8892	13399	5988	8982	13534	6048	9072	13670
5869	8804	13265	5929	8894	13401	5989	8984	13537	6049	9074	13672
5870	8805	13267	5930	8895	13402	5990	8985	13538	6050	9075	13673

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6051	9077	13677	6111	9167	13813	6171	9257	13948	6231	9347	14084
6052	9078	13678	6112	9168	13814	6172	9258	13949	6232	9348	14085
6053	9080	13682	6113	9170	13817	6173	9260	13953	6233	9350	14088
6054	9081	13683	6114	9171	13819	6174	9261	13954	6234	9351	14090
6055	9083	13685	6115	9173	13821	6175	9263	13957	6235	9353	14092
6056	9084	13688	6116	9174	13823	6176	9264	13959	6236	9354	14094
6057	9086	13690	6117	9176	13826	6177	9266	13961	6237	9356	14097
6058	9087	13692	6118	9177	13828	6178	9267	13964	6238	9357	14099
6059	9089	13695	6119	9179	13830	6179	9269	13966	6239	9359	14102
6060	9090	13696	6120	9180	13832	6180	9270	13967	6240	9360	14103
6061	9092	13700	6121	9182	13835	6181	9272	13971	6241	9362	14106
6062	9093	13701	6122	9183	13836	6182	9273	13972	6242	9363	14108
6063	9095	13704	6123	9185	13840	6183	9275	13975	6243	9365	14111
6064	9096	13706	6124	9186	13841	6184	9276	13977	6244	9366	14112
6065	9098	13708	6125	9188	13844	6185	9278	13979	6245	9368	14115
6066	9099	13710	6126	9189	13846	6186	9279	13981	6246	9369	14117
6067	9101	13713	6127	9191	13848	6187	9281	13984	6247	9371	14120
6068	9102	13715	6128	9192	13851	6188	9282	13986	6248	9372	14122
6069	9104	13717	6129	9194	13853	6189	9284	13989	6249	9374	14124
6070	9105	13719	6130	9195	13854	6190	9285	13990	6250	9375	14125
6071	9107	13722	6131	9197	13858	6191	9287	13993	6251	9377	14129
6072	9108	13723	6132	9198	13859	6192	9288	13995	6252	9378	14130
6073	9110	13727	6133	9200	13862	6193	9290	13998	6253	9380	14134
6074	9111	13728	6134	9201	13864	6194	9291	13999	6254	9381	14135
6075	9113	13731	6135	9203	13866	6195	9293	14002	6255	9383	14137
6076	9114	13733	6136	9204	13868	6196	9294	14004	6256	9384	14140
6077	9116	13735	6137	9206	13871	6197	9296	14007	6257	9386	14142
6078	9117	13738	6138	9207	13873	6198	9297	14009	6258	9387	14144
6079	9119	13740	6139	9209	13876	6199	9299	14011	6259	9389	14147
6080	9120	13741	6140	9210	13877	6200	9300	14012	6260	9390	14148
6081	9122	13745	6141	9212	13880	6201	9302	14016	6261	9392	14152
6082	9123	13746	6142	9213	13882	6202	9303	14017	6262	9393	14153
6083	9125	13749	6143	9215	13885	6203	9305	14021	6263	9395	14156
6084	9126	13751	6144	9216	13886	6204	9306	14022	6264	9396	14158
6085	9128	13753	6145	9218	13889	6205	9308	14024	6265	9398	14160
6086	9129	13755	6146	9219	13891	6206	9309	14027	6266	9399	14162
6087	9131	13758	6147	9221	13894	6207	9311	14029	6267	9401	14165
6088	9132	13760	6148	9222	13896	6208	9312	14031	6268	9402	14167
6089	9134	13763	6149	9224	13898	6209	9314	14034	6269	9404	14169
6090	9135	13764	6150	9225	13899	6210	9315	14035	6270	9405	14171
6091	9137	13767	6151	9227	13903	6211	9317	14039	6271	9407	14174
6092	9138	13769	6152	9228	13904	6212	9318	14040	6272	9408	14175
6093	9140	13772	6153	9230	13908	6213	9320	14043	6273	9410	14179
6094	9141	13773	6154	9231	13909	6214	9321	14045	6274	9411	14180
6095	9143	13776	6155	9233	13911	6215	9323	14047	6275	9413	14183
6096	9144	13778	6156	9234	13914	6216	9324	14049	6276	9414	14185
6097	9146	13781	6157	9236	13916	6217	9326	14052	6277	9416	14187
6098	9147	13783	6158	9237	13918	6218	9327	14054	6278	9417	14190
6099	9149	13785	6159	9239	13921	6219	9329	14056	6279	9419	14192
6100	9150	13786	6160	9240	13922	6220	9330	14058	6280	9420	14193
6101	9152	13790	6161	9242	13926	6221	9332	14061	6281	9422	14197
6102	9153	13791	6162	9243	13927	6222	9333	14062	6282	9423	14198
6103	9155	13795	6163	9245	13930	6223	9335	14066	6283	9425	14201
6104	9156	13796	6164	9246	13932	6224	9336	14067	6284	9426	14203
6105	9158	13798	6165	9248	13934	6225	9338	14070	6285	9428	14205
6106	9159	13801	6166	9249	13936	6226	9339	14072	6286	9429	14207
6107	9161	13803	6167	9251	13939	6227	9341	14074	6287	9431	14210
6108	9162	13805	6168	9252	13941	6228	9342	14077	6288	9432	14212
6109	9164	13808	6169	9254	13943	6229	9344	14079	6289	9434	14215
6110	9165	13809	6170	9255	13945	6230	9345	14080	6290	9435	14216

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated Pension)	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated Pension)	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated Pension)	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated Pension)
(4)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6291	9437	14219	6351	9527	14355	6411	9617	14491	6471	9707	14626
6292	9438	14221	6352	9528	14356	6412	9618	14492	6472	9708	14627
6293	9440	14224	6353	9530	14360	6413	9620	14495	6473	9710	14631
6294	9441	14225	6354	9531	14361	6414	9621	14497	6474	9711	14632
6295	9443	14228	6355	9533	14363	6415	9623	14499	6475	9713	14635
6296	9444	14230	6356	9534	14366	6416	9624	14501	6476	9714	14637
6297	9446	14233	6357	9536	14368	6417	9626	14504	6477	9716	14639
6298	9447	14235	6358	9537	14370	6418	9627	14506	6478	9717	14642
6299	9449	14237	6359	9539	14373	6419	9629	14508	6479	9719	14644
6300	9450	14238	6360	9540	14374	6420	9630	14510	6480	9720	14645
6301	9452	14242	6361	9542	14378	6421	9632	14513	6481	9722	14649
6302	9453	14243	6362	9543	14379	6422	9633	14514	6482	9723	14650
6303	9455	14247	6363	9545	14382	6423	9635	14518	6483	9725	14653
6304	9456	14248	6364	9546	14384	6424	9636	14519	6484	9726	14655
6305	9458	14250	6365	9548	14386	6425	9638	14522	6485	9728	14657
6306	9459	14253	6366	9549	14388	6426	9639	14524	6486	9729	14659
6307	9461	14255	6367	9551	14391	6427	9641	14526	6487	9731	14662
6308	9462	14257	6368	9552	14393	6428	9642	14529	6488	9732	14664
6309	9464	14260	6369	9554	14395	6429	9644	14531	6489	9734	14667
6310	9465	14261	6370	9555	14397	6430	9645	14532	6490	9735	14668
6311	9467	14265	6371	9557	14400	6431	9647	14536	6491	9737	14671
6312	9468	14266	6372	9558	14401	6432	9648	14537	6492	9738	14673
6313	9470	14269	6373	9560	14405	6433	9650	14540	6493	9740	14676
6314	9471	14271	6374	9561	14406	6434	9651	14542	6494	9741	14677
6315	9473	14273	6375	9563	14409	6435	9653	14544	6495	9743	14680
6316	9474	14275	6376	9564	14411	6436	9654	14546	6496	9744	14682
6317	9476	14278	6377	9566	14413	6437	9656	14549	6497	9746	14685
6318	9477	14280	6378	9567	14416	6438	9657	14551	6498	9747	14687
6319	9479	14282	6379	9569	14418	6439	9659	14554	6499	9749	14689
6320	9480	14284	6380	9570	14419	6440	9660	14555	6500	9750	14690
6321	9482	14287	6381	9572	14423	6441	9662	14558	6501	9752	14694
6322	9483	14288	6382	9573	14424	6442	9663	14560	6502	9753	14695
6323	9485	14292	6383	9575	14427	6443	9665	14563	6503	9755	14699
6324	9486	14293	6384	9576	14429	6444	9666	14564	6504	9756	14700
6325	9488	14296	6385	9578	14431	6445	9668	14567	6505	9758	14702
6326	9489	14298	6386	9579	14433	6446	9669	14569	6506	9759	14705
6327	9491	14300	6387	9581	14436	6447	9671	14572	6507	9761	14707
6328	9492	14303	6388	9582	14438	6448	9672	14574	6508	9762	14709
6329	9494	14305	6389	9584	14441	6449	9674	14576	6509	9764	14712
6330	9495	14306	6390	9585	14442	6450	9675	14577	6510	9765	14713
6331	9497	14310	6391	9587	14445	6451	9677	14581	6511	9767	14717
6332	9498	14311	6392	9588	14447	6452	9678	14582	6512	9768	14718
6333	9500	14314	6393	9590	14450	6453	9680	14586	6513	9770	14721
6334	9501	14316	6394	9591	14451	6454	9681	14587	6514	9771	14723
6335	9503	14318	6395	9593	14454	6455	9683	14589	6515	9773	14725
6336	9504	14320	6396	9594	14456	6456	9684	14592	6516	9774	14727
6337	9506	14323	6397	9596	14459	6457	9686	14594	6517	9776	14730
6338	9507	14325	6398	9597	14461	6458	9687	14596	6518	9777	14732
6339	9509	14328	6399	9599	14463	6459	9689	14599	6519	9779	14734
6340	9510	14329	6400	9600	14464	6460	9690	14600	6520	9780	14736
6341	9512	14332	6401	9602	14468	6461	9692	14604	6521	9782	14739
6342	9513	14334	6402	9603	14469	6462	9693	14605	6522	9783	14740
6343	9515	14337	6403	9605	14473	6463	9695	14608	6523	9785	14744
6344	9516	14338	6404	9606	14474	6464	9696	14610	6524	9786	14745
6345	9518	14341	6405	9608	14476	6465	9698	14612	6525	9788	14748
6346	9519	14343	6406	9609	14479	6466	9699	14614	6526	9789	14750
6347	9521	14346	6407	9611	14481	6467	9701	14617	6527	9791	14752
6348	9522	14348	6408	9612	14483	6468	9702	14619	6528	9792	14755
6349	9524	14350	6409	9614	14486	6469	9704	14621	6529	9794	14757
6350	9525	14351	6410	9615	14487	6470	9705	14623	6530	9795	14758

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP Pension		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6531	9797	14762	6591	9887	14897	6651	9977	15033	6711	10067	15169
6532	9798	14763	6592	9888	14899	6652	9978	15034	6712	10068	15170
6533	9800	14766	6593	9890	14902	6653	9980	15038	6713	10070	15173
6534	9801	14768	6594	9891	14903	6654	9981	15039	6714	10071	15175
6535	9803	14770	6595	9893	14906	6655	9983	15041	6715	10073	15177
6536	9804	14772	6596	9894	14908	6656	9984	15044	6716	10074	15179
6537	9806	14775	6597	9896	14911	6657	9986	15046	6717	10076	15182
6538	9807	14777	6598	9897	14913	6658	9987	15048	6718	10077	15184
6539	9809	14780	6599	9899	14915	6659	9989	15051	6719	10079	15186
6540	9810	14781	6600	9900	14916	6660	9990	15052	6720	10080	15188
6541	9812	14784	6601	9902	14920	6661	9992	15056	6721	10082	15191
6542	9813	14786	6602	9903	14921	6662	9993	15057	6722	10083	15192
6543	9815	14789	6603	9905	14925	6663	9995	15060	6723	10085	15196
6544	9816	14790	6604	9906	14926	6664	9996	15062	6724	10086	15197
6545	9818	14793	6605	9908	14928	6665	9998	15064	6725	10088	15200
6546	9819	14795	6606	9909	14931	6666	9999	15066	6726	10089	15202
6547	9821	14798	6607	9911	14933	6667	10001	15069	6727	10091	15204
6548	9822	14800	6608	9912	14935	6668	10002	15071	6728	10092	15207
6549	9824	14802	6609	9914	14938	6669	10004	15073	6729	10094	15209
6550	9825	14803	6610	9915	14939	6670	10005	15075	6730	10095	15210
6551	9827	14807	6611	9917	14943	6671	10007	15078	6731	10097	15214
6552	9828	14808	6612	9918	14944	6672	10008	15079	6732	10098	15215
6553	9830	14812	6613	9920	14947	6673	10010	15083	6733	10100	15218
6554	9831	14813	6614	9921	14949	6674	10011	15084	6734	10101	15220
6555	9833	14815	6615	9923	14951	6675	10013	15087	6735	10103	15222
6556	9834	14818	6616	9924	14953	6676	10014	15089	6736	10104	15224
6557	9836	14820	6617	9926	14956	6677	10016	15091	6737	10106	15227
6558	9837	14822	6618	9927	14958	6678	10017	15094	6738	10107	15229
6559	9839	14825	6619	9929	14960	6679	10019	15096	6739	10109	15232
6560	9840	14826	6620	9930	14962	6680	10020	15097	6740	10110	15233
6561	9842	14830	6621	9932	14965	6681	10022	15101	6741	10112	15236
6562	9843	14831	6622	9933	14966	6682	10023	15102	6742	10113	15238
6563	9845	14834	6623	9935	14970	6683	10025	15105	6743	10115	15241
6564	9846	14836	6624	9936	14971	6684	10026	15107	6744	10116	15242
6565	9848	14838	6625	9938	14974	6685	10028	15109	6745	10118	15245
6566	9849	14840	6626	9939	14976	6686	10029	15111	6746	10119	15247
6567	9851	14843	6627	9941	14978	6687	10031	15114	6747	10121	15250
6568	9852	14845	6628	9942	14981	6688	10032	15116	6748	10122	15252
6569	9854	14847	6629	9944	14983	6689	10034	15119	6749	10124	15254
6570	9855	14849	6630	9945	14984	6690	10035	15120	6750	10125	15255
6571	9857	14852	6631	9947	14988	6691	10037	15123	6751	10127	15259
6572	9858	14853	6632	9948	14989	6692	10038	15125	6752	10128	15260
6573	9860	14857	6633	9950	14992	6693	10040	15128	6753	10130	15264
6574	9861	14858	6634	9951	14994	6694	10041	15129	6754	10131	15265
6575	9863	14861	6635	9953	14996	6695	10043	15132	6755	10133	15267
6576	9864	14863	6636	9954	14998	6696	10044	15134	6756	10134	15270
6577	9866	14865	6637	9956	15001	6697	10046	15137	6757	10136	15272
6578	9867	14868	6638	9957	15003	6698	10047	15139	6758	10137	15274
6579	9869	14870	6639	9959	15006	6699	10049	15141	6759	10139	15277
6580	9870	14871	6640	9960	15007	6700	10050	15142	6760	10140	15278
6581	9872	14875	6641	9962	15010	6701	10052	15146	6761	10142	15282
6582	9873	14876	6642	9963	15012	6702	10053	15147	6762	10143	15283
6583	9875	14879	6643	9965	15015	6703	10055	15151	6763	10145	15286
6584	9876	14881	6644	9966	15016	6704	10056	15152	6764	10146	15288
6585	9878	14883	6645	9968	15019	6705	10058	15154	6765	10148	15290
6586	9879	14885	6646	9969	15021	6706	10059	15157	6766	10149	15292
6587	9881	14888	6647	9971	15024	6707	10061	15159	6767	10151	15295
6588	9882	14890	6648	9972	15026	6708	10062	15161	6768	10152	15297
6589	9884	14893	6649	9974	15028	6709	10064	15164	6769	10154	15299
6590	9885	14894	6650	9975	15029	6710	10065	15165	6770	10155	15301

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6771	10157	15304	6831	10247	15440	6891	10337	15575	6951	10427	15711
6772	10158	15305	6832	10248	15441	6892	10338	15577	6952	10428	15712
6773	10160	15309	6833	10250	15444	6893	10340	15580	6953	10430	15716
6774	10161	15310	6834	10251	15446	6894	10341	15581	6954	10431	15717
6775	10163	15313	6835	10253	15448	6895	10343	15584	6955	10433	15719
6776	10164	15315	6836	10254	15450	6896	10344	15586	6956	10434	15722
6777	10166	15317	6837	10256	15453	6897	10346	15589	6957	10436	15724
6778	10167	15320	6838	10257	15455	6898	10347	15591	6958	10437	15726
6779	10169	15322	6839	10259	15458	6899	10349	15593	6959	10439	15729
6780	10170	15323	6840	10260	15459	6900	10350	15594	6960	10440	15730
6781	10172	15327	6841	10262	15462	6901	10352	15598	6961	10442	15734
6782	10173	15328	6842	10263	15464	6902	10353	15599	6962	10443	15735
6783	10175	15331	6843	10265	15467	6903	10355	15603	6963	10445	15738
6784	10176	15333	6844	10266	15468	6904	10356	15604	6964	10446	15740
6785	10178	15335	6845	10268	15471	6905	10358	15606	6965	10448	15742
6786	10179	15337	6846	10269	15473	6906	10359	15609	6966	10449	15744
6787	10181	15340	6847	10271	15476	6907	10361	15611	6967	10451	15747
6788	10182	15342	6848	10272	15478	6908	10362	15613	6968	10452	15749
6789	10184	15345	6849	10274	15480	6909	10364	15616	6969	10454	15751
6790	10185	15346	6850	10275	15481	6910	10365	15617	6970	10455	15753
6791	10187	15349	6851	10277	15485	6911	10367	15621	6971	10457	15756
6792	10188	15351	6852	10278	15486	6912	10368	15622	6972	10458	15757
6793	10190	15354	6853	10280	15490	6913	10370	15625	6973	10460	15761
6794	10191	15355	6854	10281	15491	6914	10371	15627	6974	10461	15762
6795	10193	15358	6855	10283	15493	6915	10373	15629	6975	10463	15765
6796	10194	15360	6856	10284	15496	6916	10374	15631	6976	10464	15767
6797	10196	15363	6857	10286	15498	6917	10376	15634	6977	10466	15769
6798	10197	15365	6858	10287	15500	6918	10377	15636	6978	10467	15772
6799	10199	15367	6859	10289	15503	6919	10379	15638	6979	10469	15774
6800	10200	15368	6860	10290	15504	6920	10380	15640	6980	10470	15775
6801	10202	15372	6861	10292	15508	6921	10382	15643	6981	10472	15779
6802	10203	15373	6862	10293	15509	6922	10383	15644	6982	10473	15780
6803	10205	15377	6863	10295	15512	6923	10385	15648	6983	10475	15783
6804	10206	15378	6864	10296	15514	6924	10386	15649	6984	10476	15785
6805	10208	15380	6865	10298	15516	6925	10388	15652	6985	10478	15787
6806	10209	15383	6866	10299	15518	6926	10389	15654	6986	10479	15789
6807	10211	15385	6867	10301	15521	6927	10391	15656	6987	10481	15792
6808	10212	15387	6868	10302	15523	6928	10392	15659	6988	10482	15794
6809	10214	15390	6869	10304	15525	6929	10394	15661	6989	10484	15797
6810	10215	15391	6870	10305	15527	6930	10395	15662	6990	10485	15798
6811	10217	15395	6871	10307	15530	6931	10397	15666	6991	10487	15801
6812	10218	15396	6872	10308	15531	6932	10398	15667	6992	10488	15803
6813	10220	15399	6873	10310	15535	6933	10400	15670	6993	10490	15806
6814	10221	15401	6874	10311	15536	6934	10401	15672	6994	10491	15807
6815	10223	15403	6875	10313	15539	6935	10403	15674	6995	10493	15810
6816	10224	15405	6876	10314	15541	6936	10404	15676	6996	10494	15812
6817	10226	15408	6877	10316	15543	6937	10406	15679	6997	10496	15815
6818	10227	15410	6878	10317	15546	6938	10407	15681	6998	10497	15817
6819	10229	15412	6879	10319	15548	6939	10409	15684	6999	10499	15819
6820	10230	15414	6880	10320	15549	6940	10410	15685	7000	10500	15820
6821	10232	15417	6881	10322	15553	6941	10412	15688	7001	10502	15824
6822	10233	15418	6882	10323	15554	6942	10413	15690	7002	10503	15825
6823	10235	15422	6883	10325	15557	6943	10415	15693	7003	10505	15829
6824	10236	15423	6884	10326	15559	6944	10416	15694	7004	10506	15830
6825	10238	15426	6885	10328	15561	6945	10418	15697	7005	10508	15832
6826	10239	15428	6886	10329	15563	6946	10419	15699	7006	10509	15835
6827	10241	15430	6887	10331	15566	6947	10421	15702	7007	10511	15837
6828	10242	15433	6888	10332	15568	6948	10422	15704	7008	10512	15839
6829	10244	15435	6889	10334	15571	6949	10424	15706	7009	10514	15842
6830	10245	15436	6890	10335	15572	6950	10425	15707	7010	10515	15843

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7011	10517	15847	7071	10607	15982	7131	10697	16118	7191	10787	16253
7012	10518	15848	7072	10608	15983	7132	10698	16119	7192	10788	16255
7013	10520	15851	7073	10610	15987	7133	10700	16122	7193	10790	16258
7014	10521	15853	7074	10611	15988	7134	10701	16124	7194	10791	16259
7015	10523	15855	7075	10613	15991	7135	10703	16126	7195	10793	16262
7016	10524	15857	7076	10614	15993	7136	10704	16128	7196	10794	16264
7017	10526	15860	7077	10616	15995	7137	10706	16131	7197	10796	16267
7018	10527	15862	7078	10617	15998	7138	10707	16133	7198	10797	16269
7019	10529	15864	7079	10619	16000	7139	10709	16136	7199	10799	16271
7020	10530	15866	7080	10620	16001	7140	10710	16137	7200	10800	16272
7021	10532	15869	7081	10622	16005	7141	10712	16140	7201	10802	16276
7022	10533	15870	7082	10623	16006	7142	10713	16142	7202	10803	16277
7023	10535	15874	7083	10625	16009	7143	10715	16145	7203	10805	16281
7024	10536	15875	7084	10626	16011	7144	10716	16146	7204	10806	16282
7025	10538	15878	7085	10628	16013	7145	10718	16149	7205	10808	16284
7026	10539	15880	7086	10629	16015	7146	10719	16151	7206	10809	16287
7027	10541	15882	7087	10631	16018	7147	10721	16154	7207	10811	16289
7028	10542	15885	7088	10632	16020	7148	10722	16156	7208	10812	16291
7029	10544	15887	7089	10634	16023	7149	10724	16158	7209	10814	16294
7030	10545	15888	7090	10635	16024	7150	10725	16159	7210	10815	16295
7031	10547	15892	7091	10637	16027	7151	10727	16163	7211	10817	16299
7032	10548	15893	7092	10638	16029	7152	10728	16164	7212	10818	16300
7033	10550	15896	7093	10640	16032	7153	10730	16168	7213	10820	16303
7034	10551	15898	7094	10641	16033	7154	10731	16169	7214	10821	16305
7035	10553	15900	7095	10643	16036	7155	10733	16171	7215	10823	16307
7036	10554	15902	7096	10644	16038	7156	10734	16174	7216	10824	16309
7037	10556	15905	7097	10646	16041	7157	10736	16176	7217	10826	16312
7038	10557	15907	7098	10647	16043	7158	10737	16178	7218	10827	16314
7039	10559	15910	7099	10649	16045	7159	10739	16181	7219	10829	16316
7040	10560	15911	7100	10650	16046	7160	10740	16182	7220	10830	16318
7041	10562	15914	7101	10652	16050	7161	10742	16186	7221	10832	16321
7042	10563	15916	7102	10653	16051	7162	10743	16187	7222	10833	16322
7043	10565	15919	7103	10655	16055	7163	10745	16190	7223	10835	16326
7044	10566	15920	7104	10656	16056	7164	10746	16192	7224	10836	16327
7045	10568	15923	7105	10658	16058	7165	10748	16194	7225	10838	16330
7046	10569	15925	7106	10659	16061	7166	10749	16196	7226	10839	16332
7047	10571	15928	7107	10661	16063	7167	10751	16199	7227	10841	16334
7048	10572	15930	7108	10662	16065	7168	10752	16201	7228	10842	16337
7049	10574	15932	7109	10664	16068	7169	10754	16203	7229	10844	16339
7050	10575	15933	7110	10665	16069	7170	10755	16205	7230	10845	16340
7051	10577	15937	7111	10667	16073	7171	10757	16208	7231	10847	16344
7052	10578	15938	7112	10668	16074	7172	10758	16209	7232	10848	16345
7053	10580	15942	7113	10670	16077	7173	10760	16213	7233	10850	16348
7054	10581	15943	7114	10671	16079	7174	10761	16214	7234	10851	16350
7055	10583	15945	7115	10673	16081	7175	10763	16217	7235	10853	16352
7056	10584	15948	7116	10674	16083	7176	10764	16219	7236	10854	16354
7057	10586	15950	7117	10676	16086	7177	10766	16221	7237	10856	16357
7058	10587	15952	7118	10677	16088	7178	10767	16224	7238	10857	16359
7059	10589	15955	7119	10679	16090	7179	10769	16226	7239	10859	16362
7060	10590	15956	7120	10680	16092	7180	10770	16227	7240	10860	16363
7061	10592	15960	7121	10682	16095	7181	10772	16231	7241	10862	16366
7062	10593	15961	7122	10683	16096	7182	10773	16232	7242	10863	16368
7063	10595	15964	7123	10685	16100	7183	10775	16235	7243	10865	16371
7064	10596	15966	7124	10686	16101	7184	10776	16237	7244	10866	16372
7065	10598	15968	7125	10688	16104	7185	10778	16239	7245	10868	16375
7066	10599	15970	7126	10689	16106	7186	10779	16241	7246	10869	16377
7067	10601	15973	7127	10691	16108	7187	10781	16244	7247	10871	16380
7068	10602	15975	7128	10692	16111	7188	10782	16246	7248	10872	16382
7069	10604	15977	7129	10694	16113	7189	10784	16249	7249	10874	16384
7070	10605	15979	7130	10695	16114	7190	10785	16250	7250	10875	16385

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP
----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7251	10877	16389	7311	10967	16525	7371	11057	16660	7431	11147	16796
7252	10878	16390	7312	10968	16526	7372	11058	16661	7432	11148	16797
7253	10880	16394	7313	10970	16529	7373	11060	16665	7433	11150	16800
7254	10881	16395	7314	10971	16531	7374	11061	16666	7434	11151	16802
7255	10883	16397	7315	10973	16533	7375	11063	16669	7435	11153	16804
7256	10884	16400	7316	10974	16535	7376	11064	16671	7436	11154	16806
7257	10886	16402	7317	10976	16538	7377	11066	16673	7437	11156	16809
7258	10887	16404	7318	10977	16540	7378	11067	16676	7438	11157	16811
7259	10889	16407	7319	10979	16542	7379	11069	16678	7439	11159	16814
7260	10890	16408	7320	10980	16544	7380	11070	16679	7440	11160	16815
7261	10892	16412	7321	10982	16547	7381	11072	16683	7441	11162	16818
7262	10893	16413	7322	10983	16548	7382	11073	16684	7442	11163	16820
7263	10895	16416	7323	10985	16552	7383	11075	16687	7443	11165	16823
7264	10896	16418	7324	10986	16553	7384	11076	16689	7444	11166	16824
7265	10898	16420	7325	10988	16556	7385	11078	16691	7445	11168	16827
7266	10899	16422	7326	10989	16558	7386	11079	16693	7446	11169	16829
7267	10901	16425	7327	10991	16560	7387	11081	16696	7447	11171	16832
7268	10902	16427	7328	10992	16563	7388	11082	16698	7448	11172	16834
7269	10904	16429	7329	10994	16565	7389	11084	16701	7449	11174	16836
7270	10905	16431	7330	10995	16566	7390	11085	16702	7450	11175	16837
7271	10907	16434	7331	10997	16570	7391	11087	16705	7451	11177	16841
7272	10908	16435	7332	10998	16571	7392	11088	16707	7452	11178	16842
7273	10910	16439	7333	11000	16574	7393	11090	16710	7453	11180	16846
7274	10911	16440	7334	11001	16576	7394	11091	16711	7454	11181	16847
7275	10913	16443	7335	11003	16578	7395	11093	16714	7455	11183	16849
7276	10914	16445	7336	11004	16580	7396	11094	16716	7456	11184	16852
7277	10916	16447	7337	11006	16583	7397	11096	16719	7457	11186	16854
7278	10917	16450	7338	11007	16585	7398	11097	16721	7458	11187	16856
7279	10919	16452	7339	11009	16588	7399	11099	16723	7459	11189	16859
7280	10920	16453	7340	11010	16589	7400	11100	16724	7460	11190	16860
7281	10922	16457	7341	11012	16592	7401	11102	16728	7461	11192	16864
7282	10923	16458	7342	11013	16594	7402	11103	16729	7462	11193	16865
7283	10925	16461	7343	11015	16597	7403	11105	16733	7463	11195	16868
7284	10926	16463	7344	11016	16598	7404	11106	16734	7464	11196	16870
7285	10928	16465	7345	11018	16601	7405	11108	16736	7465	11198	16872
7286	10929	16467	7346	11019	16603	7406	11109	16739	7466	11199	16874
7287	10931	16470	7347	11021	16606	7407	11111	16741	7467	11201	16877
7288	10932	16472	7348	11022	16608	7408	11112	16743	7468	11202	16879
7289	10934	16475	7349	11024	16610	7409	11114	16746	7469	11204	16881
7290	10935	16476	7350	11025	16611	7410	11115	16747	7470	11205	16883
7291	10937	16479	7351	11027	16615	7411	11117	16751	7471	11207	16886
7292	10938	16481	7352	11028	16616	7412	11118	16752	7472	11208	16887
7293	10940	16484	7353	11030	16620	7413	11120	16755	7473	11210	16891
7294	10941	16485	7354	11031	16621	7414	11121	16757	7474	11211	16892
7295	10943	16488	7355	11033	16623	7415	11123	16759	7475	11213	16895
7296	10944	16490	7356	11034	16626	7416	11124	16761	7476	11214	16897
7297	10946	16493	7357	11036	16628	7417	11126	16764	7477	11216	16899
7298	10947	16495	7358	11037	16630	7418	11127	16766	7478	11217	16902
7299	10949	16497	7359	11039	16633	7419	11129	16768	7479	11219	16904
7300	10950	16498	7360	11040	16634	7420	11130	16770	7480	11220	16905
7301	10952	16502	7361	11042	16638	7421	11132	16773	7481	11222	16909
7302	10953	16503	7362	11043	16639	7422	11133	16774	7482	11223	16910
7303	10955	16507	7363	11045	16642	7423	11135	16778	7483	11225	16913
7304	10956	16508	7364	11046	16644	7424	11136	16779	7484	11226	16915
7305	10958	16510	7365	11048	16646	7425	11138	16782	7485	11228	16917
7306	10959	16513	7366	11049	16648	7426	11139	16784	7486	11229	16919
7307	10961	16515	7367	11051	16651	7427	11141	16786	7487	11231	16922
7308	10962	16517	7368	11052	16653	7428	11142	16789	7488	11232	16924
7309	10964	16520	7369	11054	16655	7429	11144	16791	7489	11234	16927
7310	10965	16521	7370	11055	16657	7430	11145	16792	7490	11235	16928



BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7491	11237	16931	7551	11327	17067	7611	11417	17203	7671	11507	17338
7492	11238	16933	7552	11328	17068	7612	11418	17204	7672	11508	17339
7493	11240	16936	7553	11330	17072	7613	11420	17207	7673	11510	17343
7494	11241	16937	7554	11331	17073	7614	11421	17209	7674	11511	17344
7495	11243	16940	7555	11333	17075	7615	11423	17211	7675	11513	17347
7496	11244	16942	7556	11334	17078	7616	11424	17213	7676	11514	17349
7497	11246	16945	7557	11336	17080	7617	11426	17216	7677	11516	17351
7498	11247	16947	7558	11337	17082	7618	11427	17218	7678	11517	17354
7499	11249	16949	7559	11339	17085	7619	11429	17220	7679	11519	17356
7500	11250	16950	7560	11340	17086	7620	11430	17222	7680	11520	17357
7501	11252	16954	7561	11342	17090	7621	11432	17225	7681	11522	17361
7502	11253	16955	7562	11343	17091	7622	11433	17226	7682	11523	17362
7503	11255	16959	7563	11345	17094	7623	11435	17230	7683	11525	17365
7504	11256	16960	7564	11346	17096	7624	11436	17231	7684	11526	17367
7505	11258	16962	7565	11348	17098	7625	11438	17234	7685	11528	17369
7506	11259	16965	7566	11349	17100	7626	11439	17236	7686	11529	17371
7507	11261	16967	7567	11351	17103	7627	11441	17238	7687	11531	17374
7508	11262	16969	7568	11352	17105	7628	11442	17241	7688	11532	17376
7509	11264	16972	7569	11354	17107	7629	11444	17243	7689	11534	17379
7510	11265	16973	7570	11355	17109	7630	11445	17244	7690	11535	17380
7511	11267	16977	7571	11357	17112	7631	11447	17248	7691	11537	17383
7512	11268	16978	7572	11358	17113	7632	11448	17249	7692	11538	17385
7513	11270	16981	7573	11360	17117	7633	11450	17252	7693	11540	17388
7514	11271	16983	7574	11361	17118	7634	11451	17254	7694	11541	17389
7515	11273	16985	7575	11363	17121	7635	11453	17256	7695	11543	17392
7516	11274	16987	7576	11364	17123	7636	11454	17258	7696	11544	17394
7517	11276	16990	7577	11366	17125	7637	11456	17261	7697	11546	17397
7518	11277	16992	7578	11367	17128	7638	11457	17263	7698	11547	17399
7519	11279	16994	7579	11369	17130	7639	11459	17266	7699	11549	17401
7520	11280	16996	7580	11370	17131	7640	11460	17267	7700	11550	17402
7521	11282	16999	7581	11372	17135	7641	11462	17270	7701	11552	17406
7522	11283	17000	7582	11373	17136	7642	11463	17272	7702	11553	17407
7523	11285	17004	7583	11375	17139	7643	11465	17275	7703	11555	17411
7524	11286	17005	7584	11376	17141	7644	11466	17276	7704	11556	17412
7525	11288	17008	7585	11378	17143	7645	11468	17279	7705	11558	17414
7526	11289	17010	7586	11379	17145	7646	11469	17281	7706	11559	17417
7527	11291	17012	7587	11381	17148	7647	11471	17284	7707	11561	17419
7528	11292	17015	7588	11382	17150	7648	11472	17286	7708	11562	17421
7529	11294	17017	7589	11384	17153	7649	11474	17288	7709	11564	17424
7530	11295	17018	7590	11385	17154	7650	11475	17289	7710	11565	17425
7531	11297	17022	7591	11387	17157	7651	11477	17293	7711	11567	17429
7532	11298	17023	7592	11388	17159	7652	11478	17294	7712	11568	17430
7533	11300	17026	7593	11390	17162	7653	11480	17298	7713	11570	17433
7534	11301	17028	7594	11391	17163	7654	11481	17299	7714	11571	17435
7535	11303	17030	7595	11393	17166	7655	11483	17301	7715	11573	17437
7536	11304	17032	7596	11394	17168	7656	11484	17304	7716	11574	17439
7537	11306	17035	7597	11396	17171	7657	11486	17306	7717	11576	17442
7538	11307	17037	7598	11397	17173	7658	11487	17308	7718	11577	17444
7539	11309	17040	7599	11399	17175	7659	11489	17311	7719	11579	17446
7540	11310	17041	7600	11400	17176	7660	11490	17312	7720	11580	17448
7541	11312	17044	7601	11402	17180	7661	11492	17316	7721	11582	17451
7542	11313	17046	7602	11403	17181	7662	11493	17317	7722	11583	17452
7543	11315	17049	7603	11405	17185	7663	11495	17320	7723	11585	17456
7544	11316	17050	7604	11406	17186	7664	11496	17322	7724	11586	17457
7545	11318	17053	7605	11408	17188	7665	11498	17324	7725	11588	17460
7546	11319	17055	7606	11409	17191	7666	11499	17326	7726	11589	17462
7547	11321	17058	7607	11411	17193	7667	11501	17329	7727	11591	17464
7548	11322	17060	7608	11412	17195	7668	11502	17331	7728	11592	17467
7549	11324	17062	7609	11414	17198	7669	11504	17333	7729	11594	17469
7550	11325	17063	7610	11415	17199	7670	11505	17335	7730	11595	17470

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)	BP Revised (pre Consolidated with 2006 Pension DP)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7731	11597	17474	7791	11687	17609	7851	11777	17745	7911	11867	17881
7732	11598	17475	7792	11688	17611	7852	11778	17746	7912	11868	17882
7733	11600	17478	7793	11690	17614	7853	11780	17750	7913	11870	17885
7734	11601	17480	7794	11691	17615	7854	11781	17751	7914	11871	17887
7735	11603	17482	7795	11693	17618	7855	11783	17753	7915	11873	17889
7736	11604	17484	7796	11694	17620	7856	11784	17756	7916	11874	17891
7737	11606	17487	7797	11696	17623	7857	11786	17758	7917	11876	17894
7738	11607	17489	7798	11697	17625	7858	11787	17760	7918	11877	17896
7739	11609	17492	7799	11699	17627	7859	11789	17763	7919	11879	17898
7740	11610	17493	7800	11700	17628	7860	11790	17764	7920	11880	17900
7741	11612	17496	7801	11702	17632	7861	11792	17768	7921	11882	17903
7742	11613	17498	7802	11703	17633	7862	11793	17769	7922	11883	17904
7743	11615	17501	7803	11705	17637	7863	11795	17772	7923	11885	17908
7744	11616	17502	7804	11706	17638	7864	11796	17774	7924	11886	17909
7745	11618	17505	7805	11708	17640	7865	11798	17776	7925	11888	17912
7746	11619	17507	7806	11709	17643	7866	11799	17778	7926	11889	17914
7747	11621	17510	7807	11711	17645	7867	11801	17781	7927	11891	17916
7748	11622	17512	7808	11712	17647	7868	11802	17783	7928	11892	17919
7749	11624	17514	7809	11714	17650	7869	11804	17785	7929	11894	17921
7750	11625	17515	7810	11715	17651	7870	11805	17787	7930	11895	17922
7751	11627	17519	7811	11717	17655	7871	11807	17790	7931	11897	17926
7752	11628	17520	7812	11718	17656	7872	11808	17791	7932	11898	17927
7753	11630	17524	7813	11720	17659	7873	11810	17795	7933	11900	17930
7754	11631	17525	7814	11721	17661	7874	11811	17796	7934	11901	17932
7755	11633	17527	7815	11723	17663	7875	11813	17799	7935	11903	17934
7756	11634	17530	7816	11724	17665	7876	11814	17801	7936	11904	17936
7757	11636	17532	7817	11726	17668	7877	11816	17803	7937	11906	17939
7758	11637	17534	7818	11727	17670	7878	11817	17806	7938	11907	17941
7759	11639	17537	7819	11729	17672	7879	11819	17808	7939	11909	17944
7760	11640	17538	7820	11730	17674	7880	11820	17809	7940	11910	17945
7761	11642	17542	7821	11732	17677	7881	11822	17813	7941	11912	17948
7762	11643	17543	7822	11733	17678	7882	11823	17814	7942	11913	17950
7763	11645	17546	7823	11735	17682	7883	11825	17817	7943	11915	17953
7764	11646	17548	7824	11736	17683	7884	11826	17819	7944	11916	17954
7765	11648	17550	7825	11738	17686	7885	11828	17821	7945	11918	17957
7766	11649	17552	7826	11739	17688	7886	11829	17823	7946	11919	17959
7767	11651	17555	7827	11741	17690	7887	11831	17826	7947	11921	17962
7768	11652	17557	7828	11742	17693	7888	11832	17828	7948	11922	17964
7769	11654	17559	7829	11744	17695	7889	11834	17831	7949	11924	17966
7770	11655	17561	7830	11745	17696	7890	11835	17832	7950	11925	17967
7771	11657	17564	7831	11747	17700	7891	11837	17835	7951	11927	17971
7772	11658	17565	7832	11748	17701	7892	11838	17837	7952	11928	17972
7773	11660	17569	7833	11750	17704	7893	11840	17840	7953	11930	17976
7774	11661	17570	7834	11751	17706	7894	11841	17841	7954	11931	17977
7775	11663	17573	7835	11753	17708	7895	11843	17844	7955	11933	17979
7776	11664	17575	7836	11754	17710	7896	11844	17846	7956	11934	17982
7777	11666	17577	7837	11756	17713	7897	11846	17849	7957	11936	17984
7778	11667	17580	7838	11757	17715	7898	11847	17851	7958	11937	17986
7779	11669	17582	7839	11759	17718	7899	11849	17853	7959	11939	17989
7780	11670	17583	7840	11760	17719	7900	11850	17854	7960	11940	17990
7781	11672	17587	7841	11762	17722	7901	11852	17858	7961	11942	17994
7782	11673	17588	7842	11763	17724	7902	11853	17859	7962	11943	17995
7783	11675	17591	7843	11765	17727	7903	11855	17863	7963	11945	17998
7784	11676	17593	7844	11766	17728	7904	11856	17864	7964	11946	18000
7785	11678	17595	7845	11768	17731	7905	11858	17866	7965	11948	18002
7786	11679	17597	7846	11769	17733	7906	11859	17869	7966	11949	18004
7787	11681	17600	7847	11771	17736	7907	11861	17871	7967	11951	18007
7788	11682	17602	7848	11772	17738	7908	11862	17873	7968	11952	18009
7789	11684	17605	7849	11774	17740	7909	11864	17876	7969	11954	18011
7790	11685	17606	7850	11775	17741	7910	11865	17877	7970	11955	18013

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7971	11957	18016	8031	12047	18152	8091	12137	18287	8151	12227	18423
7972	11958	18017	8032	12048	18153	8092	12138	18289	8152	12228	18424
7973	11960	18021	8033	12050	18156	8093	12140	18292	8153	12230	18428
7974	11961	18022	8034	12051	18158	8094	12141	18293	8154	12231	18429
7975	11963	18025	8035	12053	18160	8095	12143	18296	8155	12233	18431
7976	11964	18027	8036	12054	18162	8096	12144	18298	8156	12234	18434
7977	11966	18029	8037	12056	18165	8097	12146	18301	8157	12236	18436
7978	11967	18032	8038	12057	18167	8098	12147	18303	8158	12237	18438
7979	11969	18034	8039	12059	18170	8099	12149	18305	8159	12239	18441
7980	11970	18035	8040	12060	18171	8100	12150	18306	8160	12240	18442
7981	11972	18039	8041	12062	18174	8101	12152	18310	8161	12242	18446
7982	11973	18040	8042	12063	18176	8102	12153	18311	8162	12243	18447
7983	11975	18043	8043	12065	18179	8103	12155	18315	8163	12245	18450
7984	11976	18045	8044	12066	18180	8104	12156	18316	8164	12246	18452
7985	11978	18047	8045	12068	18183	8105	12158	18318	8165	12248	18454
7986	11979	18049	8046	12069	18185	8106	12159	18321	8166	12249	18456
7987	11981	18052	8047	12071	18188	8107	12161	18323	8167	12251	18459
7988	11982	18054	8048	12072	18190	8108	12162	18325	8168	12252	18461
7989	11984	18057	8049	12074	18192	8109	12164	18328	8169	12254	18463
7990	11985	18058	8050	12075	18193	8110	12165	18329	8170	12255	18465
7991	11987	18061	8051	12077	18197	8111	12167	18333	8171	12257	18468
7992	11988	18063	8052	12078	18198	8112	12168	18334	8172	12258	18469
7993	11990	18066	8053	12080	18202	8113	12170	18337	8173	12260	18473
7994	11991	18067	8054	12081	18203	8114	12171	18339	8174	12261	18474
7995	11993	18070	8055	12083	18205	8115	12173	18341	8175	12263	18477
7996	11994	18072	8056	12084	18208	8116	12174	18343	8176	12264	18479
7997	11996	18075	8057	12086	18210	8117	12176	18346	8177	12266	18481
7998	11997	18077	8058	12087	18212	8118	12177	18348	8178	12267	18484
7999	11999	18079	8059	12089	18215	8119	12179	18350	8179	12269	18486
8000	12000	18080	8060	12090	18216	8120	12180	18352	8180	12270	18487
8001	12002	18084	8061	12092	18220	8121	12182	18355	8181	12272	18491
8002	12003	18085	8062	12093	18221	8122	12183	18356	8182	12273	18492
8003	12005	18089	8063	12095	18224	8123	12185	18360	8183	12275	18495
8004	12006	18090	8064	12096	18226	8124	12186	18361	8184	12276	18497
8005	12008	18092	8065	12098	18228	8125	12188	18364	8185	12278	18499
8006	12009	18095	8066	12099	18230	8126	12189	18366	8186	12279	18501
8007	12011	18097	8067	12101	18233	8127	12191	18368	8187	12281	18504
8008	12012	18099	8068	12102	18235	8128	12192	18371	8188	12282	18506
8009	12014	18102	8069	12104	18237	8129	12194	18373	8189	12284	18509
8010	12015	18103	8070	12105	18239	8130	12195	18374	8190	12285	18510
8011	12017	18107	8071	12107	18242	8131	12197	18378	8191	12287	18513
8012	12018	18108	8072	12108	18243	8132	12198	18379	8192	12288	18515
8013	12020	18111	8073	12110	18247	8133	12200	18382	8193	12290	18518
8014	12021	18113	8074	12111	18248	8134	12201	18384	8194	12291	18519
8015	12023	18115	8075	12113	18251	8135	12203	18386	8195	12293	18522
8016	12024	18117	8076	12114	18253	8136	12204	18388	8196	12294	18524
8017	12026	18120	8077	12116	18255	8137	12206	18391	8197	12296	18527
8018	12027	18122	8078	12117	18258	8138	12207	18393	8198	12297	18529
8019	12029	18124	8079	12119	18260	8139	12209	18396	8199	12299	18531
8020	12030	18126	8080	12120	18261	8140	12210	18397	8200	12300	18532
8021	12032	18129	8081	12122	18265	8141	12212	18400	8201	12302	18536
8022	12033	18130	8082	12123	18266	8142	12213	18402	8202	12303	18537
8023	12035	18134	8083	12125	18269	8143	12215	18405	8203	12305	18541
8024	12036	18135	8084	12126	18271	8144	12216	18406	8204	12306	18542
8025	12038	18138	8085	12128	18273	8145	12218	18409	8205	12308	18544
8026	12039	18140	8086	12129	18275	8146	12219	18411	8206	12309	18547
8027	12041	18142	8087	12131	18278	8147	12221	18414	8207	12311	18549
8028	12042	18145	8088	12132	18280	8148	12222	18416	8208	12312	18551
8029	12044	18147	8089	12134	18283	8149	12224	18418	8209	12314	18554
8030	12045	18148	8090	12135	18284	8150	12225	18419	8210	12315	18555

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8211	12317	18559	8271	12407	18694	8331	12497	18830	8391	12587	18965
8212	12318	18560	8272	12408	18695	8332	12498	18831	8392	12588	18967
8213	12320	18563	8273	12410	18699	8333	12500	18834	8393	12590	18970
8214	12321	18565	8274	12411	18700	8334	12501	18836	8394	12591	18971
8215	12323	18567	8275	12413	18703	8335	12503	18838	8395	12593	18974
8216	12324	18569	8276	12414	18705	8336	12504	18840	8396	12594	18976
8217	12326	18572	8277	12416	18707	8337	12506	18843	8397	12596	18979
8218	12327	18574	8278	12417	18710	8338	12507	18845	8398	12597	18981
8219	12329	18576	8279	12419	18712	8339	12509	18848	8399	12599	18983
8220	12330	18578	8280	12420	18713	8340	12510	18849	8400	12600	18984
8221	12332	18581	8281	12422	18717	8341	12512	18852	8401	12602	18988
8222	12333	18582	8282	12423	18718	8342	12513	18854	8402	12603	18989
8223	12335	18586	8283	12425	18721	8343	12515	18857	8403	12605	18993
8224	12336	18587	8284	12426	18723	8344	12516	18858	8404	12606	18994
8225	12338	18590	8285	12428	18725	8345	12518	18861	8405	12608	18996
8226	12339	18592	8286	12429	18727	8346	12519	18863	8406	12609	18999
8227	12341	18594	8287	12431	18730	8347	12521	18866	8407	12611	19001
8228	12342	18597	8288	12432	18732	8348	12522	18868	8408	12612	19003
8229	12344	18599	8289	12434	18735	8349	12524	18870	8409	12614	19006
8230	12345	18600	8290	12435	18736	8350	12525	18871	8410	12615	19007
8231	12347	18604	8291	12437	18739	8351	12527	18875	8411	12617	19011
8232	12348	18605	8292	12438	18741	8352	12528	18876	8412	12618	19012
8233	12350	18608	8293	12440	18744	8353	12530	18880	8413	12620	19015
8234	12351	18610	8294	12441	18745	8354	12531	18881	8414	12621	19017
8235	12353	18612	8295	12443	18748	8355	12533	18883	8415	12623	19019
8236	12354	18614	8296	12444	18750	8356	12534	18886	8416	12624	19021
8237	12356	18617	8297	12446	18753	8357	12536	18888	8417	12626	19024
8238	12357	18619	8298	12447	18755	8358	12537	18890	8418	12627	19026
8239	12359	18622	8299	12449	18757	8359	12539	18893	8419	12629	19028
8240	12360	18623	8300	12450	18758	8360	12540	18894	8420	12630	19030
8241	12362	18626	8301	12452	18762	8361	12542	18898	8421	12632	19033
8242	12363	18628	8302	12453	18763	8362	12543	18899	8422	12633	19034
8243	12365	18631	8303	12455	18767	8363	12545	18902	8423	12635	19038
8244	12366	18632	8304	12456	18768	8364	12546	18904	8424	12636	19039
8245	12368	18635	8305	12458	18770	8365	12548	18906	8425	12638	19042
8246	12369	18637	8306	12459	18773	8366	12549	18908	8426	12639	19044
8247	12371	18640	8307	12461	18775	8367	12551	18911	8427	12641	19046
8248	12372	18642	8308	12462	18777	8368	12552	18913	8428	12642	19049
8249	12374	18644	8309	12464	18780	8369	12554	18915	8429	12644	19051
8250	12375	18645	8310	12465	18781	8370	12555	18917	8430	12645	19052
8251	12377	18649	8311	12467	18785	8371	12557	18920	8431	12647	19056
8252	12378	18650	8312	12468	18786	8372	12558	18921	8432	12648	19057
8253	12380	18654	8313	12470	18789	8373	12560	18925	8433	12650	19060
8254	12381	18655	8314	12471	18791	8374	12561	18926	8434	12651	19062
8255	12383	18657	8315	12473	18793	8375	12563	18929	8435	12653	19064
8256	12384	18660	8316	12474	18795	8376	12564	18931	8436	12654	19066
8257	12386	18662	8317	12476	18798	8377	12566	18933	8437	12656	19069
8258	12387	18664	8318	12477	18800	8378	12567	18936	8438	12657	19071
8259	12389	18667	8319	12479	18802	8379	12569	18938	8439	12659	19074
8260	12390	18668	8320	12480	18804	8380	12570	18939	8440	12660	19075
8261	12392	18672	8321	12482	18807	8381	12572	18943	8441	12662	19078
8262	12393	18673	8322	12483	18808	8382	12573	18944	8442	12663	19080
8263	12395	18676	8323	12485	18812	8383	12575	18947	8443	12665	19083
8264	12396	18678	8324	12486	18813	8384	12576	18949	8444	12666	19084
8265	12398	18680	8325	12488	18816	8385	12578	18951	8445	12668	19087
8266	12399	18682	8326	12489	18818	8386	12579	18953	8446	12669	19089
8267	12401	18685	8327	12491	18820	8387	12581	18956	8447	12671	19092
8268	12402	18687	8328	12492	18823	8388	12582	18958	8448	12672	19094
8269	12404	18689	8329	12494	18825	8389	12584	18961	8449	12674	19096
8270	12405	18691	8330	12495	18826	8390	12585	18962	8450	12675	19097

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8451	12677	19101	8511	12767	19237	8571	12857	19372	8631	12947	19508
8452	12678	19102	8512	12768	19238	8572	12858	19373	8632	12948	19509
8453	12680	19106	8513	12770	19241	8573	12860	19377	8633	12950	19512
8454	12681	19107	8514	12771	19243	8574	12861	19378	8634	12951	19514
8455	12683	19109	8515	12773	19245	8575	12863	19381	8635	12953	19516
8456	12684	19112	8516	12774	19247	8576	12864	19383	8636	12954	19518
8457	12686	19114	8517	12776	19250	8577	12866	19385	8637	12956	19521
8458	12687	19116	8518	12777	19252	8578	12867	19388	8638	12957	19523
8459	12689	19119	8519	12779	19254	8579	12869	19390	8639	12959	19526
8460	12690	19120	8520	12780	19256	8580	12870	19391	8640	12960	19527
8461	12692	19124	8521	12782	19259	8581	12872	19395	8641	12962	19530
8462	12693	19125	8522	12783	19260	8582	12873	19396	8642	12963	19532
8463	12695	19128	8523	12785	19264	8583	12875	19399	8643	12965	19535
8464	12696	19130	8524	12786	19265	8584	12876	19401	8644	12966	19536
8465	12698	19132	8525	12788	19268	8585	12878	19403	8645	12968	19539
8466	12699	19134	8526	12789	19270	8586	12879	19405	8646	12969	19541
8467	12701	19137	8527	12791	19272	8587	12881	19408	8647	12971	19544
8468	12702	19139	8528	12792	19275	8588	12882	19410	8648	12972	19546
8469	12704	19141	8529	12794	19277	8589	12884	19413	8649	12974	19548
8470	12705	19143	8530	12795	19278	8590	12885	19414	8650	12975	19549
8471	12707	19146	8531	12797	19282	8591	12887	19417	8651	12977	19553
8472	12708	19147	8532	12798	19283	8592	12888	19419	8652	12978	19554
8473	12710	19151	8533	12800	19286	8593	12890	19422	8653	12980	19558
8474	12711	19152	8534	12801	19288	8594	12891	19423	8654	12981	19559
8475	12713	19155	8535	12803	19290	8595	12893	19426	8655	12983	19561
8476	12714	19157	8536	12804	19292	8596	12894	19428	8656	12984	19564
8477	12716	19159	8537	12806	19295	8597	12896	19431	8657	12986	19566
8478	12717	19162	8538	12807	19297	8598	12897	19433	8658	12987	19568
8479	12719	19164	8539	12809	19300	8599	12899	19435	8659	12989	19571
8480	12720	19165	8540	12810	19301	8600	12900	19436	8660	12990	19572
8481	12722	19169	8541	12812	19304	8601	12902	19440	8661	12992	19576
8482	12723	19170	8542	12813	19306	8602	12903	19441	8662	12993	19577
8483	12725	19173	8543	12815	19309	8603	12905	19445	8663	12995	19580
8484	12726	19175	8544	12816	19310	8604	12906	19446	8664	12996	19582
8485	12728	19177	8545	12818	19313	8605	12908	19448	8665	12998	19584
8486	12729	19179	8546	12819	19315	8606	12909	19451	8666	12999	19586
8487	12731	19182	8547	12821	19318	8607	12911	19453	8667	13001	19589
8488	12732	19184	8548	12822	19320	8608	12912	19455	8668	13002	19591
8489	12734	19187	8549	12824	19322	8609	12914	19458	8669	13004	19593
8490	12735	19188	8550	12825	19323	8610	12915	19459	8670	13005	19595
8491	12737	19191	8551	12827	19327	8611	12917	19463	8671	13007	19598
8492	12738	19193	8552	12828	19328	8612	12918	19464	8672	13008	19599
8493	12740	19196	8553	12830	19332	8613	12920	19467	8673	13010	19603
8494	12741	19197	8554	12831	19333	8614	12921	19469	8674	13011	19604
8495	12743	19200	8555	12833	19335	8615	12923	19471	8675	13012	19607
8496	12744	19202	8556	12834	19338	8616	12924	19473	8676	13014	19609
8497	12746	19205	8557	12836	19340	8617	12926	19476	8677	13016	19611
8498	12747	19207	8558	12837	19342	8618	12927	19478	8678	13017	19614
8499	12749	19209	8559	12839	19345	8619	12929	19480	8679	13019	19616
8500	12750	19210	8560	12840	19346	8620	12930	19482	8680	13020	19617
8501	12752	19214	8561	12842	19350	8621	12932	19485	8681	13022	19621
8502	12753	19215	8562	12843	19351	8622	12933	19486	8682	13023	19622
8503	12755	19219	8563	12845	19354	8623	12935	19490	8683	13025	19625
8504	12756	19220	8564	12846	19356	8624	12936	19491	8684	13026	19627
8505	12758	19222	8565	12848	19358	8625	12938	19494	8685	13028	19629
8506	12759	19225	8566	12849	19360	8626	12939	19496	8686	13029	19631
8507	12761	19227	8567	12851	19363	8627	12941	19498	8687	13031	19634
8508	12762	19229	8568	12852	19365	8628	12942	19501	8688	13032	19636
8509	12764	19232	8569	12854	19367	8629	12944	19503	8689	13034	19639
8510	12765	19233	8570	12855	19369	8630	12945	19504	8690	13035	19640

BP BP Revised BP BP Revised BP BP Revised BP BP Revised  
 (pre2006) (pre Consolidated (pre2006) (pre Consolidated (pre2006) (pre Consolidated (pre2006) (pre Consolidated  
 without 2006) Pension without 2006) Pension without 2006) Pension without 2006) Pension  
 DP with DP DP with DP DP with DP DP with DP DP with DP

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8691	13037	19643	8751	13127	19779	8811	13217	19915	8871	13307	20050
8692	13038	19645	8752	13128	19780	8812	13218	19916	8872	13308	20051
8693	13040	19648	8753	13130	19784	8813	13220	19919	8873	13310	20055
8694	13041	19649	8754	13131	19785	8814	13221	19921	8874	13311	20056
8695	13043	19652	8755	13133	19787	8815	13223	19923	8875	13313	20059
8696	13044	19654	8756	13134	19790	8816	13224	19925	8876	13314	20061
8697	13046	19657	8757	13136	19792	8817	13226	19928	8877	13316	20063
8698	13047	19659	8758	13137	19794	8818	13227	19930	8878	13317	20066
8699	13049	19661	8759	13139	19797	8819	13229	19932	8879	13319	20068
8700	13050	19662	8760	13140	19798	8820	13230	19934	8880	13320	20069
8701	13052	19666	8761	13142	19802	8821	13232	19937	8881	13322	20073
8702	13053	19667	8762	13143	19803	8822	13233	19938	8882	13323	20074
8703	13055	19671	8763	13145	19806	8823	13235	19942	8883	13325	20077
8704	13056	19672	8764	13146	19808	8824	13236	19943	8884	13326	20079
8705	13058	19674	8765	13148	19810	8825	13238	19946	8885	13328	20081
8706	13059	19677	8766	13149	19812	8826	13239	19948	8886	13329	20083
8707	13061	19679	8767	13151	19815	8827	13241	19950	8887	13331	20086
8708	13062	19681	8768	13152	19817	8828	13242	19953	8888	13332	20088
8709	13064	19684	8769	13154	19819	8829	13244	19955	8889	13334	20091
8710	13065	19685	8770	13155	19821	8830	13245	19956	8890	13335	20092
8711	13067	19689	8771	13157	19824	8831	13247	19960	8891	13337	20095
8712	13068	19690	8772	13158	19825	8832	13248	19961	8892	13338	20097
8713	13070	19693	8773	13160	19829	8833	13250	19964	8893	13340	20100
8714	13071	19695	8774	13161	19830	8834	13251	19966	8894	13341	20101
8715	13073	19697	8775	13163	19833	8835	13253	19968	8895	13343	20104
8716	13074	19699	8776	13164	19835	8836	13254	19970	8896	13344	20106
8717	13076	19702	8777	13166	19837	8837	13256	19973	8897	13346	20109
8718	13077	19704	8778	13167	19840	8838	13257	19975	8898	13347	20111
8719	13079	19706	8779	13169	19842	8839	13259	19978	8899	13349	20113
8720	13080	19708	8780	13170	19843	8840	13260	19979	8900	13350	20114
8721	13082	19711	8781	13172	19847	8841	13262	19982	8901	13352	20118
8722	13083	19712	8782	13173	19848	8842	13263	19984	8902	13353	20119
8723	13085	19716	8783	13175	19851	8843	13265	19987	8903	13355	20123
8724	13086	19717	8784	13176	19853	8844	13266	19988	8904	13356	20124
8725	13088	19720	8785	13178	19855	8845	13268	19991	8905	13358	20126
8726	13089	19722	8786	13179	19857	8846	13269	19993	8906	13359	20129
8727	13091	19724	8787	13181	19860	8847	13271	19996	8907	13361	20131
8728	13092	19727	8788	13182	19862	8848	13272	19998	8908	13362	20133
8729	13094	19729	8789	13184	19865	8849	13274	20000	8909	13364	20136
8730	13095	19730	8790	13185	19866	8850	13275	20001	8910	13365	20137
8731	13097	19734	8791	13187	19869	8851	13277	20005	8911	13367	20141
8732	13098	19735	8792	13188	19871	8852	13278	20006	8912	13368	20142
8733	13100	19738	8793	13190	19874	8853	13280	20010	8913	13370	20145
8734	13101	19740	8794	13191	19875	8854	13281	20011	8914	13371	20147
8735	13103	19742	8795	13193	19878	8855	13283	20013	8915	13373	20149
8736	13104	19744	8796	13194	19880	8856	13284	20016	8916	13374	20151
8737	13106	19747	8797	13196	19883	8857	13286	20018	8917	13376	20154
8738	13107	19749	8798	13197	19885	8858	13287	20020	8918	13377	20156
8739	13109	19752	8799	13199	19887	8859	13289	20023	8919	13379	20158
8740	13110	19753	8800	13200	19888	8860	13290	20024	8920	13380	20160
8741	13112	19756	8801	13202	19892	8861	13292	20028	8921	13382	20163
8742	13113	19758	8802	13203	19893	8862	13293	20029	8922	13383	20164
8743	13115	19761	8803	13205	19897	8863	13295	20032	8923	13385	20168
8744	13116	19762	8804	13206	19898	8864	13296	20034	8924	13386	20169
8745	13118	19765	8805	13208	19900	8865	13298	20036	8925	13388	20172
8746	13119	19767	8806	13209	19903	8866	13299	20038	8926	13389	20174
8747	13121	19770	8807	13211	19905	8867	13301	20041	8927	13391	20176
8748	13122	19772	8808	13212	19907	8868	13302	20043	8928	13392	20179
8749	13124	19774	8809	13214	19910	8869	13304	20045	8929	13394	20181
8750	13125	19775	8810	13215	19911	8870	13305	20047	8930	13395	20182

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP
----------------------------------	---	---	----------------------------------	---	---	----------------------------------	---	---	----------------------------------	---	---

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8931	13397	20186	8991	13487	20321	9051	13577	20457	9111	13667	20593
8932	13398	20187	8992	13488	20323	9052	13578	20458	9112	13668	20594
8933	13400	20190	8993	13490	20326	9053	13580	20462	9113	13670	20597
8934	13401	20192	8994	13491	20327	9054	13581	20463	9114	13671	20599
8935	13403	20194	8995	13493	20330	9055	13583	20465	9115	13673	20601
8936	13404	20196	8996	13494	20332	9056	13584	20468	9116	13674	20603
8937	13406	20199	8997	13496	20335	9057	13586	20470	9117	13676	20606
8938	13407	20201	8998	13497	20337	9058	13587	20472	9118	13677	20608
8939	13409	20204	8999	13499	20339	9059	13589	20475	9119	13679	20610
8940	13410	20205	9000	13500	20340	9060	13590	20476	9120	13680	20612
8941	13412	20208	9001	13502	20344	9061	13592	20480	9121	13682	20615
8942	13413	20210	9002	13503	20345	9062	13593	20481	9122	13683	20616
8943	13415	20213	9003	13505	20349	9063	13595	20484	9123	13685	20620
8944	13416	20214	9004	13506	20350	9064	13596	20486	9124	13686	20621
8945	13418	20217	9005	13508	20352	9065	13598	20488	9125	13688	20624
8946	13419	20219	9006	13509	20355	9066	13599	20490	9126	13689	20626
8947	13421	20222	9007	13511	20357	9067	13601	20493	9127	13691	20628
8948	13422	20224	9008	13512	20359	9068	13602	20495	9128	13692	20631
8949	13424	20226	9009	13514	20362	9069	13604	20497	9129	13694	20633
8950	13425	20227	9010	13515	20363	9070	13605	20499	9130	13695	20634
8951	13427	20231	9011	13517	20367	9071	13607	20502	9131	13697	20638
8952	13428	20232	9012	13518	20368	9072	13608	20503	9132	13698	20639
8953	13430	20236	9013	13520	20371	9073	13610	20507	9133	13700	20642
8954	13431	20237	9014	13521	20373	9074	13611	20508	9134	13701	20644
8955	13433	20239	9015	13523	20375	9075	13613	20511	9135	13703	20646
8956	13434	20242	9016	13524	20377	9076	13614	20513	9136	13704	20648
8957	13436	20244	9017	13526	20380	9077	13616	20515	9137	13706	20651
8958	13437	20246	9018	13527	20382	9078	13617	20518	9138	13707	20653
8959	13439	20249	9019	13529	20384	9079	13619	20520	9139	13709	20656
8960	13440	20250	9020	13530	20386	9080	13620	20521	9140	13710	20657
8961	13442	20254	9021	13532	20389	9081	13622	20525	9141	13712	20660
8962	13443	20255	9022	13533	20390	9082	13623	20526	9142	13713	20662
8963	13445	20258	9023	13535	20394	9083	13625	20529	9143	13715	20665
8964	13446	20260	9024	13536	20395	9084	13626	20531	9144	13716	20666
8965	13448	20262	9025	13538	20398	9085	13628	20533	9145	13718	20669
8966	13449	20264	9026	13539	20400	9086	13629	20535	9146	13719	20671
8967	13451	20267	9027	13541	20402	9087	13631	20538	9147	13721	20674
8968	13452	20269	9028	13542	20405	9088	13632	20540	9148	13722	20676
8969	13454	20271	9029	13544	20407	9089	13634	20543	9149	13724	20678
8970	13455	20273	9030	13545	20408	9090	13635	20544	9150	13725	20679
8971	13457	20276	9031	13547	20412	9091	13637	20547	9151	13727	20683
8972	13458	20277	9032	13548	20413	9092	13638	20549	9152	13728	20684
8973	13460	20281	9033	13550	20416	9093	13640	20552	9153	13730	20688
8974	13461	20282	9034	13551	20418	9094	13641	20553	9154	13731	20689
8975	13463	20285	9035	13553	20420	9095	13643	20556	9155	13733	20691
8976	13464	20287	9036	13554	20422	9096	13644	20558	9156	13734	20694
8977	13466	20289	9037	13556	20425	9097	13646	20561	9157	13736	20696
8978	13467	20292	9038	13557	20427	9098	13647	20563	9158	13737	20698
8979	13469	20294	9039	13559	20430	9099	13649	20565	9159	13739	20701
8980	13470	20295	9040	13560	20431	9100	13650	20566	9160	13740	20702
8981	13472	20299	9041	13562	20434	9101	13652	20570	9161	13742	20706
8982	13473	20300	9042	13563	20436	9102	13653	20571	9162	13743	20707
8983	13475	20303	9043	13565	20439	9103	13655	20575	9163	13745	20710
8984	13476	20305	9044	13566	20440	9104	13656	20576	9164	13746	20712
8985	13478	20307	9045	13568	20443	9105	13658	20578	9165	13748	20714
8986	13479	20309	9046	13569	20445	9106	13659	20581	9166	13749	20716
8987	13481	20312	9047	13571	20448	9107	13661	20583	9167	13751	20719
8988	13482	20314	9048	13572	20450	9108	13662	20585	9168	13752	20721
8989	13484	20317	9049	13574	20452	9109	13664	20588	9169	13754	20723
8990	13485	20318	9050	13575	20453	9110	13665	20589	9170	13755	20725

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with DP Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated with DP Pension		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9171	13757	20728	9231	13847	20864	9291	13937	20999	9351	14027	21135
9172	13758	20729	9232	13848	20865	9292	13938	21001	9352	14028	21136
9173	13760	20733	9233	13850	20868	9293	13940	21004	9353	14030	21140
9174	13761	20734	9234	13851	20870	9294	13941	21005	9354	14031	21141
9175	13763	20737	9235	13853	20872	9295	13943	21008	9355	14033	21143
9176	13764	20739	9236	13854	20874	9296	13944	21010	9356	14034	21146
9177	13766	20741	9237	13856	20877	9297	13946	21013	9357	14036	21148
9178	13767	20744	9238	13857	20879	9298	13947	21015	9358	14037	21150
9179	13769	20746	9239	13859	20882	9299	13949	21017	9359	14039	21153
9180	13770	20747	9240	13860	20883	9300	13950	21018	9360	14040	21154
9181	13772	20751	9241	13862	20886	9301	13952	21022	9361	14042	21158
9182	13773	20752	9242	13863	20888	9302	13953	21023	9362	14043	21159
9183	13775	20755	9243	13865	20891	9303	13955	21027	9363	14045	21162
9184	13776	20757	9244	13866	20892	9304	13956	21028	9364	14046	21164
9185	13778	20759	9245	13868	20895	9305	13958	21030	9365	14048	21166
9186	13779	20761	9246	13869	20897	9306	13959	21033	9366	14049	21168
9187	13781	20764	9247	13871	20900	9307	13961	21035	9367	14051	21171
9188	13782	20766	9248	13872	20902	9308	13962	21037	9368	14052	21173
9189	13784	20769	9249	13874	20904	9309	13964	21040	9369	14054	21175
9190	13785	20770	9250	13875	20905	9310	13965	21041	9370	14055	21177
9191	13787	20773	9251	13877	20909	9311	13967	21045	9371	14057	21180
9192	13788	20775	9252	13878	20910	9312	13968	21046	9372	14058	21181
9193	13790	20778	9253	13880	20914	9313	13970	21049	9373	14060	21185
9194	13791	20779	9254	13881	20915	9314	13971	21051	9374	14061	21186
9195	13793	20782	9255	13883	20917	9315	13973	21053	9375	14063	21189
9196	13794	20784	9256	13884	20920	9316	13974	21055	9376	14064	21191
9197	13796	20787	9257	13886	20922	9317	13976	21058	9377	14066	21193
9198	13797	20789	9258	13887	20924	9318	13977	21060	9378	14067	21196
9199	13799	20791	9259	13889	20927	9319	13979	21062	9379	14069	21198
9200	13800	20792	9260	13890	20928	9320	13980	21064	9380	14070	21199
9201	13802	20796	9261	13892	20932	9321	13982	21067	9381	14072	21203
9202	13803	20797	9262	13893	20933	9322	13983	21068	9382	14073	21204
9203	13805	20801	9263	13895	20936	9323	13985	21072	9383	14075	21207
9204	13806	20802	9264	13896	20938	9324	13986	21073	9384	14076	21209
9205	13808	20804	9265	13898	20940	9325	13988	21076	9385	14078	21211
9206	13809	20807	9266	13899	20942	9326	13989	21078	9386	14079	21213
9207	13811	20809	9267	13901	20945	9327	13991	21080	9387	14081	21216
9208	13812	20811	9268	13902	20947	9328	13992	21083	9388	14082	21218
9209	13814	20814	9269	13904	20949	9329	13994	21085	9389	14084	21221
9210	13815	20815	9270	13905	20951	9330	13995	21086	9390	14085	21222
9211	13817	20819	9271	13907	20954	9331	13997	21090	9391	14087	21225
9212	13818	20820	9272	13908	20955	9332	13998	21091	9392	14088	21227
9213	13820	20823	9273	13910	20959	9333	14000	21094	9393	14090	21230
9214	13821	20825	9274	13911	20960	9334	14001	21096	9394	14091	21231
9215	13823	20827	9275	13913	20963	9335	14003	21098	9395	14093	21234
9216	13824	20829	9276	13914	20965	9336	14004	21100	9396	14094	21236
9217	13826	20832	9277	13916	20967	9337	14006	21103	9397	14096	21239
9218	13827	20834	9278	13917	20970	9338	14007	21105	9398	14097	21241
9219	13829	20836	9279	13919	20972	9339	14009	21108	9399	14099	21243
9220	13830	20838	9280	13920	20973	9340	14010	21109	9400	14100	21244
9221	13832	20841	9281	13922	20977	9341	14012	21112	9401	14102	21248
9222	13833	20842	9282	13923	20978	9342	14013	21114	9402	14103	21249
9223	13835	20846	9283	13925	20981	9343	14015	21117	9403	14105	21253
9224	13836	20847	9284	13926	20983	9344	14016	21118	9404	14106	21254
9225	13838	20850	9285	13928	20985	9345	14018	21121	9405	14108	21256
9226	13839	20852	9286	13929	20987	9346	14019	21123	9406	14109	21259
9227	13841	20854	9287	13931	20990	9347	14021	21126	9407	14111	21261
9228	13842	20857	9288	13932	20992	9348	14022	21128	9408	14112	21263
9229	13844	20859	9289	13934	20995	9349	14024	21130	9409	14114	21266
9230	13845	20860	9290	13935	20996	9350	14025	21131	9410	14115	21267



BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	BP Consolidated (pre2006) with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	BP Consolidated (pre2006) with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	BP Consolidated (pre2006) with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) with DP	BP Consolidated (pre2006) with DP
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9411	14117	21271	9471	14207	21406	9531	14297	21542	9591	14387	21677
9412	14118	21272	9472	14208	21407	9532	14298	21543	9592	14388	21679
9413	14120	21275	9473	14210	21411	9533	14300	21546	9593	14390	21682
9414	14121	21277	9474	14211	21412	9534	14301	21548	9594	14391	21683
9415	14123	21279	9475	14213	21415	9535	14303	21550	9595	14393	21686
9416	14124	21281	9476	14214	21417	9536	14304	21552	9596	14394	21688
9417	14126	21284	9477	14216	21419	9537	14306	21555	9597	14396	21691
9418	14127	21286	9478	14217	21422	9538	14307	21557	9598	14397	21693
9419	14129	21288	9479	14219	21424	9539	14309	21560	9599	14399	21695
9420	14130	21290	9480	14220	21425	9540	14310	21561	9600	14400	21696
9421	14132	21293	9481	14222	21429	9541	14312	21564	9601	14402	21700
9422	14133	21294	9482	14223	21430	9542	14313	21566	9602	14403	21701
9423	14135	21298	9483	14225	21433	9543	14315	21569	9603	14405	21705
9424	14136	21299	9484	14226	21435	9544	14316	21570	9604	14406	21706
9425	14138	21302	9485	14228	21437	9545	14318	21573	9605	14408	21708
9426	14139	21304	9486	14229	21439	9546	14319	21575	9606	14409	21711
9427	14141	21306	9487	14231	21442	9547	14321	21578	9607	14411	21713
9428	14142	21309	9488	14232	21444	9548	14322	21580	9608	14412	21715
9429	14144	21311	9489	14234	21447	9549	14324	21582	9609	14414	21718
9430	14145	21312	9490	14235	21448	9550	14325	21583	9610	14415	21719
9431	14147	21316	9491	14237	21451	9551	14327	21587	9611	14417	21723
9432	14148	21317	9492	14238	21453	9552	14328	21588	9612	14418	21724
9433	14150	21320	9493	14240	21456	9553	14330	21592	9613	14420	21727
9434	14151	21322	9494	14241	21457	9554	14331	21593	9614	14421	21729
9435	14153	21324	9495	14243	21460	9555	14333	21595	9615	14423	21731
9436	14154	21326	9496	14244	21462	9556	14334	21598	9616	14424	21733
9437	14156	21329	9497	14246	21465	9557	14336	21600	9617	14426	21736
9438	14157	21331	9498	14247	21467	9558	14337	21602	9618	14427	21738
9439	14159	21334	9499	14249	21469	9559	14339	21605	9619	14429	21740
9440	14160	21335	9500	14250	21470	9560	14340	21606	9620	14430	21742
9441	14162	21338	9501	14252	21474	9561	14342	21610	9621	14432	21745
9442	14163	21340	9502	14253	21475	9562	14343	21611	9622	14433	21746
9443	14165	21343	9503	14255	21479	9563	14345	21614	9623	14435	21750
9444	14166	21344	9504	14256	21480	9564	14346	21616	9624	14436	21751
9445	14168	21347	9505	14258	21482	9565	14348	21618	9625	14438	21754
9446	14169	21349	9506	14259	21485	9566	14349	21620	9626	14439	21756
9447	14171	21352	9507	14261	21487	9567	14351	21623	9627	14441	21758
9448	14172	21354	9508	14262	21489	9568	14352	21625	9628	14442	21761
9449	14174	21356	9509	14264	21492	9569	14354	21627	9629	14444	21763
9450	14175	21357	9510	14265	21493	9570	14355	21629	9630	14445	21764
9451	14177	21361	9511	14267	21497	9571	14357	21632	9631	14447	21768
9452	14178	21362	9512	14268	21498	9572	14358	21633	9632	14448	21769
9453	14180	21366	9513	14270	21501	9573	14360	21637	9633	14450	21772
9454	14181	21367	9514	14271	21503	9574	14361	21638	9634	14451	21774
9455	14183	21369	9515	14273	21505	9575	14363	21641	9635	14453	21776
9456	14184	21372	9516	14274	21507	9576	14364	21643	9636	14454	21778
9457	14186	21374	9517	14276	21510	9577	14366	21645	9637	14456	21781
9458	14187	21376	9518	14277	21512	9578	14367	21648	9638	14457	21783
9459	14189	21379	9519	14279	21514	9579	14369	21650	9639	14459	21786
9460	14190	21380	9520	14280	21516	9580	14370	21651	9640	14460	21787
9461	14192	21384	9521	14282	21519	9581	14372	21655	9641	14462	21790
9462	14193	21385	9522	14283	21520	9582	14373	21656	9642	14463	21792
9463	14195	21388	9523	14285	21524	9583	14375	21659	9643	14465	21795
9464	14196	21390	9524	14286	21525	9584	14376	21661	9644	14466	21796
9465	14198	21392	9525	14288	21528	9585	14378	21663	9645	14468	21799
9466	14199	21394	9526	14289	21530	9586	14379	21665	9646	14469	21801
9467	14201	21397	9527	14291	21532	9587	14381	21668	9647	14471	21804
9468	14202	21399	9528	14292	21535	9588	14382	21670	9648	14472	21806
9469	14204	21401	9529	14294	21537	9589	14384	21673	9649	14474	21808
9470	14205	21403	9530	14295	21538	9590	14385	21674	9650	14475	21809

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP Revised (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9651	14477	21813	9711	14567	21949	9771	14657	22084	9831	14747	22220
9652	14478	21814	9712	14568	21950	9772	14658	22085	9832	14748	22221
9653	14480	21818	9713	14570	21953	9773	14660	22089	9833	14750	22224
9654	14481	21819	9714	14571	21955	9774	14661	22090	9834	14751	22226
9655	14483	21821	9715	14573	21957	9775	14663	22093	9835	14753	22228
9656	14484	21824	9716	14574	21959	9776	14664	22095	9836	14754	22230
9657	14486	21826	9717	14576	21962	9777	14666	22097	9837	14756	22233
9658	14487	21828	9718	14577	21964	9778	14667	22100	9838	14757	22235
9659	14489	21831	9719	14579	21966	9779	14669	22102	9839	14759	22238
9660	14490	21832	9720	14580	21968	9780	14670	22103	9840	14760	22239
9661	14492	21836	9721	14582	21971	9781	14672	22107	9841	14762	22242
9662	14493	21837	9722	14583	21972	9782	14673	22108	9842	14763	22244
9663	14495	21840	9723	14585	21976	9783	14675	22111	9843	14765	22247
9664	14496	21842	9724	14586	21977	9784	14676	22113	9844	14766	22248
9665	14498	21844	9725	14588	21980	9785	14678	22115	9845	14768	22251
9666	14499	21846	9726	14589	21982	9786	14679	22117	9846	14769	22253
9667	14501	21849	9727	14591	21984	9787	14681	22120	9847	14771	22256
9668	14502	21851	9728	14592	21987	9788	14682	22122	9848	14772	22258
9669	14504	21853	9729	14594	21989	9789	14684	22125	9849	14774	22260
9670	14505	21855	9730	14595	21990	9790	14685	22126	9850	14775	22261
9671	14507	21858	9731	14597	21994	9791	14687	22129	9851	14777	22265
9672	14508	21859	9732	14598	21995	9792	14688	22131	9852	14778	22266
9673	14510	21863	9733	14600	21998	9793	14690	22134	9853	14780	22270
9674	14511	21864	9734	14601	22000	9794	14691	22135	9854	14781	22271
9675	14513	21867	9735	14603	22002	9795	14693	22138	9855	14783	22273
9676	14514	21869	9736	14604	22004	9796	14694	22140	9856	14784	22276
9677	14516	21871	9737	14606	22007	9797	14696	22143	9857	14786	22278
9678	14517	21874	9738	14607	22009	9798	14697	22145	9858	14787	22280
9679	14519	21876	9739	14609	22012	9799	14699	22147	9859	14789	22283
9680	14520	21877	9740	14610	22013	9800	14700	22148	9860	14790	22284
9681	14522	21881	9741	14612	22016	9801	14702	22152	9861	14792	22288
9682	14523	21882	9742	14613	22018	9802	14703	22153	9862	14793	22289
9683	14525	21885	9743	14615	22021	9803	14705	22157	9863	14795	22292
9684	14526	21887	9744	14616	22022	9804	14706	22158	9864	14796	22294
9685	14528	21889	9745	14618	22025	9805	14708	22160	9865	14798	22296
9686	14529	21891	9746	14619	22027	9806	14709	22163	9866	14799	22298
9687	14531	21894	9747	14621	22030	9807	14711	22165	9867	14801	22301
9688	14532	21896	9748	14622	22032	9808	14712	22167	9868	14802	22303
9689	14534	21899	9749	14624	22034	9809	14714	22170	9869	14804	22305
9690	14535	21900	9750	14625	22035	9810	14715	22171	9870	14805	22307
9691	14537	21903	9751	14627	22039	9811	14717	22175	9871	14807	22310
9692	14538	21905	9752	14628	22040	9812	14718	22176	9872	14808	22311
9693	14540	21908	9753	14630	22044	9813	14720	22179	9873	14810	22315
9694	14541	21909	9754	14631	22045	9814	14721	22181	9874	14811	22316
9695	14543	21912	9755	14633	22047	9815	14723	22183	9875	14813	22319
9696	14544	21914	9756	14634	22050	9816	14724	22185	9876	14814	22321
9697	14546	21917	9757	14636	22052	9817	14726	22188	9877	14816	22323
9698	14547	21919	9758	14637	22054	9818	14727	22190	9878	14817	22326
9699	14549	21921	9759	14639	22057	9819	14729	22192	9879	14819	22328
9700	14550	21922	9760	14640	22058	9820	14730	22194	9880	14820	22329
9701	14552	21926	9761	14642	22062	9821	14732	22197	9881	14822	22333
9702	14553	21927	9762	14643	22063	9822	14733	22198	9882	14823	22334
9703	14555	21931	9763	14645	22066	9823	14735	22202	9883	14825	22337
9704	14556	21932	9764	14646	22068	9824	14736	22203	9884	14826	22339
9705	14558	21934	9765	14648	22070	9825	14738	22206	9885	14828	22341
9706	14559	21937	9766	14649	22072	9826	14739	22208	9886	14829	22343
9707	14561	21939	9767	14651	22075	9827	14741	22210	9887	14831	22346
9708	14562	21941	9768	14652	22077	9828	14742	22213	9888	14832	22348
9709	14564	21944	9769	14654	22079	9829	14744	22215	9889	14834	22351
9710	14565	21945	9770	14655	22081	9830	14745	22216	9890	14835	22352

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9891	14837	22355	9951	14927	22491	10011	15017	22627	10071	15107	22762
9892	14838	22357	9952	14928	22492	10012	15018	22628	10072	15108	22763
9893	14840	22360	9953	14930	22496	10013	15020	22631	10073	15110	22767
9894	14841	22361	9954	14931	22497	10014	15021	22633	10074	15111	22768
9895	14843	22364	9955	14933	22499	10015	15023	22635	10075	15113	22771
9896	14844	22366	9956	14934	22502	10016	15024	22637	10076	15114	22773
9897	14846	22369	9957	14936	22504	10017	15026	22640	10077	15116	22775
9898	14847	22371	9958	14937	22506	10018	15027	22642	10078	15117	22778
9899	14849	22373	9959	14939	22509	10019	15029	22644	10079	15119	22780
9900	14850	22374	9960	14940	22510	10020	15030	22646	10080	15120	22781
9901	14852	22378	9961	14942	22514	10021	15032	22649	10081	15122	22785
9902	14853	22379	9962	14943	22515	10022	15033	22650	10082	15123	22786
9903	14855	22383	9963	14945	22518	10023	15035	22654	10083	15125	22789
9904	14856	22384	9964	14946	22520	10024	15036	22655	10084	15126	22791
9905	14858	22386	9965	14948	22522	10025	15038	22658	10085	15128	22793
9906	14859	22389	9966	14949	22524	10026	15039	22660	10086	15129	22795
9907	14861	22391	9967	14951	22527	10027	15041	22662	10087	15131	22798
9908	14862	22393	9968	14952	22529	10028	15042	22665	10088	15132	22800
9909	14864	22396	9969	14954	22531	10029	15044	22667	10089	15134	22803
9910	14865	22397	9970	14955	22533	10030	15045	22668	10090	15135	22804
9911	14867	22401	9971	14957	22536	10031	15047	22672	10091	15137	22807
9912	14868	22402	9972	14958	22537	10032	15048	22673	10092	15138	22809
9913	14870	22405	9973	14960	22541	10033	15050	22676	10093	15140	22812
9914	14871	22407	9974	14961	22542	10034	15051	22678	10094	15141	22813
9915	14873	22409	9975	14963	22545	10035	15053	22680	10095	15143	22816
9916	14874	22411	9976	14964	22547	10036	15054	22682	10096	15144	22818
9917	14876	22414	9977	14966	22549	10037	15056	22685	10097	15146	22821
9918	14877	22416	9978	14967	22552	10038	15057	22687	10098	15147	22823
9919	14879	22418	9979	14969	22554	10039	15059	22690	10099	15149	22825
9920	14880	22420	9980	14970	22555	10040	15060	22691	10100	15150	22826
9921	14882	22423	9981	14972	22559	10041	15062	22694	10101	15152	22830
9922	14883	22424	9982	14973	22560	10042	15063	22696	10102	15153	22831
9923	14885	22428	9983	14975	22563	10043	15065	22699	10103	15155	22835
9924	14886	22429	9984	14976	22565	10044	15066	22700	10104	15156	22836
9925	14888	22432	9985	14978	22567	10045	15068	22703	10105	15158	22838
9926	14889	22434	9986	14979	22569	10046	15069	22705	10106	15159	22841
9927	14891	22436	9987	14981	22572	10047	15071	22708	10107	15161	22843
9928	14892	22439	9988	14982	22574	10048	15072	22710	10108	15162	22845
9929	14894	22441	9989	14984	22577	10049	15074	22712	10109	15164	22848
9930	14895	22442	9990	14985	22578	10050	15075	22713	10110	15165	22849
9931	14897	22446	9991	14987	22581	10051	15077	22717	10111	15167	22853
9932	14898	22447	9992	14988	22583	10052	15078	22718	10112	15168	22854
9933	14900	22450	9993	14990	22586	10053	15080	22722	10113	15170	22857
9934	14901	22452	9994	14991	22587	10054	15081	22723	10114	15171	22859
9935	14903	22454	9995	14993	22590	10055	15083	22725	10115	15173	22861
9936	14904	22456	9996	14994	22592	10056	15084	22728	10116	15174	22863
9937	14906	22459	9997	14996	22595	10057	15086	22730	10117	15176	22866
9938	14907	22461	9998	14997	22597	10058	15087	22732	10118	15177	22868
9939	14909	22464	9999	14999	22599	10059	15089	22735	10119	15179	22870
9940	14910	22465	10000	15000	22600	10060	15090	22736	10120	15180	22872
9941	14912	22468	10001	15002	22604	10061	15092	22740	10121	15182	22875
9942	14913	22470	10002	15003	22605	10062	15093	22741	10122	15183	22876
9943	14915	22473	10003	15005	22609	10063	15095	22744	10123	15185	22880
9944	14916	22474	10004	15006	22610	10064	15096	22746	10124	15186	22881
9945	14918	22477	10005	15008	22612	10065	15098	22748	10125	15188	22884
9946	14919	22479	10006	15009	22615	10066	15099	22750	10126	15189	22886
9947	14921	22482	10007	15011	22617	10067	15101	22753	10127	15191	22888
9948	14922	22484	10008	15012	22619	10068	15102	22755	10128	15192	22891
9949	14924	22486	10009	15014	22622	10069	15104	22757	10129	15194	22893
9950	14925	22487	10010	15015	22623	10070	15105	22759	10130	15195	22894

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10131	15197	22898	10191	15287	23033	10251	15377	23169	10311	15467	23305
10132	15198	22899	10192	15288	23035	10252	15378	23170	10312	15468	23306
10133	15200	22902	10193	15290	23038	10253	15380	23174	10313	15470	23309
10134	15201	22904	10194	15291	23039	10254	15381	23175	10314	15471	23311
10135	15203	22906	10195	15293	23042	10255	15383	23177	10315	15473	23313
10136	15204	22908	10196	15294	23044	10256	15384	23180	10316	15474	23315
10137	15206	22911	10197	15296	23047	10257	15386	23182	10317	15476	23318
10138	15207	22913	10198	15297	23049	10258	15387	23184	10318	15477	23320
10139	15209	22916	10199	15299	23051	10259	15389	23187	10319	15479	23322
10140	15210	22917	10200	15300	23052	10260	15390	23188	10320	15480	23324
10141	15212	22920	10201	15302	23056	10261	15392	23192	10321	15482	23327
10142	15213	22922	10202	15303	23057	10262	15393	23193	10322	15483	23328
10143	15215	22925	10203	15305	23061	10263	15395	23196	10323	15485	23332
10144	15216	22926	10204	15306	23062	10264	15396	23198	10324	15486	23333
10145	15218	22929	10205	15308	23064	10265	15398	23200	10325	15488	23336
10146	15219	22931	10206	15309	23067	10266	15399	23202	10326	15489	23338
10147	15221	22934	10207	15311	23069	10267	15401	23205	10327	15491	23340
10148	15222	22936	10208	15312	23071	10268	15402	23207	10328	15492	23343
10149	15224	22938	10209	15314	23074	10269	15404	23209	10329	15494	23345
10150	15225	22939	10210	15315	23075	10270	15405	23211	10330	15495	23346
10151	15227	22943	10211	15317	23079	10271	15407	23214	10331	15497	23350
10152	15228	22944	10212	15318	23080	10272	15408	23215	10332	15498	23351
10153	15230	22948	10213	15320	23083	10273	15410	23219	10333	15500	23354
10154	15231	22949	10214	15321	23085	10274	15411	23220	10334	15501	23356
10155	15233	22951	10215	15323	23087	10275	15413	23223	10335	15503	23358
10156	15234	22954	10216	15324	23089	10276	15414	23225	10336	15504	23360
10157	15236	22956	10217	15326	23092	10277	15416	23227	10337	15506	23363
10158	15237	22958	10218	15327	23094	10278	15417	23230	10338	15507	23365
10159	15239	22961	10219	15329	23096	10279	15419	23232	10339	15509	23368
10160	15240	22962	10220	15330	23098	10280	15420	23233	10340	15510	23369
10161	15242	22966	10221	15332	23101	10281	15422	23237	10341	15512	23372
10162	15243	22967	10222	15333	23102	10282	15423	23238	10342	15513	23374
10163	15245	22970	10223	15335	23106	10283	15425	23241	10343	15515	23377
10164	15246	22972	10224	15336	23107	10284	15426	23243	10344	15516	23378
10165	15248	22974	10225	15338	23110	10285	15428	23245	10345	15518	23381
10166	15249	22976	10226	15339	23112	10286	15429	23247	10346	15519	23383
10167	15251	22979	10227	15341	23114	10287	15431	23250	10347	15521	23386
10168	15252	22981	10228	15342	23117	10288	15432	23252	10348	15522	23388
10169	15254	22983	10229	15344	23119	10289	15434	23255	10349	15524	23390
10170	15255	22985	10230	15345	23120	10290	15435	23256	10350	15525	23391
10171	15257	22988	10231	15347	23124	10291	15437	23259	10351	15527	23395
10172	15258	22989	10232	15348	23125	10292	15438	23261	10352	15528	23396
10173	15260	22993	10233	15350	23128	10293	15440	23264	10353	15530	23400
10174	15261	22994	10234	15351	23130	10294	15441	23265	10354	15531	23401
10175	15263	22997	10235	15353	23132	10295	15443	23268	10355	15533	23403
10176	15264	22999	10236	15354	23134	10296	15444	23270	10356	15534	23406
10177	15266	23001	10237	15356	23137	10297	15446	23273	10357	15536	23408
10178	15267	23004	10238	15357	23139	10298	15447	23275	10358	15537	23410
10179	15269	23006	10239	15359	23142	10299	15449	23277	10359	15539	23413
10180	15270	23007	10240	15360	23143	10300	15450	23278	10360	15540	23414
10181	15272	23011	10241	15362	23146	10301	15452	23282	10361	15542	23418
10182	15273	23012	10242	15363	23148	10302	15453	23283	10362	15543	23419
10183	15275	23015	10243	15365	23151	10303	15455	23287	10363	15545	23422
10184	15276	23017	10244	15366	23152	10304	15456	23288	10364	15546	23424
10185	15278	23019	10245	15368	23155	10305	15458	23290	10365	15548	23426
10186	15279	23021	10246	15369	23157	10306	15459	23293	10366	15549	23428
10187	15281	23024	10247	15371	23160	10307	15461	23295	10367	15551	23431
10188	15282	23026	10248	15372	23162	10308	15462	23297	10368	15552	23433
10189	15284	23029	10249	15374	23164	10309	15464	23300	10369	15554	23435
10190	15285	23030	10250	15375	23165	10310	15465	23301	10370	15555	23437

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10371	15557	23440	10431	15647	23576	10491	15737	23711	10551	15827	23847
10372	15558	23441	10432	15648	23577	10492	15738	23713	10552	15828	23848
10373	15560	23445	10433	15650	23580	10493	15740	23716	10553	15830	23852
10374	15561	23446	10434	15651	23582	10494	15741	23717	10554	15831	23853
10375	15563	23449	10435	15653	23584	10495	15743	23720	10555	15833	23855
10376	15564	23451	10436	15654	23586	10496	15744	23722	10556	15834	23858
10377	15566	23453	10437	15656	23589	10497	15746	23725	10557	15836	23860
10378	15567	23456	10438	15657	23591	10498	15747	23727	10558	15837	23862
10379	15569	23458	10439	15659	23594	10499	15749	23729	10559	15839	23865
10380	15570	23459	10440	15660	23595	10500	15750	23730	10560	15840	23866
10381	15572	23463	10441	15662	23598	10501	15752	23734	10561	15842	23870
10382	15573	23464	10442	15663	23600	10502	15753	23735	10562	15843	23871
10383	15575	23467	10443	15665	23603	10503	15755	23739	10563	15845	23874
10384	15576	23469	10444	15666	23604	10504	15756	23740	10564	15846	23876
10385	15578	23471	10445	15668	23607	10505	15758	23742	10565	15848	23878
10386	15579	23473	10446	15669	23609	10506	15759	23745	10566	15849	23880
10387	15581	23476	10447	15671	23612	10507	15761	23747	10567	15851	23883
10388	15582	23478	10448	15672	23614	10508	15762	23749	10568	15852	23885
10389	15584	23481	10449	15674	23616	10509	15764	23752	10569	15854	23887
10390	15585	23482	10450	15675	23617	10510	15765	23753	10570	15855	23889
10391	15587	23485	10451	15677	23621	10511	15767	23757	10571	15857	23892
10392	15588	23487	10452	15678	23622	10512	15768	23758	10572	15858	23893
10393	15590	23490	10453	15680	23626	10513	15770	23761	10573	15860	23897
10394	15591	23491	10454	15681	23627	10514	15771	23763	10574	15861	23898
10395	15593	23494	10455	15683	23629	10515	15773	23765	10575	15863	23901
10396	15594	23496	10456	15684	23632	10516	15774	23767	10576	15864	23903
10397	15596	23499	10457	15686	23634	10517	15776	23770	10577	15866	23905
10398	15597	23501	10458	15687	23636	10518	15777	23772	10578	15867	23908
10399	15599	23503	10459	15689	23639	10519	15779	23774	10579	15869	23910
10400	15600	23504	10460	15690	23640	10520	15780	23776	10580	15870	23911
10401	15602	23508	10461	15692	23644	10521	15782	23779	10581	15872	23915
10402	15603	23509	10462	15693	23645	10522	15783	23780	10582	15873	23916
10403	15605	23513	10463	15695	23648	10523	15785	23784	10583	15875	23919
10404	15606	23514	10464	15696	23650	10524	15786	23785	10584	15876	23921
10405	15608	23516	10465	15698	23652	10525	15788	23788	10585	15878	23923
10406	15609	23519	10466	15699	23654	10526	15789	23790	10586	15879	23925
10407	15611	23521	10467	15701	23657	10527	15791	23792	10587	15881	23928
10408	15612	23523	10468	15702	23659	10528	15792	23795	10588	15882	23930
10409	15614	23526	10469	15704	23661	10529	15794	23797	10589	15884	23933
10410	15615	23527	10470	15705	23663	10530	15795	23798	10590	15885	23934
10411	15617	23531	10471	15707	23666	10531	15797	23802	10591	15887	23937
10412	15618	23532	10472	15708	23667	10532	15798	23803	10592	15888	23939
10413	15620	23535	10473	15710	23671	10533	15800	23806	10593	15890	23942
10414	15621	23537	10474	15711	23672	10534	15801	23808	10594	15891	23943
10415	15623	23539	10475	15713	23675	10535	15803	23810	10595	15893	23946
10416	15624	23541	10476	15714	23677	10536	15804	23812	10596	15894	23948
10417	15626	23544	10477	15716	23679	10537	15806	23815	10597	15896	23951
10418	15627	23546	10478	15717	23682	10538	15807	23817	10598	15897	23953
10419	15629	23548	10479	15719	23684	10539	15809	23820	10599	15899	23955
10420	15630	23550	10480	15720	23685	10540	15810	23821	10600	15900	23956
10421	15632	23553	10481	15722	23689	10541	15812	23824	10601	15902	23960
10422	15633	23554	10482	15723	23690	10542	15813	23826	10602	15903	23961
10423	15635	23558	10483	15725	23693	10543	15815	23829	10603	15905	23965
10424	15636	23559	10484	15726	23695	10544	15816	23830	10604	15906	23966
10425	15638	23562	10485	15728	23697	10545	15818	23833	10605	15908	23968
10426	15639	23564	10486	15729	23699	10546	15819	23835	10606	15909	23971
10427	15641	23566	10487	15731	23702	10547	15821	23838	10607	15911	23973
10428	15642	23569	10488	15732	23704	10548	15822	23840	10608	15912	23975
10429	15644	23571	10489	15734	23707	10549	15824	23842	10609	15914	23978
10430	15645	23572	10490	15735	23708	10550	15825	23843	10610	15915	23979

BP (pre2006) without DP	BP 2006 with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP 2006 with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP 2006 with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP 2006 with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10611	15917	23983	10671	16007	24118	10731	16097	24254	10791	16187	24389
10612	15918	23984	10672	16008	24119	10732	16098	24255	10792	16188	24391
10613	15920	23987	10673	16010	24123	10733	16100	24258	10793	16190	24394
10614	15921	23989	10674	16011	24124	10734	16101	24260	10794	16191	24395
10615	15923	23991	10675	16013	24127	10735	16103	24262	10795	16193	24398
10616	15924	23993	10676	16014	24129	10736	16104	24264	10796	16194	24400
10617	15926	23996	10677	16016	24131	10737	16106	24267	10797	16196	24403
10618	15927	23998	10678	16017	24134	10738	16107	24269	10798	16197	24405
10619	15929	24000	10679	16019	24136	10739	16109	24272	10799	16199	24407
10620	15930	24002	10680	16020	24137	10740	16110	24273	10800	16200	24408
10621	15932	24005	10681	16022	24141	10741	16112	24276	10801	16202	24412
10622	15933	24006	10682	16023	24142	10742	16113	24278	10802	16203	24413
10623	15935	24010	10683	16025	24145	10743	16115	24281	10803	16205	24417
10624	15936	24011	10684	16026	24147	10744	16116	24282	10804	16206	24418
10625	15938	24014	10685	16028	24149	10745	16118	24285	10805	16208	24420
10626	15939	24016	10686	16029	24151	10746	16119	24287	10806	16209	24423
10627	15941	24018	10687	16031	24154	10747	16121	24290	10807	16211	24425
10628	15942	24021	10688	16032	24156	10748	16122	24292	10808	16212	24427
10629	15944	24023	10689	16034	24159	10749	16124	24294	10809	16214	24430
10630	15945	24024	10690	16035	24160	10750	16125	24295	10810	16215	24431
10631	15947	24028	10691	16037	24163	10751	16127	24299	10811	16217	24435
10632	15948	24029	10692	16038	24165	10752	16128	24300	10812	16218	24436
10633	15950	24032	10693	16040	24168	10753	16130	24304	10813	16220	24439
10634	15951	24034	10694	16041	24169	10754	16131	24305	10814	16221	24441
10635	15953	24036	10695	16043	24172	10755	16133	24307	10815	16223	24443
10636	15954	24038	10696	16044	24174	10756	16134	24310	10816	16224	24445
10637	15956	24041	10697	16046	24177	10757	16136	24312	10817	16226	24448
10638	15957	24043	10698	16047	24179	10758	16137	24314	10818	16227	24450
10639	15959	24046	10699	16049	24181	10759	16139	24317	10819	16229	24452
10640	15960	24047	10700	16050	24182	10760	16140	24318	10820	16230	24454
10641	15962	24050	10701	16052	24186	10761	16142	24322	10821	16232	24457
10642	15963	24052	10702	16053	24187	10762	16143	24323	10822	16233	24458
10643	15965	24055	10703	16055	24191	10763	16145	24326	10823	16235	24462
10644	15966	24056	10704	16056	24192	10764	16146	24328	10824	16236	24463
10645	15968	24059	10705	16058	24194	10765	16148	24330	10825	16238	24466
10646	15969	24061	10706	16059	24197	10766	16149	24332	10826	16239	24468
10647	15971	24064	10707	16061	24199	10767	16151	24335	10827	16241	24470
10648	15972	24066	10708	16062	24201	10768	16152	24337	10828	16242	24473
10649	15974	24068	10709	16064	24204	10769	16154	24339	10829	16244	24475
10650	15975	24069	10710	16065	24205	10770	16155	24341	10830	16245	24476
10651	15977	24073	10711	16067	24209	10771	16157	24344	10831	16247	24480
10652	15978	24074	10712	16068	24210	10772	16158	24345	10832	16248	24481
10653	15980	24078	10713	16070	24213	10773	16160	24349	10833	16250	24484
10654	15981	24079	10714	16071	24215	10774	16161	24350	10834	16251	24486
10655	15983	24081	10715	16073	24217	10775	16163	24353	10835	16253	24488
10656	15984	24084	10716	16074	24219	10776	16164	24355	10836	16254	24490
10657	15986	24086	10717	16076	24222	10777	16166	24357	10837	16256	24493
10658	15987	24088	10718	16077	24224	10778	16167	24360	10838	16257	24495
10659	15989	24091	10719	16079	24226	10779	16169	24362	10839	16259	24498
10660	15990	24092	10720	16080	24228	10780	16170	24363	10840	16260	24499
10661	15992	24096	10721	16082	24231	10781	16172	24367	10841	16262	24502
10662	15993	24097	10722	16083	24232	10782	16173	24368	10842	16263	24504
10663	15995	24100	10723	16085	24236	10783	16175	24371	10843	16265	24507
10664	15996	24102	10724	16086	24237	10784	16176	24373	10844	16266	24508
10665	15998	24104	10725	16088	24240	10785	16178	24375	10845	16268	24511
10666	15999	24106	10726	16089	24242	10786	16179	24377	10846	16269	24513
10667	16001	24109	10727	16091	24244	10787	16181	24380	10847	16271	24516
10668	16002	24111	10728	16092	24247	10788	16182	24382	10848	16272	24518
10669	16004	24113	10729	16094	24249	10789	16184	24385	10849	16274	24520
10670	16005	24115	10730	16095	24250	10790	16185	24386	10850	16275	24521

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10851	16277	24525	10911	16367	24661	10971	16457	24796	11031	16547	24932
10852	16278	24526	10912	16368	24662	10972	16458	24797	11032	16548	24933
10853	16280	24530	10913	16370	24665	10973	16460	24801	11033	16550	24936
10854	16281	24531	10914	16371	24667	10974	16461	24802	11034	16551	24938
10855	16283	24533	10915	16373	24669	10975	16463	24805	11035	16553	24940
10856	16284	24536	10916	16374	24671	10976	16464	24807	11036	16554	24942
10857	16286	24538	10917	16376	24674	10977	16466	24809	11037	16556	24945
10858	16287	24540	10918	16377	24676	10978	16467	24812	11038	16557	24947
10859	16289	24543	10919	16379	24678	10979	16469	24814	11039	16559	24950
10860	16290	24544	10920	16380	24680	10980	16470	24815	11040	16560	24951
10861	16292	24548	10921	16382	24683	10981	16472	24819	11041	16562	24954
10862	16293	24549	10922	16383	24684	10982	16473	24820	11042	16563	24956
10863	16295	24552	10923	16385	24688	10983	16475	24823	11043	16565	24959
10864	16296	24554	10924	16386	24689	10984	16476	24825	11044	16566	24960
10865	16298	24556	10925	16388	24692	10985	16478	24827	11045	16568	24963
10866	16299	24558	10926	16389	24694	10986	16479	24829	11046	16569	24965
10867	16301	24561	10927	16391	24696	10987	16481	24832	11047	16571	24968
10868	16302	24563	10928	16392	24699	10988	16482	24834	11048	16572	24970
10869	16304	24565	10929	16394	24701	10989	16484	24837	11049	16574	24972
10870	16305	24567	10930	16395	24702	10990	16485	24838	11050	16575	24973
10871	16307	24570	10931	16397	24706	10991	16487	24841	11051	16577	24977
10872	16308	24571	10932	16398	24707	10992	16488	24843	11052	16578	24978
10873	16310	24575	10933	16400	24710	10993	16490	24846	11053	16580	24982
10874	16311	24576	10934	16401	24712	10994	16491	24847	11054	16581	24983
10875	16313	24579	10935	16403	24714	10995	16493	24850	11055	16583	24985
10876	16314	24581	10936	16404	24716	10996	16494	24852	11056	16584	24988
10877	16316	24583	10937	16406	24719	10997	16496	24855	11057	16586	24990
10878	16317	24586	10938	16407	24721	10998	16497	24857	11058	16587	24992
10879	16319	24588	10939	16409	24724	10999	16499	24859	11059	16589	24995
10880	16320	24589	10940	16410	24725	11000	16500	24860	11060	16590	24996
10881	16322	24593	10941	16412	24728	11001	16502	24864	11061	16592	25000
10882	16323	24594	10942	16413	24730	11002	16503	24865	11062	16593	25001
10883	16325	24597	10943	16415	24733	11003	16505	24869	11063	16595	25004
10884	16326	24599	10944	16416	24734	11004	16506	24870	11064	16596	25006
10885	16328	24601	10945	16418	24737	11005	16508	24872	11065	16598	25008
10886	16329	24603	10946	16419	24739	11006	16509	24875	11066	16599	25010
10887	16331	24606	10947	16421	24742	11007	16511	24877	11067	16601	25013
10888	16332	24608	10948	16422	24744	11008	16512	24879	11068	16602	25015
10889	16334	24611	10949	16424	24746	11009	16514	24882	11069	16604	25017
10890	16335	24612	10950	16425	24747	11010	16515	24883	11070	16605	25019
10891	16337	24615	10951	16427	24751	11011	16517	24887	11071	16607	25022
10892	16338	24617	10952	16428	24752	11012	16518	24888	11072	16608	25023
10893	16340	24620	10953	16430	24756	11013	16520	24891	11073	16610	25027
10894	16341	24621	10954	16431	24757	11014	16521	24893	11074	16611	25028
10895	16343	24624	10955	16433	24759	11015	16523	24895	11075	16613	25031
10896	16344	24626	10956	16434	24762	11016	16524	24897	11076	16614	25033
10897	16346	24629	10957	16436	24764	11017	16526	24900	11077	16616	25035
10898	16347	24631	10958	16437	24766	11018	16527	24902	11078	16617	25038
10899	16349	24633	10959	16439	24769	11019	16529	24904	11079	16619	25040
10900	16350	24634	10960	16440	24770	11020	16530	24906	11080	16620	25041
10901	16352	24638	10961	16442	24774	11021	16532	24909	11081	16622	25045
10902	16353	24639	10962	16443	24775	11022	16533	24910	11082	16623	25046
10903	16355	24643	10963	16445	24778	11023	16535	24914	11083	16625	25049
10904	16356	24644	10964	16446	24780	11024	16536	24915	11084	16626	25051
10905	16358	24646	10965	16448	24782	11025	16538	24918	11085	16628	25053
10906	16359	24649	10966	16449	24784	11026	16539	24920	11086	16629	25055
10907	16361	24651	10967	16451	24787	11027	16541	24922	11087	16631	25058
10908	16362	24653	10968	16452	24789	11028	16542	24925	11088	16632	25060
10909	16364	24656	10969	16454	24791	11029	16544	24927	11089	16634	25063
10910	16365	24657	10970	16455	24793	11030	16545	24928	11090	16635	25064

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension with DP		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11091	16637	25067	11151	16727	25203	11214	16817	25339	11271	16907	25474
11092	16638	25069	11152	16728	25204	11212	16818	25340	11272	16908	25475
11093	16640	25072	11153	16730	25208	11213	16820	25343	11273	16910	25479
11094	16641	25073	11154	16731	25209	11214	16821	25345	11274	16911	25480
11095	16643	25076	11155	16733	25211	11215	16823	25347	11275	16913	25483
11096	16644	25078	11156	16734	25214	11216	16824	25349	11276	16914	25485
11097	16646	25081	11157	16736	25216	11217	16826	25352	11277	16916	25487
11098	16647	25083	11158	16737	25218	11218	16827	25354	11278	16917	25490
11099	16649	25085	11159	16739	25221	11219	16829	25356	11279	16919	25492
11100	16650	25086	11160	16740	25222	11220	16830	25358	11280	16920	25493
11101	16652	25090	11161	16742	25226	11221	16832	25361	11281	16922	25497
11102	16653	25091	11162	16743	25227	11222	16833	25362	11282	16923	25498
11103	16655	25095	11163	16745	25230	11223	16835	25366	11283	16925	25501
11104	16656	25096	11164	16746	25232	11224	16836	25367	11284	16926	25503
11105	16658	25098	11165	16748	25234	11225	16838	25370	11285	16928	25505
11106	16659	25101	11166	16749	25236	11226	16839	25372	11286	16929	25507
11107	16661	25103	11167	16751	25239	11227	16841	25374	11287	16931	25510
11108	16662	25105	11168	16752	25241	11228	16842	25377	11288	16932	25512
11109	16664	25108	11169	16754	25243	11229	16844	25379	11289	16934	25515
11110	16665	25109	11170	16755	25245	11230	16845	25380	11290	16935	25516
11111	16667	25113	11171	16757	25248	11231	16847	25384	11291	16937	25519
11112	16668	25114	11172	16758	25249	11232	16848	25385	11292	16938	25521
11113	16670	25117	11173	16760	25253	11233	16850	25388	11293	16940	25524
11114	16671	25119	11174	16761	25254	11234	16851	25390	11294	16941	25525
11115	16673	25121	11175	16763	25257	11235	16853	25392	11295	16943	25528
11116	16674	25123	11176	16764	25259	11236	16854	25394	11296	16944	25530
11117	16676	25126	11177	16766	25261	11237	16856	25397	11297	16946	25533
11118	16677	25128	11178	16767	25264	11238	16857	25399	11298	16947	25535
11119	16679	25130	11179	16769	25266	11239	16859	25402	11299	16949	25537
11120	16680	25132	11180	16770	25267	11240	16860	25403	11300	16950	25538
11121	16682	25135	11181	16772	25271	11241	16862	25406	11301	16952	25542
11122	16683	25136	11182	16773	25272	11242	16863	25408	11302	16953	25543
11123	16685	25140	11183	16775	25275	11243	16865	25411	11303	16955	25547
11124	16686	25141	11184	16776	25277	11244	16866	25412	11304	16956	25548
11125	16688	25144	11185	16778	25279	11245	16868	25415	11305	16958	25550
11126	16689	25146	11186	16779	25281	11246	16869	25417	11306	16959	25553
11127	16691	25148	11187	16781	25284	11247	16871	25420	11307	16961	25555
11128	16692	25151	11188	16782	25286	11248	16872	25422	11308	16962	25557
11129	16694	25153	11189	16784	25289	11249	16874	25424	11309	16964	25560
11130	16695	25154	11190	16785	25290	11250	16875	25425	11310	16965	25561
11131	16697	25158	11191	16787	25293	11251	16877	25429	11311	16967	25565
11132	16698	25159	11192	16788	25295	11252	16878	25430	11312	16968	25566
11133	16700	25162	11193	16790	25298	11253	16880	25434	11313	16970	25569
11134	16701	25164	11194	16791	25299	11254	16881	25435	11314	16971	25571
11135	16703	25166	11195	16793	25302	11255	16883	25437	11315	16973	25573
11136	16704	25168	11196	16794	25304	11256	16884	25440	11316	16974	25575
11137	16706	25171	11197	16796	25307	11257	16886	25442	11317	16976	25578
11138	16707	25173	11198	16797	25309	11258	16887	25444	11318	16977	25580
11139	16709	25176	11199	16799	25311	11259	16889	25447	11319	16979	25582
11140	16710	25177	11200	16800	25312	11260	16890	25448	11320	16980	25584
11141	16712	25180	11201	16802	25316	11261	16892	25452	11321	16982	25587
11142	16713	25182	11202	16803	25317	11262	16893	25453	11322	16983	25588
11143	16715	25185	11203	16805	25321	11263	16895	25456	11323	16985	25592
11144	16716	25186	11204	16806	25322	11264	16896	25458	11324	16986	25593
11145	16718	25189	11205	16808	25324	11265	16898	25460	11325	16988	25596
11146	16719	25191	11206	16809	25327	11266	16899	25462	11326	16989	25598
11147	16721	25194	11207	16811	25329	11267	16901	25465	11327	16991	25600
11148	16722	25196	11208	16812	25331	11268	16902	25467	11328	16992	25603
11149	16724	25198	11209	16814	25334	11269	16904	25469	11329	16994	25605
11150	16725	25199	11210	16815	25335	11270	16905	25471	11330	16995	25606



BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11331	16997	25610	11391	17087	25745	11451	17177	25881	11511	17267	26017
11332	16998	25611	11392	17088	25747	11452	17178	25882	11512	17268	26018
11333	17000	25614	11393	17090	25750	11453	17180	25886	11513	17270	26021
11334	17001	25616	11394	17091	25751	11454	17181	25887	11514	17271	26023
11335	17003	25618	11395	17093	25754	11455	17183	25889	11515	17273	26025
11336	17004	25620	11396	17094	25756	11456	17184	25892	11516	17274	26027
11337	17006	25623	11397	17096	25759	11457	17186	25894	11517	17276	26030
11338	17007	25625	11398	17097	25761	11458	17187	25896	11518	17277	26032
11339	17009	25628	11399	17099	25763	11459	17189	25899	11519	17279	26034
11340	17010	25629	11400	17100	25764	11460	17190	25900	11520	17280	26036
11341	17012	25632	11401	17102	25768	11461	17192	25904	11521	17282	26039
11342	17013	25634	11402	17103	25769	11462	17193	25905	11522	17283	26040
11343	17015	25637	11403	17105	25773	11463	17195	25908	11523	17285	26044
11344	17016	25638	11404	17106	25774	11464	17196	25910	11524	17286	26045
11345	17018	25641	11405	17108	25776	11465	17198	25912	11525	17288	26048
11346	17019	25643	11406	17109	25779	11466	17199	25914	11526	17289	26050
11347	17021	25646	11407	17111	25781	11467	17201	25917	11527	17291	26052
11348	17022	25648	11408	17112	25783	11468	17202	25919	11528	17292	26055
11349	17024	25650	11409	17114	25786	11469	17204	25921	11529	17294	26057
11350	17025	25651	11410	17115	25787	11470	17205	25923	11530	17295	26058
11351	17027	25655	11411	17117	25791	11471	17207	25926	11531	17297	26062
11352	17028	25656	11412	17118	25792	11472	17208	25927	11532	17298	26063
11353	17030	25660	11413	17120	25795	11473	17210	25931	11533	17300	26066
11354	17031	25661	11414	17121	25797	11474	17211	25932	11534	17301	26068
11355	17033	25663	11415	17123	25799	11475	17213	25935	11535	17303	26070
11356	17034	25666	11416	17124	25801	11476	17214	25937	11536	17304	26072
11357	17036	25668	11417	17126	25804	11477	17216	25939	11537	17306	26075
11358	17037	25670	11418	17127	25806	11478	17217	25942	11538	17307	26077
11359	17039	25673	11419	17129	25808	11479	17219	25944	11539	17309	26080
11360	17040	25674	11420	17130	25810	11480	17220	25945	11540	17310	26081
11361	17042	25678	11421	17132	25813	11481	17222	25949	11541	17312	26084
11362	17043	25679	11422	17133	25814	11482	17223	25950	11542	17313	26086
11363	17045	25682	11423	17135	25818	11483	17225	25953	11543	17315	26089
11364	17046	25684	11424	17136	25819	11484	17226	25955	11544	17316	26090
11365	17048	25686	11425	17138	25822	11485	17228	25957	11545	17318	26093
11366	17049	25688	11426	17139	25824	11486	17229	25959	11546	17319	26095
11367	17051	25691	11427	17141	25826	11487	17231	25962	11547	17321	26098
11368	17052	25693	11428	17142	25829	11488	17232	25964	11548	17322	26100
11369	17054	25695	11429	17144	25831	11489	17234	25967	11549	17324	26102
11370	17055	25697	11430	17145	25832	11490	17235	25968	11550	17325	26103
11371	17057	25700	11431	17147	25836	11491	17237	25971	11551	17327	26107
11372	17058	25701	11432	17148	25837	11492	17238	25973	11552	17328	26108
11373	17060	25705	11433	17150	25840	11493	17240	25976	11553	17330	26112
11374	17061	25706	11434	17151	25842	11494	17241	25977	11554	17331	26113
11375	17063	25709	11435	17153	25844	11495	17243	25980	11555	17333	26115
11376	17064	25711	11436	17154	25846	11496	17244	25982	11556	17334	26118
11377	17066	25713	11437	17156	25849	11497	17246	25985	11557	17336	26120
11378	17067	25716	11438	17157	25851	11498	17247	25987	11558	17337	26122
11379	17069	25718	11439	17159	25854	11499	17249	25989	11559	17339	26125
11380	17070	25719	11440	17160	25855	11500	17250	25990	11560	17340	26126
11381	17072	25723	11441	17162	25858	11501	17252	25994	11561	17342	26130
11382	17073	25724	11442	17163	25860	11502	17253	25995	11562	17343	26131
11383	17075	25727	11443	17165	25863	11503	17255	25999	11563	17345	26134
11384	17076	25729	11444	17166	25864	11504	17256	26000	11564	17346	26136
11385	17078	25731	11445	17168	25867	11505	17258	26002	11565	17348	26138
11386	17079	25733	11446	17169	25869	11506	17259	26005	11566	17349	26140
11387	17081	25736	11447	17171	25872	11507	17261	26007	11567	17351	26143
11388	17082	25738	11448	17172	25874	11508	17262	26009	11568	17352	26145
11389	17084	25741	11449	17174	25876	11509	17264	26012	11569	17354	26147
11390	17085	25742	11450	17175	25877	11510	17265	26013	11570	17355	26149

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11571	17357	26152	11631	17447	26288	11691	17537	26423	11751	17627	26559
11572	17358	26153	11632	17448	26289	11692	17538	26425	11752	17628	26560
11573	17360	26157	11633	17450	26292	11693	17540	26428	11753	17630	26564
11574	17361	26158	11634	17451	26294	11694	17541	26429	11754	17631	26565
11575	17363	26161	11635	17453	26296	11695	17543	26432	11755	17633	26567
11576	17364	26163	11636	17454	26298	11696	17544	26434	11756	17634	26570
11577	17366	26165	11637	17456	26301	11697	17546	26437	11757	17636	26572
11578	17367	26168	11638	17457	26303	11698	17547	26439	11758	17637	26574
11579	17369	26170	11639	17459	26306	11699	17549	26441	11759	17639	26577
11580	17370	26171	11640	17460	26307	11700	17550	26442	11760	17640	26578
11581	17372	26175	11641	17462	26310	11701	17552	26446	11761	17642	26582
11582	17373	26176	11642	17463	26312	11702	17553	26447	11762	17643	26583
11583	17375	26179	11643	17465	26315	11703	17555	26451	11763	17645	26586
11584	17376	26181	11644	17466	26316	11704	17556	26452	11764	17646	26588
11585	17378	26183	11645	17468	26319	11705	17558	26454	11765	17648	26590
11586	17379	26185	11646	17469	26321	11706	17559	26457	11766	17649	26592
11587	17381	26188	11647	17471	26324	11707	17561	26459	11767	17651	26595
11588	17382	26190	11648	17472	26326	11708	17562	26461	11768	17652	26597
11589	17384	26193	11649	17474	26328	11709	17564	26464	11769	17654	26599
11590	17385	26194	11650	17475	26329	11710	17565	26465	11770	17655	26601
11591	17387	26197	11651	17477	26333	11711	17567	26469	11771	17657	26604
11592	17388	26199	11652	17478	26334	11712	17568	26470	11772	17658	26605
11593	17390	26202	11653	17480	26338	11713	17570	26473	11773	17660	26609
11594	17391	26203	11654	17481	26339	11714	17571	26475	11774	17661	26610
11595	17393	26206	11655	17483	26341	11715	17573	26477	11775	17663	26613
11596	17394	26208	11656	17484	26344	11716	17574	26479	11776	17664	26615
11597	17396	26211	11657	17486	26346	11717	17576	26482	11777	17666	26617
11598	17397	26213	11658	17487	26348	11718	17577	26484	11778	17667	26620
11599	17399	26215	11659	17489	26351	11719	17579	26486	11779	17669	26622
11600	17400	26216	11660	17490	26352	11720	17580	26488	11780	17670	26623
11601	17402	26220	11661	17492	26356	11721	17582	26491	11781	17672	26627
11602	17403	26221	11662	17493	26357	11722	17583	26492	11782	17673	26628
11603	17405	26225	11663	17495	26360	11723	17585	26496	11783	17675	26631
11604	17406	26226	11664	17496	26362	11724	17586	26497	11784	17676	26633
11605	17408	26228	11665	17498	26364	11725	17588	26500	11785	17678	26635
11606	17409	26231	11666	17499	26366	11726	17589	26502	11786	17679	26637
11607	17411	26233	11667	17501	26369	11727	17591	26504	11787	17681	26640
11608	17412	26235	11668	17502	26371	11728	17592	26507	11788	17682	26642
11609	17414	26238	11669	17504	26373	11729	17594	26509	11789	17684	26645
11610	17415	26239	11670	17505	26375	11730	17595	26510	11790	17685	26646
11611	17417	26243	11671	17507	26378	11731	17597	26514	11791	17687	26649
11612	17418	26244	11672	17508	26379	11732	17598	26515	11792	17688	26651
11613	17420	26247	11673	17510	26383	11733	17600	26518	11793	17690	26654
11614	17421	26249	11674	17511	26384	11734	17601	26520	11794	17691	26655
11615	17423	26251	11675	17513	26387	11735	17603	26522	11795	17693	26658
11616	17424	26253	11676	17514	26389	11736	17604	26524	11796	17694	26660
11617	17426	26256	11677	17516	26391	11737	17606	26527	11797	17696	26663
11618	17427	26258	11678	17517	26394	11738	17607	26529	11798	17697	26665
11619	17429	26260	11679	17519	26396	11739	17609	26532	11799	17699	26667
11620	17430	26262	11680	17520	26397	11740	17610	26533	11800	17700	26668
11621	17432	26265	11681	17522	26401	11741	17612	26536	11801	17702	26672
11622	17433	26266	11682	17523	26402	11742	17613	26538	11802	17703	26673
11623	17435	26270	11683	17525	26405	11743	17615	26541	11803	17705	26677
11624	17436	26271	11684	17526	26407	11744	17616	26542	11804	17706	26678
11625	17438	26274	11685	17528	26409	11745	17618	26545	11805	17708	26680
11626	17439	26276	11686	17529	26411	11746	17619	26547	11806	17709	26683
11627	17441	26278	11687	17531	26414	11747	17621	26550	11807	17711	26685
11628	17442	26281	11688	17532	26416	11748	17622	26552	11808	17712	26687
11629	17444	26283	11689	17534	26419	11749	17624	26554	11809	17714	26690
11630	17445	26284	11690	17535	26420	11750	17625	26555	11810	17715	26691

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11811	17717	26695	11871	17807	26830	11931	17897	26966	11991	17987	27101
11812	17718	26696	11872	17808	26831	11932	17898	26967	11992	17988	27103
11813	17720	26699	11873	17810	26835	11933	17900	26970	11993	17990	27106
11814	17721	26701	11874	17811	26836	11934	17901	26972	11994	17991	27107
11815	17723	26703	11875	17813	26839	11935	17903	26974	11995	17993	27110
11816	17724	26705	11876	17814	26841	11936	17904	26976	11996	17994	27112
11817	17726	26708	11877	17816	26843	11937	17906	26979	11997	17996	27115
11818	17727	26710	11878	17817	26846	11938	17907	26981	11998	17997	27117
11819	17729	26712	11879	17819	26848	11939	17909	26984	11999	17999	27119
11820	17730	26714	11880	17820	26849	11940	17910	26985	12000	18000	27120
11821	17732	26717	11881	17822	26853	11941	17912	26988	12001	18002	27124
11822	17733	26718	11882	17823	26854	11942	17913	26990	12002	18003	27125
11823	17735	26722	11883	17825	26857	11943	17915	26993	12003	18005	27129
11824	17736	26723	11884	17826	26859	11944	17916	26994	12004	18006	27130
11825	17738	26726	11885	17828	26861	11945	17918	26997	12005	18008	27132
11826	17739	26728	11886	17829	26863	11946	17919	26999	12006	18009	27135
11827	17741	26730	11887	17831	26866	11947	17921	27002	12007	18011	27137
11828	17742	26733	11888	17832	26868	11948	17922	27004	12008	18012	27139
11829	17744	26735	11889	17834	26871	11949	17924	27006	12009	18014	27142
11830	17745	26736	11890	17835	26872	11950	17925	27007	12010	18015	27143
11831	17747	26740	11891	17837	26875	11951	17927	27011	12011	18017	27147
11832	17748	26741	11892	17838	26877	11952	17928	27012	12012	18018	27148
11833	17750	26744	11893	17840	26880	11953	17930	27016	12013	18020	27151
11834	17751	26746	11894	17841	26881	11954	17931	27017	12014	18021	27153
11835	17753	26748	11895	17843	26884	11955	17933	27019	12015	18023	27155
11836	17754	26750	11896	17844	26886	11956	17934	27022	12016	18024	27157
11837	17756	26753	11897	17846	26889	11957	17936	27024	12017	18026	27160
11838	17757	26755	11898	17847	26891	11958	17937	27026	12018	18027	27162
11839	17759	26758	11899	17849	26893	11959	17939	27029	12019	18029	27164
11840	17760	26759	11900	17850	26894	11960	17940	27030	12020	18030	27166
11841	17762	26762	11901	17852	26898	11961	17942	27034	12021	18032	27169
11842	17763	26764	11902	17853	26899	11962	17943	27035	12022	18033	27170
11843	17765	26767	11903	17855	26903	11963	17945	27038	12023	18035	27174
11844	17766	26768	11904	17856	26904	11964	17946	27040	12024	18036	27175
11845	17768	26771	11905	17858	26906	11965	17948	27042	12025	18038	27178
11846	17769	26773	11906	17859	26909	11966	17949	27044	12026	18039	27180
11847	17771	26776	11907	17861	26911	11967	17951	27047	12027	18041	27182
11848	17772	26778	11908	17862	26913	11968	17952	27049	12028	18042	27185
11849	17774	26780	11909	17864	26916	11969	17954	27051	12029	18044	27187
11850	17775	26781	11910	17865	26917	11970	17955	27053	12030	18045	27188
11851	17777	26785	11911	17867	26921	11971	17957	27056	12031	18047	27192
11852	17778	26786	11912	17868	26922	11972	17958	27057	12032	18048	27193
11853	17780	26790	11913	17870	26925	11973	17960	27061	12033	18050	27196
11854	17781	26791	11914	17871	26927	11974	17961	27062	12034	18051	27198
11855	17783	26793	11915	17873	26929	11975	17963	27065	12035	18053	27200
11856	17784	26796	11916	17874	26931	11976	17964	27067	12036	18054	27202
11857	17786	26798	11917	17876	26934	11977	17966	27069	12037	18056	27205
11858	17787	26800	11918	17877	26936	11978	17967	27072	12038	18057	27207
11859	17789	26803	11919	17879	26938	11979	17969	27074	12039	18059	27210
11860	17790	26804	11920	17880	26940	11980	17970	27075	12040	18060	27211
11861	17792	26808	11921	17882	26943	11981	17972	27079	12041	18062	27214
11862	17793	26809	11922	17883	26944	11982	17973	27080	12042	18063	27216
11863	17795	26812	11923	17885	26948	11983	17975	27083	12043	18065	27219
11864	17796	26814	11924	17886	26949	11984	17976	27085	12044	18066	27220
11865	17798	26816	11925	17888	26952	11985	17978	27087	12045	18068	27223
11866	17799	26818	11926	17889	26954	11986	17979	27089	12046	18069	27225
11867	17801	26821	11927	17891	26956	11987	17981	27092	12047	18071	27228
11868	17802	26823	11928	17892	26959	11988	17982	27094	12048	18072	27230
11869	17804	26825	11929	17894	26961	11989	17984	27097	12049	18074	27232
11870	17805	26827	11930	17895	26962	11990	17985	27098	12050	18075	27233

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated with DP
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12051	18077	27237	12111	18167	27373	12171	18257	27508	12231	18347	27644
12052	18078	27238	12112	18168	27374	12172	18258	27509	12232	18348	27645
12053	18080	27242	12113	18170	27377	12173	18260	27513	12233	18350	27648
12054	18081	27243	12114	18171	27379	12174	18261	27514	12234	18351	27650
12055	18083	27245	12115	18173	27381	12175	18263	27517	12235	18353	27652
12056	18084	27248	12116	18174	27383	12176	18264	27519	12236	18354	27654
12057	18086	27250	12117	18176	27386	12177	18266	27521	12237	18356	27657
12058	18087	27252	12118	18177	27388	12178	18267	27524	12238	18357	27659
12059	18089	27255	12119	18179	27390	12179	18269	27526	12239	18359	27662
12060	18090	27256	12120	18180	27392	12180	18270	27527	12240	18360	27663
12061	18092	27260	12121	18182	27395	12181	18272	27531	12241	18362	27666
12062	18093	27261	12122	18183	27396	12182	18273	27532	12242	18363	27668
12063	18095	27264	12123	18185	27400	12183	18275	27535	12243	18365	27671
12064	18096	27266	12124	18186	27401	12184	18276	27537	12244	18366	27672
12065	18098	27268	12125	18188	27404	12185	18278	27539	12245	18368	27675
12066	18099	27270	12126	18189	27406	12186	18279	27541	12246	18369	27677
12067	18101	27273	12127	18191	27408	12187	18281	27544	12247	18371	27680
12068	18102	27275	12128	18192	27411	12188	18282	27546	12248	18372	27682
12069	18104	27277	12129	18194	27413	12189	18284	27549	12249	18374	27684
12070	18105	27279	12130	18195	27414	12190	18285	27550	12250	18375	27685
12071	18107	27282	12131	18197	27418	12191	18287	27553	12251	18377	27689
12072	18108	27283	12132	18198	27419	12192	18288	27555	12252	18378	27690
12073	18110	27287	12133	18200	27422	12193	18290	27558	12253	18380	27694
12074	18111	27288	12134	18201	27424	12194	18291	27559	12254	18381	27695
12075	18113	27291	12135	18203	27426	12195	18293	27562	12255	18383	27697
12076	18114	27293	12136	18204	27428	12196	18294	27564	12256	18384	27700
12077	18116	27295	12137	18206	27431	12197	18296	27567	12257	18386	27702
12078	18117	27298	12138	18207	27433	12198	18297	27569	12258	18387	27704
12079	18119	27300	12139	18209	27436	12199	18299	27571	12259	18389	27707
12080	18120	27301	12140	18210	27437	12200	18300	27572	12260	18390	27708
12081	18122	27305	12141	18212	27440	12201	18302	27576	12261	18392	27712
12082	18123	27306	12142	18213	27442	12202	18303	27577	12262	18393	27713
12083	18125	27309	12143	18215	27445	12203	18305	27581	12263	18395	27716
12084	18126	27311	12144	18216	27446	12204	18306	27582	12264	18396	27718
12085	18128	27313	12145	18218	27449	12205	18308	27584	12265	18398	27720
12086	18129	27315	12146	18219	27451	12206	18309	27587	12266	18399	27722
12087	18131	27318	12147	18221	27454	12207	18311	27589	12267	18401	27725
12088	18132	27320	12148	18222	27456	12208	18312	27591	12268	18402	27727
12089	18134	27323	12149	18224	27458	12209	18314	27594	12269	18404	27729
12090	18135	27324	12150	18225	27459	12210	18315	27595	12270	18405	27731
12091	18137	27327	12151	18227	27463	12211	18317	27599	12271	18407	27734
12092	18138	27329	12152	18228	27464	12212	18318	27600	12272	18408	27735
12093	18140	27332	12153	18230	27468	12213	18320	27603	12273	18410	27739
12094	18141	27333	12154	18231	27469	12214	18321	27605	12274	18411	27740
12095	18143	27336	12155	18233	27471	12215	18323	27607	12275	18413	27743
12096	18144	27338	12156	18234	27474	12216	18324	27609	12276	18414	27745
12097	18146	27341	12157	18236	27476	12217	18326	27612	12277	18416	27747
12098	18147	27343	12158	18237	27478	12218	18327	27614	12278	18417	27750
12099	18149	27345	12159	18239	27481	12219	18329	27616	12279	18419	27752
12100	18150	27346	12160	18240	27482	12220	18330	27618	12280	18420	27753
12101	18152	27350	12161	18242	27486	12221	18332	27621	12281	18422	27757
12102	18153	27351	12162	18243	27487	12222	18333	27622	12282	18423	27758
12103	18155	27355	12163	18245	27490	12223	18335	27626	12283	18425	27761
12104	18156	27356	12164	18246	27492	12224	18336	27627	12284	18426	27763
12105	18158	27358	12165	18248	27494	12225	18338	27630	12285	18428	27765
12106	18159	27361	12166	18249	27496	12226	18339	27632	12286	18429	27767
12107	18161	27363	12167	18251	27499	12227	18341	27634	12287	18431	27770
12108	18162	27365	12168	18252	27501	12228	18342	27637	12288	18432	27772
12109	18164	27368	12169	18254	27503	12229	18344	27639	12289	18434	27775
12110	18165	27369	12170	18255	27505	12230	18345	27640	12290	18435	27776

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Consolidated Pension with DP
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12291	18437	27779	12351	18527	27915	12411	18617	28051	12471	18707	28186
12292	18438	27781	12352	18528	27916	12412	18618	28052	12472	18708	28187
12293	18440	27784	12353	18530	27920	12413	18620	28055	12473	18710	28191
12294	18441	27785	12354	18531	27921	12414	18621	28057	12474	18711	28192
12295	18443	27788	12355	18533	27923	12415	18623	28059	12475	18713	28195
12296	18444	27790	12356	18534	27926	12416	18624	28061	12476	18714	28197
12297	18446	27793	12357	18536	27928	12417	18626	28064	12477	18716	28199
12298	18447	27795	12358	18537	27930	12418	18627	28066	12478	18717	28202
12299	18449	27797	12359	18539	27933	12419	18629	28068	12479	18719	28204
12300	18450	27798	12360	18540	27934	12420	18630	28070	12480	18720	28205
12301	18452	27802	12361	18542	27938	12421	18632	28073	12481	18722	28209
12302	18453	27803	12362	18543	27939	12422	18633	28074	12482	18723	28210
12303	18455	27807	12363	18545	27942	12423	18635	28078	12483	18725	28213
12304	18456	27808	12364	18546	27944	12424	18636	28079	12484	18726	28215
12305	18458	27810	12365	18548	27946	12425	18638	28082	12485	18728	28217
12306	18459	27813	12366	18549	27948	12426	18639	28084	12486	18729	28219
12307	18461	27815	12367	18551	27951	12427	18641	28086	12487	18731	28222
12308	18462	27817	12368	18552	27953	12428	18642	28089	12488	18732	28224
12309	18464	27820	12369	18554	27955	12429	18644	28091	12489	18734	28227
12310	18465	27821	12370	18555	27957	12430	18645	28092	12490	18735	28228
12311	18467	27825	12371	18557	27960	12431	18647	28096	12491	18737	28231
12312	18468	27826	12372	18558	27961	12432	18648	28097	12492	18738	28233
12313	18470	27829	12373	18560	27965	12433	18650	28100	12493	18740	28236
12314	18471	27831	12374	18561	27966	12434	18651	28102	12494	18741	28237
12315	18473	27833	12375	18563	27969	12435	18653	28104	12495	18743	28240
12316	18474	27835	12376	18564	27971	12436	18654	28106	12496	18744	28242
12317	18476	27838	12377	18566	27973	12437	18656	28109	12497	18746	28245
12318	18477	27840	12378	18567	27976	12438	18657	28111	12498	18747	28247
12319	18479	27842	12379	18569	27978	12439	18659	28114	12499	18749	28249
12320	18480	27844	12380	18570	27979	12440	18660	28115	12500	18750	28250
12321	18482	27847	12381	18572	27983	12441	18662	28118	12501	18752	28254
12322	18483	27848	12382	18573	27984	12442	18663	28120	12502	18753	28255
12323	18485	27852	12383	18575	27987	12443	18665	28123	12503	18755	28259
12324	18486	27853	12384	18576	27989	12444	18666	28124	12504	18756	28260
12325	18488	27856	12385	18578	27991	12445	18668	28127	12505	18758	28262
12326	18489	27858	12386	18579	27993	12446	18669	28129	12506	18759	28265
12327	18491	27860	12387	18581	27996	12447	18671	28132	12507	18761	28267
12328	18492	27863	12388	18582	27998	12448	18672	28134	12508	18762	28269
12329	18494	27865	12389	18584	28001	12449	18674	28136	12509	18764	28272
12330	18495	27866	12390	18585	28002	12450	18675	28137	12510	18765	28273
12331	18497	27870	12391	18587	28005	12451	18677	28141	12511	18767	28277
12332	18498	27871	12392	18588	28007	12452	18678	28142	12512	18768	28278
12333	18500	27874	12393	18590	28010	12453	18680	28146	12513	18770	28281
12334	18501	27876	12394	18591	28011	12454	18681	28147	12514	18771	28283
12335	18503	27878	12395	18593	28014	12455	18683	28149	12515	18773	28285
12336	18504	27880	12396	18594	28016	12456	18684	28152	12516	18774	28287
12337	18506	27883	12397	18596	28019	12457	18686	28154	12517	18776	28290
12338	18507	27885	12398	18597	28021	12458	18687	28156	12518	18777	28292
12339	18509	27888	12399	18599	28023	12459	18689	28159	12519	18779	28294
12340	18510	27889	12400	18600	28024	12460	18690	28160	12520	18780	28296
12341	18512	27892	12401	18602	28028	12461	18692	28164	12521	18782	28299
12342	18513	27894	12402	18603	28029	12462	18693	28165	12522	18783	28300
12343	18515	27897	12403	18605	28033	12463	18695	28168	12523	18785	28304
12344	18516	27898	12404	18606	28034	12464	18696	28170	12524	18786	28305
12345	18518	27901	12405	18608	28036	12465	18698	28172	12525	18788	28308
12346	18519	27903	12406	18609	28039	12466	18699	28174	12526	18789	28310
12347	18521	27906	12407	18611	28041	12467	18701	28177	12527	18791	28312
12348	18522	27908	12408	18612	28043	12468	18702	28179	12528	18792	28315
12349	18524	27910	12409	18614	28046	12469	18704	28181	12529	18794	28317
12350	18525	27911	12410	18615	28047	12470	18705	28183	12530	18795	28318

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP	BP Revised (pre2006) without DP	BP Revised (pre Consolidated 2006) Pension with DP		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12531	18797	28322	12591	18887	28457	12651	18977	28593	12711	19067	28729
12532	18798	28323	12592	18888	28459	12652	18978	28594	12712	19068	28730
12533	18800	28326	12593	18890	28462	12653	18980	28598	12713	19070	28733
12534	18801	28328	12594	18891	28463	12654	18981	28599	12714	19071	28735
12535	18803	28330	12595	18893	28466	12655	18983	28601	12715	19073	28737
12536	18804	28332	12596	18894	28468	12656	18984	28604	12716	19074	28739
12537	18806	28335	12597	18896	28471	12657	18986	28606	12717	19076	28742
12538	18807	28337	12598	18897	28473	12658	18987	28608	12718	19077	28744
12539	18809	28340	12599	18899	28475	12659	18989	28611	12719	19079	28746
12540	18810	28341	12600	18900	28476	12660	18990	28612	12720	19080	28748
12541	18812	28344	12601	18902	28480	12661	18992	28616	12721	19082	28751
12542	18813	28346	12602	18903	28481	12662	18993	28617	12722	19083	28752
12543	18815	28349	12603	18905	28485	12663	18995	28620	12723	19085	28756
12544	18816	28350	12604	18906	28486	12664	18996	28622	12724	19086	28757
12545	18818	28353	12605	18908	28488	12665	18998	28624	12725	19088	28760
12546	18819	28355	12606	18909	28491	12666	18999	28626	12726	19089	28762
12547	18821	28358	12607	18911	28493	12667	19001	28629	12727	19091	28764
12548	18822	28360	12608	18912	28495	12668	19002	28631	12728	19092	28767
12549	18824	28362	12609	18914	28498	12669	19004	28633	12729	19094	28769
12550	18825	28363	12610	18915	28499	12670	19005	28635	12730	19095	28770
12551	18827	28367	12611	18917	28503	12671	19007	28638	12731	19097	28774
12552	18828	28368	12612	18918	28504	12672	19008	28639	12732	19098	28775
12553	18830	28372	12613	18920	28507	12673	19010	28643	12733	19100	28778
12554	18831	28373	12614	18921	28509	12674	19011	28644	12734	19101	28780
12555	18833	28375	12615	18923	28511	12675	19013	28647	12735	19103	28782
12556	18834	28378	12616	18924	28513	12676	19014	28649	12736	19104	28784
12557	18836	28380	12617	18926	28516	12677	19016	28651	12737	19106	28787
12558	18837	28382	12618	18927	28518	12678	19017	28654	12738	19107	28789
12559	18839	28385	12619	18929	28520	12679	19019	28656	12739	19109	28792
12560	18840	28386	12620	18930	28522	12680	19020	28657	12740	19110	28793
12561	18842	28390	12621	18932	28525	12681	19022	28661	12741	19112	28796
12562	18843	28391	12622	18933	28526	12682	19023	28662	12742	19113	28798
12563	18845	28394	12623	18935	28530	12683	19025	28665	12743	19115	28801
12564	18846	28396	12624	18936	28531	12684	19026	28667	12744	19116	28802
12565	18848	28398	12625	18938	28534	12685	19028	28669	12745	19118	28805
12566	18849	28400	12626	18939	28536	12686	19029	28671	12746	19119	28807
12567	18851	28403	12627	18941	28538	12687	19031	28674	12747	19121	28810
12568	18852	28405	12628	18942	28541	12688	19032	28676	12748	19122	28812
12569	18854	28407	12629	18944	28543	12689	19034	28679	12749	19124	28814
12570	18855	28409	12630	18945	28544	12690	19035	28680	12750	19125	28815
12571	18857	28412	12631	18947	28548	12691	19037	28683	12751	19127	28819
12572	18858	28413	12632	18948	28549	12692	19038	28685	12752	19128	28820
12573	18860	28417	12633	18950	28552	12693	19040	28688	12753	19130	28824
12574	18861	28418	12634	18951	28554	12694	19041	28689	12754	19131	28825
12575	18863	28421	12635	18953	28556	12695	19043	28692	12755	19133	28827
12576	18864	28423	12636	18954	28558	12696	19044	28694	12756	19134	28830
12577	18866	28425	12637	18956	28561	12697	19046	28697	12757	19136	28832
12578	18867	28428	12638	18957	28563	12698	19047	28699	12758	19137	28834
12579	18869	28430	12639	18959	28566	12699	19049	28701	12759	19139	28837
12580	18870	28431	12640	18960	28567	12700	19050	28702	12760	19140	28838
12581	18872	28435	12641	18962	28570	12701	19052	28706	12761	19142	28842
12582	18873	28436	12642	18963	28572	12702	19053	28707	12762	19143	28843
12583	18875	28439	12643	18965	28575	12703	19055	28711	12763	19145	28846
12584	18876	28441	12644	18966	28576	12704	19056	28712	12764	19146	28848
12585	18878	28443	12645	18968	28579	12705	19058	28714	12765	19148	28850
12586	18879	28445	12646	18969	28581	12706	19059	28717	12766	19149	28852
12587	18881	28448	12647	18971	28584	12707	19061	28719	12767	19151	28855
12588	18882	28450	12648	18972	28586	12708	19062	28721	12768	19152	28857
12589	18884	28453	12649	18974	28588	12709	19064	28724	12769	19154	28859
12590	18885	28454	12650	18975	28589	12710	19065	28725	12770	19155	28861

BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension	BP (pre2006) without DP	BP Revised (pre 2006) Pension with DP	BP Revised (pre Consolidated) Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12771	19157	28864	12831	19247	29000	12891	19337	29135	12951	19427	29271
12772	19158	28865	12832	19248	29001	12892	19338	29137	12952	19428	29272
12773	19160	28869	12833	19250	29004	12893	19340	29140	12953	19430	29276
12774	19161	28870	12834	19251	29006	12894	19341	29141	12954	19431	29277
12775	19163	28873	12835	19253	29008	12895	19343	29144	12955	19433	29279
12776	19164	28875	12836	19254	29010	12896	19344	29146	12956	19434	29282
12777	19166	28877	12837	19256	29013	12897	19346	29149	12957	19436	29284
12778	19167	28880	12838	19257	29015	12898	19347	29151	12958	19437	29286
12779	19169	28882	12839	19259	29018	12899	19349	29153	12959	19439	29289
12780	19170	28883	12840	19260	29019	12900	19350	29154	12960	19440	29290
12781	19172	28887	12841	19262	29022	12901	19352	29158	12961	19442	29294
12782	19173	28888	12842	19263	29024	12902	19353	29159	12962	19443	29295
12783	19175	28891	12843	19265	29027	12903	19355	29163	12963	19445	29298
12784	19176	28893	12844	19266	29028	12904	19356	29164	12964	19446	29300
12785	19178	28895	12845	19268	29031	12905	19358	29166	12965	19448	29302
12786	19179	28897	12846	19269	29033	12906	19359	29169	12966	19449	29304
12787	19181	28900	12847	19271	29036	12907	19361	29171	12967	19451	29307
12788	19182	28902	12848	19272	29038	12908	19362	29173	12968	19452	29309
12789	19184	28905	12849	19274	29040	12909	19364	29176	12969	19454	29311
12790	19185	28906	12850	19275	29041	12910	19365	29177	12970	19455	29313
12791	19187	28909	12851	19277	29045	12911	19367	29181	12971	19457	29316
12792	19188	28911	12852	19278	29046	12912	19368	29182	12972	19458	29317
12793	19190	28914	12853	19280	29050	12913	19370	29185	12973	19460	29321
12794	19191	28915	12854	19281	29051	12914	19371	29187	12974	19461	29322
12795	19193	28918	12855	19283	29053	12915	19373	29189	12975	19463	29325
12796	19194	28920	12856	19284	29056	12916	19374	29191	12976	19464	29327
12797	19196	28923	12857	19286	29058	12917	19376	29194	12977	19466	29329
12798	19197	28925	12858	19287	29060	12918	19377	29196	12978	19467	29332
12799	19199	28927	12859	19289	29063	12919	19379	29198	12979	19469	29334
12800	19200	28928	12860	19290	29064	12920	19380	29200	12980	19470	29335
12801	19202	28932	12861	19292	29068	12921	19382	29203	12981	19472	29339
12802	19203	28933	12862	19293	29069	12922	19383	29204	12982	19473	29340
12803	19205	28937	12863	19295	29072	12923	19385	29208	12983	19475	29343
12804	19206	28938	12864	19296	29074	12924	19386	29209	12984	19476	29345
12805	19208	28940	12865	19298	29076	12925	19388	29212	12985	19478	29347
12806	19209	28943	12866	19299	29078	12926	19389	29214	12986	19479	29349
12807	19211	28945	12867	19301	29081	12927	19391	29216	12987	19481	29352
12808	19212	28947	12868	19302	29083	12928	19392	29219	12988	19482	29354
12809	19214	28950	12869	19304	29085	12929	19394	29221	12989	19484	29357
12810	19215	28951	12870	19305	29087	12930	19395	29222	12990	19485	29358
12811	19217	28955	12871	19307	29090	12931	19397	29226	12991	19487	29361
12812	19218	28956	12872	19308	29091	12932	19398	29227	12992	19488	29363
12813	19220	28959	12873	19310	29095	12933	19400	29230	12993	19490	29366
12814	19221	28961	12874	19311	29096	12934	19401	29232	12994	19491	29367
12815	19223	28963	12875	19313	29099	12935	19403	29234	12995	19493	29370
12816	19224	28965	12876	19314	29101	12936	19404	29236	12996	19494	29372
12817	19226	28968	12877	19316	29103	12937	19406	29239	12997	19496	29375
12818	19227	28970	12878	19317	29106	12938	19407	29241	12998	19497	29377
12819	19229	28972	12879	19319	29108	12939	19409	29244	12999	19499	29379
12820	19230	28974	12880	19320	29109	12940	19410	29245	13000	19500	29380
12821	19232	28977	12881	19322	29113	12941	19412	29248	*13000	19500	40000
12822	19233	28978	12882	19323	29114	12942	19413	29250	*15000	22500	45000
12823	19235	28982	12883	19325	29117	12943	19415	29253			
12824	19236	28983	12884	19326	29119	12944	19416	29254			
12825	19238	28986	12885	19328	29121	12945	19418	29257			
12826	19239	28988	12886	19329	29123	12946	19419	29259			
12827	19241	28990	12887	19331	29126	12947	19421	29262			
12828	19242	28993	12888	19332	29128	12948	19422	29264			
12829	19244	28995	12889	19334	29131	12949	19424	29266			
12830	19245	28996	12890	19335	29132	12950	19425	29267			

- Note : 1. Basic Pension includes commuted value of Pension  
2. BP (pre 2006) without DP (column 1) means Basic Pension/Family Pension without Dearness Pension/Family Dearness Pension before 1.4.2004  
3. BP (pre 2006) with DP (column 2) means Basic Pension/Family Pension with Dearness Pension/ Family Dearness Pension after 1.4.2004

\* Revised Consolidated Pension in respect of fixed scales of Pay of Chief Secretary

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव।

संख्या 421/XXVII(7) पेंशन / 2008, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1: महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2: समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 3: वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी(वित्त अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
- 4: सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5: सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6: महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7: रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/ देहरादून।
- 8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9: स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 10: निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11: गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
टी0एन0 सिंह,  
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 वित्त/469-2008-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।



प्रेषक,

टी०एन०सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
कोषागार एवं वित्त सेवायें,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त-7

देहरादून दिनांक 7 जनवरी 2009

विषय: 9 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनर्स को दिनांक 1-1-2006 से संशोधित पेंशन दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में कोषागारों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भौति दिनांक 1-1-2006 के पूर्व के पूर्ववर्ती राज्य उ० प्र० के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर इस पुनरीक्षण से आच्छादित होंगे अथवा नहीं, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 54 के साथ पठित सिड्यूल 8 में स्पष्ट किया गया है कि जो पेंशनर्स जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से पेंशन पा रहे हैं, प्राप्त करते रहेंगे तथा पूर्ववर्ती राज्य के पेंशनर्स पर किये गये व्यय का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। उत्तराखण्ड की भौति वर्तमान उत्तर प्रदेश द्वारा भी छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिसों के आधार पर उत्तराखण्ड के समान दिनांक 1-1-2006 से पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स का पुनरीक्षण कर दिया गया है। अतः 9 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन का पुनरीक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 421/XXVII(7) पेंशन/2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के क्रम में किया जाये।

भवदीय

(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव

संख्या 07/XXVII(7)/2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, प्रेषित:-

- 1: महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, भाजरा, देहरादून।
- 2: महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3: निदेशक, लेखा एवं हकदारी लक्ष्मी रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
- 4: समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5: सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 6: गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव


उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या: 16 / xxvii(7) / 2009  
देहरादून: दिनांक: 19 जनवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भांति 1-1-2006 के पूर्व के राज्य सरकार एवं 9 नवम्बर, 2000 के पूर्व के उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन के अवशेष के भुगतान के संबंध में ।

छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 421 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के द्वारा 1-1-2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनरों तथा शासनादेश संख्या 07 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 7 जनवरी, 2009 के द्वारा 9 नवम्बर, 2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स को केन्द्र सरकार की भांति दिनांक 1-1-2006 से संशोधित पेंशन अनुमन्य की गई है, किन्तु उक्तांकित शासनादेशों में अवशेष के भुगतान के संबंध में उल्लेख नहीं हो सका है।


अतः इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 1-1-2006 के पूर्व के राज्य सरकार के एवं 9 नवम्बर, 2000 के पूर्व उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अवशेष का 40 प्रतिशत वर्ष 2008-09 में तथा शेष 60 प्रतिशत का वित्तीय वर्ष 2009-10 में नकद भुगतान किया जाएगा ।

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या:16 (1)/XXvii(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग) कमरा नं०-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-11001
3. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. स्थानियक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड राज्य एकक।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  


(टी०एन० सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 18 जून, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन तथा पेंशन एवं ग्रैच्युटी के एरियर की धनराशि का भुगतान लेखानुदान के बजट से तथा वर्ष 2009-10 में भुगतान हेतु आदेशित 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान मूल बजट से किया जाना।

नहोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-27/XXVII(7)(स्यो-1)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 तथा शासनादेश संख्या-205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-7 में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के पश्चात वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने (जिसे 03 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा) एवं प्रस्तर-8 में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनर तथा दिनांक 01.01.2006 अथवा इसके बाद के सेवानिवृत्त पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। शासनादेश, दिनांक 25 मार्च, 2009 के प्रस्तर-4 में वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो, तो उसका भुगतान माह जुलाई, 2009 के बाद ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि जिन सरकारी सेवकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर के 40 प्रतिशत धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में


वर्ष 2008-09 में जमा नहीं की गई है उनके एरियर के 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से करने हेतु एरियर की धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाय। इसी प्रकार उन पेंशनर्स, जिनके पेंशन एवं ग्रैच्युटी के अवशेष की 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान वर्ष 2008-09 में नहीं किया गया हो, उन्हें उक्त 40 प्रतिशत अवशेष का भुगतान लेखानुदान अवधि हेतु प्राविधानित धनराशि से कर दिया जाय।

3. वर्ष 2009-10 का बजट पारित हो जाने के पश्चात वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की 30 प्रतिशत धनराशि को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4. वर्ष 2010-11 में वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर के अवशेष 30 प्रतिशत को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं 25 मार्च, 2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जायें और इसकी शेष सभी व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय,


  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 416 (1)/XXVII(1)/2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोर्टर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. शासन के समस्त अनुभाग।
9. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
10. स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

  
18/6/2009  
(एल0 एम0 पन्त)  
सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7  
संख्या: 218 /xxvii(7)/2009  
देहरादून, दिनांक: 12 अगस्त, 2009


कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के पेंशनर्स का दिनांक 1-1-2006 के बाद पुर्ननियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण।

सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी सेवकों के पुर्ननियुक्ति एवं उक्त अवधि में वेतन निर्धारण का प्राविधान सिविल सर्विसेज रेग्युलेशन के अनुच्छे-520 में निहित है। पुर्ननियुक्ति की अवधि में सरकारी सेवकों को अंतिम आहरित वेतन ऋण शुद्ध पेंशन(बिना राशिकरण) के समतुल्य नियम वेतन अनुमन्य होता है। दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन न्यूनतम रूप से 40 प्रतिशत पुनरीक्षित की गयी है, परन्तु दिनांक 1-1-2006 को सेवा में न होने के कारण अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर अंतिम आहरित वेतन ऋण पेंशन के सिद्धान्त पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को पुर्ननियुक्त होने पर कम नियत वेतन प्राप्त हो रहा है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दि0 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे पेंशनर जिनको राज्य सरकार में दिनांक 1-1-2006 या इसके बाद पुर्ननियुक्ति या सेवा में रखा जाता है, के लिए संबंधित कर्मों के पूर्व के वेतनमान के स्थान पर दिनांक 1-1-2006 से उसके समकक्ष पद/वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे की धनराशि को जोड़कर, जो धनराशि बनती है, वह अंतिम आहरित वेतन माना जाए तथा इस धनराशि से शुद्ध पेंशन की धनराशि घटाने के पश्चात् जो धनराशि आये वह पुर्ननियुक्ति पद का नियत वेतन होगा। दिनांक 1-1-2006 तथा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के लिए अंतिम आहरित वेतन पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर स्वतः निर्धारित किया जाएगा। जिसमें से शुद्ध पेंशन की धनराशि घटाने पर, जो धनराशि आयेगी वह पुर्ननियुक्ति पद के लिए उसका नियत वेतन होगा।

उक्त संशोधन के फलस्वरूप दिनांक: 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स के पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्ववत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 421 / xxvii(7)पेंशन/2009 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार ही निर्धारित होगी।

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: 21(1)/XXVII(7)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा सि

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 24 सितम्बर, 2009

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन तथा पेंशन एवं ग्रैच्युटी के एरियर की धनराशि का भुगतान लेखानुदान के बजट से तथा वर्ष 2009-10 में भुगतान हेतु आदेशित 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान मूल बजट से किया जाना।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-416/XXVII(1)/2009 दिनांक 18 जून, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं 3 में जिन सरकारी सेवकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर के 40 प्रतिशत धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में वर्ष 2008-09 में जमा नहीं की गई है उनके एरियर के 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से करने हेतु एरियर की धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने एवं इसी प्रकार उन पेंशनर्स जिनके पेंशन एवं ग्रैच्युटी के अवशेष की 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान वर्ष 2008-09 में नहीं किया गया हो उन्हें उक्त 40 प्रतिशत अवशेष का भुगतान लेखानुदान अवधि हेतु प्राविधानित धनराशि से करने तथा वर्ष 2009-10 का बजट पारित हो जाने के पश्चात वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की 30 प्रतिशत धनराशि को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त मदों में पर्याप्त बजट व्यवस्था होने के बावजूद भी वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की उक्त कुल 70 प्रतिशत धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।



अतः अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के सापेक्ष उपरोक्तानुसार कुल 70 प्रतिशत वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की धनराशि को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 616 (1)/XXVII(1)/2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. शासन के समस्त अनुभाग।
10. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
11. स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

  
(राधा रथूड़ी)  
सचिव, वित्त

प्रेषक,

राजा रतूड़ी  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

2-सचिव, शिक्षा,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषय:- राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर समान रूप से सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमत्या के संबंध में।

संदर्भ:-

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:220/xxvii(3)अ0आ0/2005 दिनांक 18 जून, 2005 के क्रम में निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के पत्रांक अर्थ 5(क)8/1588/गैरव्युटी/2007-08 दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्र कर्मियों के लिए 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने के दृष्टिगत राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग-अलग सेवानिवृत्ति लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2.उपरोक्तानुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर गैरव्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3.गैरव्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी सन्हीं शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों को अनुमत्या होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि, उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिना के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।

4.60 वर्ष की आयु पूरा करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमत्या कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया

जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांश तक कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुर्ननियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन की जाएगी, तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर-520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5. उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा।

6. यह आदेश वि०वि० के शासनादेश सं०220/xxvii(3)अ.आ./2005 दिनांक 18 जून, 2005 के प्रभावी होने की तिथि के अनुसार दिनांक 18, जून 2005 से ही लागू होगा।

भवदीया,

(राधा शतूडी)  
सचिव।

संख्या 310/xxvii(7)म.भ./2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
4. निदेशक, कोशागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा

(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
- 2-समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2009

विषय:-छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन के एरियर की धनराशि का जी0पी0एफ0 में डाला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-416/XXVII(1)/2009 दिनांक 18 जून, 2009 तथा शासनादेश संख्या-616/XXVII(1)/2009 दिनांक 24 सितम्बर, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (प्रतिलिपि संलग्न)

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि वेतन तथा पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर की 40% की धनराशि में से आयकर तथा नई पेंशन योजनान्तर्गत देय पेंशन अंशदान की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में वर्ष 2008-09 में जमा नहीं की गयी है तो उसे वर्ष 2009-2010 में देय एरियर की 30% धनराशि के साथ सम्मिलित करते हुए कुल 70% वेतन एवं पेंशन आदि की एरियर की धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कर ली जाए। नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को आयकर तथा अंशदान काटकर एरियर की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वेतन समिति के संस्तुतियों के कम में भविष्य निधि में डाली गयी धनराशि वर्ष 2010-2011 तक केवल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छोड़कर आहरित न किया जाय।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

सचिव।

संख्या- 716 /XXVII/(1) 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 2-मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ। उत्तराखण्ड।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6-निदेशक, लेखा एवं हकदारो, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 7-समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8-समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9-शासन के समस्त अनुभाग।
- 10-रजिस्ट्रार जनरल, मा10 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 11-स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 12-निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
- 13-निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।

आज्ञा संकेत



(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव वित्त।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे०आ०-सा०मि०) अनुभाग-7  
संख्या: 561/XXVI (7)/2010  
देहरादून: दिनांक: 3<sup>0</sup> मार्च, 2010

### कार्यालय झाप

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या: 808/ का-2-2002 दिनांक 15 जून, 2002 के क्रम में वित्त विभाग के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या: 431/वि०अनु०-3/2002 दिनांक 11 जुलाई, 2002 के द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के मूल नियम-58 'क' में संशोधन किया गया था। कतिपय श्रोतों से यह जिज्ञासा की गयी है कि ऐसा सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो क्या उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को होगी?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस सरकारी सेवक की जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, इस कारण ऐसे सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस को होगी। जिस सरकारी सेवक की जन्मतिथि प्रथम तिथि से भिन्न हो वह उस मास के पूर्ववर्ती दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, इसलिए उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि उस मास के अन्तिम दिवस को होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)  
सचिव।

संख्या: 507 (1)/ XXVII (7)/2010 तददिनांक  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से  
(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव।